लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-97
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया। Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 22—बुधवार, 24 अगस्त, 1966/2 भाद्र, 1888 (शक)

No. 22—Wendesday, August 24, 1966/2nd Bhadra, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
629. अन्तर्राज्यीय सीमा विवाद	Inter-State Border Disputes	..	1—4
630. विधायकों के लिये आचार संहिता	Code of Conduct of Legislators		4—8
631. दिल्ली के स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रपत्र (फार्म)	Forms for Admission to the Schools in Delhi	..	8—9
632. बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Burmese Repatriates	..	9—13
633. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	..	13—14
634. दास आयोग का प्रतिवेदन	Das Commission Report		14—18
अ० सू० प्र० संख्या			
S. N. Q. No.			
16. आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारी	Emergency Commissioned Officers	..	18—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
635. सरकारी अधिकारियों का नागालैंड तथा मिजो पहाड़ियों का दौरा	Government Officials' Visit to Nagaland and Mizo Hills	..	24—25
636. पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात	Export of Petroleum Products	..	25

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
637. विदेशी सरकारों की सेवा में नियुक्त भारतीय तकनीकी व्यक्ति	Indian Technical Persons in Foreign Employment	25—26
638. राजस्थान में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak instruders in Rajasthan ..	26
639. हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम	Hindi Correspondence Course	26—27
640. फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Film Industry	27
641. केरल के अध्यापकों द्वारा हड़ताल	Strike by Kerala Teachers ..	27—28
642. आदर्श पाठ्य पुस्तकें	Model Text Books ..	28—29
643. पाठ्य पुस्तकों के लिये विद्यार्थियों को राज सहायता	Subsidy to Students for Text Books ..	29
644. औषधियों के दाम	Prices of Drugs	29
645. स्नातकोत्तर शिक्षा केन्द्र	Post-Graduate Education Centre ..	29
646. पोर्ट कैनिंग क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण	Seismic Survey of Port Canning Area	30
647. विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act to cover University Employees ..	30
648. पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन कम्पनी के पैट्रोल पम्प	I. O. C. Pumps in West Bengal	30—31
649. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मैसूर को अनुदान	U. G. C. grant to Mysore ..	31
650. अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड	National Wage Board For Teachers ..	31—32
651. उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करना तथा उनकी इंजीनियरी का काम	Designing and Engineering of Fertilizer Plants ..	32
652. 1965 में काश्मीर में घुसपैठ	Infiltration into Kashmir during 1965 ..	32—33

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
653. आसाम में सेना द्वारा सहायता	Army's Assistance in Assam ..	33
654. विदेशी सहयोग से उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects with Foreign Collaboration..	33
655. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी	Arrest of A. I. C. C. Official	33—34
656. श्री जय प्रकाश नारायण की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात	Meeting Between Shri Jayaprakash Narain and Sheikh Abdullah ..	34—35
657. कांडला में कालटैक्स के कर्मचारी	Employees of Caltex, Kandla ..	35
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3124. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया	Procedure of Inquiry against I. A. S. Officers ..	35—36
3125. कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees' Provident Fund Scheme	36
3126. अपर डिवीजन क्लर्कों के लिए सलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for U. D. Cs. ..	36
3127. नये स्कूलों में सुविधायें	Facilities in New Schools ..	37
3128. केरल में विद्यार्थियों के विरुद्ध चलाये गये मामलों को वापस लेना	Withdrawal of Cases Against Kerala Students ..	37
3129. केरल में डाकघर की इमारतें	P. O. Buildings in Kerala ..	37—38
3130. संचार के लिये उपग्रह	Satellite for Communications	38
3131. विश्व कुश्ती प्रतियोगिता (चैम्पियन शिप)	World Wrestling Championship	38
3132. गंगाजली निधि न्यास	Gangajali Fund Trust ..	39
3133. कोचीन के गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारी	Employees Retrenched by Private Oil Companies, Cochin ..	39—40
3134. त्रिपुरा में सर्किल आफिसर	Circle Officers in Tripura ..	40

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3135. कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation ..	41
3136. पाकिस्तानी गुप्तचर का दोषी ठहराया जाना	Conviction of Pak Spy ..	41—42
3137. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के बारे में प्रमाणपत्र	Certificates about S. C. & S. T. Students ..	42
3138. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम छूट प्राप्त कारखाने	Factories Exempted from Employees State Insurance Act. ..	42
3139. बागान श्रम आवास योजना	Plantation Labour Housing Scheme ..	43
3140. वीरसिंगमणि शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा करना	Upgrading of Branch P. O. Virasingamani ..	43
3141. सेन्दमरम् में तारघर	Telegraph Office at Sendamaram	44
3142. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल	School of International Studies	44
3143. इण्डियन स्कूल आफ इण्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies ..	44—45
3144. दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पद	Reserved Posts for Scheduled Castes in Delhi Administration	45
3145. मंत्रियों का विदेशों में दौरा	Visit of Ministers Abroad.	45
3146. पंजाब में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों के पद	Posts of Sub-Inspectors of Police in Punjab ..	45—46
3147. आसाम पुलिस द्वारा एक नागा की गिरफ्तारी	Arrest of a Naga by Assam Police ..	46
3148. सहारनपुर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill at Saharanpur ..	46—47
3149. औषधीय पौधे	Medicinal Plants ..	47
3150. भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन	Exhibition for Indian Culture ..	47
3151. नागाओं द्वारा गोलीबारी	Firing by Nagas ..	47—48
3152. बर्मा तथा श्रीलंका से विस्थापित किये गये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced Persons from Burma and Ceylon ..	48

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3153. दण्डकारण्य में पुनर्वास	Rehabilitation in Dandakaranya ..	48—49
3154. उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम	Higher Secondary Course	49
3155. कलकत्ता के प्रसिद्ध तैराक के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Calcutta Endurance Swimmer ..	49—50
3156. औद्योगिक प्रशिक्षण	Industrial Training ..	50
3157. आगर में डाकघर की इमारत	Post Office Building, Agar ..	50
3158. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता	Recognition of Training Courses	51
3159. देश में अग्निकांडों में वृद्धि	Increase in Fire Cases in the Country	51
3160. पंजाब सरकार के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Punjab Government Employees ..	51—52
3161. अध्यापकों की स्थाई सेवा	Permanent Service of Teachers	52
3162. अश्लील चित्रों की बिक्री	Sale of Obscene Pictures	52—53
3163. महिला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	Training of Women Instructors	53
3164. बाल (श्रम प्रतिज्ञाबंधन) अधिनियम (चिल्ड्रन प्लैजिंग आफ लेबर) एक्ट	Children (Pledging of Labour) Act	53
3165. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, बंगलौर	Indian Telephone Industries, Ltd.. Bangalore	54
3166. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education	55
3167. डाक तथा तार की सुविधायें	P. and T. Facilities ..	55—56
3168. विस्फोटक पदार्थ सहित एक नागा की गिरफ्तारी	Arrest of Naga with Explosives ..	56
3169. उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Pending Cases before the High Courts ..	56
3170. भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी	Foreigners Studying in India	56—57
3171. मिजो विद्रोही	Mizo Rebels	57
3172. हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान	International Indian Ocean Expedition ..	57—58
3173. हिन्दी सहायकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा	U. P. S. C. Exam. for Hindi Assistants	58

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3174. भारतीय भाषा के रूप में सिंधी भाषा	Sindhi as Indian Language	58—59
3175. सिन्दरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Factory	59
3176. दुर्गापुर उर्वरक परियोजना	Durgapur Fertilizer Project	60
3177. पुलिस के शिविरों पर विद्रोही नागाओं का हमला	Attack by Naga-hostiles on Police Camps ..	60—61
3178. शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आना	Exodus of Refugees ..	61
3179. एक कांस्टेबल के लड़के की मृत्यु	Death of a Constable's Son ..	61—62
3180. हिन्दी अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay Scales of Hindi Teachers	62
3181. दिल्ली में अध्यापकों के वेतनक्रम	Grades of Teachers in Delhi	62
3182. एरिंग समिति का प्रतिवेदन	Ering Committee Report	63
3183. टेलीफोन विभाग में भ्रष्टाचार	Corruption in Telephone Department	64
3184. वेश्यावृत्ति कराने वाले लोगों का गिरोह	Gang engaged in Trafficking in Women	64
3185. मृत्यु दण्ड	Capital punishment. ..	64
3186. बख्शी गुलाम मुहम्मद के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgment in Bakshi Ghulam Mohammad Case	65
3187. विदेश-डाक दरें	Foreign Postal Rates	65—66
3188. मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण	Attacks by Mizo Rebels	66
3189. अम्बाला छावनी में विस्फोट	Explosion in Ambala Cantt.	66—67
3190. विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण	Kidnapping by Naga Hostiles	67
3191. गोआ के मुख्य मंत्री द्वारा भूख हड़ताल की धमकी	Hunger Strike threat by Goa Chief Minister	67—68
3192. पश्चिम बगाल में तेल की खोज	Exploration for Oil in West Bengal ..	68

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3193. विद्रोही नागा	Hostile Nagas		68
3194. हाई टेंशन इन्सुलेशन फैक्टरी	High Tension Insulation Factory	..	68—69
3195. औद्योगिक अशान्ति	Industrial Unrest	..	69
3196. ठेका श्रमिक प्रणाली	Contract Labour	..	69—70
3197. कनिष्ठ (जूनियर) कृषि विद्यालय	Junior Agricultural Schools	..	70
3198. बंगाल की खाड़ी में भू-कम्पनीय सर्वेक्षण	Seismic Survey in the Bay of Bengal	..	70
3199. लद्दाख उच्च अध्ययन संस्था	Ladakh Institute of Higher Studies		70—71
3200. नेफ्था का प्रयोग	Use of Naptha	..	71
3201. अवैध मदिरा तथा चरस का पकड़ा जाना	Seizure of Illicit Liquor and Charas	..	72
3202. एक पाकिस्तानी का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Pakistani National	..	72
3203. राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा भूमि की किस्में निर्धारित किया जाना	Soil Characters by N. A. O.	..	73
3204. कोयला खानों में छंटनी	Retrenchment in Coal Mines		73—74
3205. केन्द्रीय भर्ती संगठन का समाप्त किया जाना	Abolition of Central Recruiting Organisation	..	74
3206. विधि पाठ्यक्रम (ला कोर्स)	Law Course	..	74—75
3207. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा	Central Secretariat Stenographers Service	..	75
3208. दिल्ली के स्कूलों में दाखिला	Admissions in Delhi Schools	..	75
3209. रेलवे डाक सेवा मद्रास	R. M. S.. Madras	..	75—76
3210. हिन्दी के दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर)	Hindi Teleprinters	..	76
3211. हिन्दी तार पुस्तिका	Hindi Telegrams Manual	..	76—77
3212. विद्रोही मिजो लोगों के पास चीनी शस्त्रास्त्र	Chinese arms with Mizos	..	77
3213. कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	..	77—78

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

3214. उर्वरक कारखाना, गोरखपुर	Fertilizer Factory. Gorakhpur	..	78
3215. भारतीय टैनिस खिलाड़ी	Indian Tennis Players	..	78
3216. पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगी मिजो हिल्स सीमा का सुरक्षापूर्वक बन्द करना	Sealing of Mizo Hills Border with East Pakistan	..	78—79
3217. संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए प्रतिनियुक्त का कोटा	Deputation Quota for Union Territories	..	79
3218. मिजो लोगों द्वारा गश्ती दल पर गोली चलाना	Mizo Firing on Patrol Party		79—80
3219. मनीपुर में चीनी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	Arrest of Chinese in Manipur	..	80
3220. पाकिस्तानी डाकुओं द्वारा डकैती	Raid by Pakistani Dacoits	..	80
3221. बलात की ओर से पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak instrusion through Balat	..	80—81
3222. मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास	Madhya Bharat Gangajali Fund Trust	..	81
3223. त्रिपुरा में विस्थापित लोगों द्वारा देय ऋण की बकाया राशि	Debts due from Displaced Persons in Tripura		81
3224. त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases in Tripura		81—82
3225. त्रिपुरा में रिक्त राजपत्रित पद	Gazetted Vacancies in Tripura	..	82—33
3226. कारखानों में हड़तालें	Strikes in Factories		83
3227. दिल्ली में काम दिलाऊ, दफ्तर	Employment Exchanges in Delhi	..	83
3228. प्राथमिक शिक्षा माध्यम	Media of Primary Education	..	83—84
3229. भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारी	Personnel of I. F. A. S.	..	84
3230. भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारियों का विलय	Absorption of I. F. A. S. Personnel	..	84—85

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3231. पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को गृह-निर्माण ऋण	House building loans to refugees from East Pakistan	85
3232. अवर सचिवों की तालिका	Under Secretaries' Panel	85—86
3233. सरकारी क्षेत्र में लाभांश (बोनस)	Bonus in Public Sector Undertakings ..	86
3234. तेल समवायों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of Oil Companies ..	87
3235. बहादुरशाह जफर जयन्ती	Bahadurshah Zafar Anniversary ..	87
3236. भारत में राष्ट्रीय प्रयोग-शालायें	National Laboratories in India ..	88
3237. ज्योतिष महाविद्यालय, दिल्ली	Jyotish Mahavidyalaya, Delhi ..	88
3238. महिलाओं का अपहरण करने वालों का गिरोह	Gang of Women Lifters ..	88
3239. दिल्ली में तारों की चोरी	Theft of Wires in Delhi	88—89
3241. विशारद तथा मध्यमा की उपाधियां (डिग्रियां)	Visharad and Madhyama Degrees	89
3242. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	89—90
3243. दिल्ली में ड्राइंग के अध्यापक	Drawing Teachers in Delhi ..	90
3244. विदेशी लेखकों को रायल्टी	Royalty to Foreign Authors ..	90—91
3245. हथियारों के निर्माण के लिए लाइसेंस	Licences for the Manufacture of Arms ..	91
3246. मंडी लाबू वाली, राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	P. C. O. in Mandi Labuwali, Rajasthan ..	91—92
3247. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र	Certificate for Scheduled Caste Students ..	92
3248. हरिजनों को भूमि आवण्टन का रद्द किया जाना	Cancellation of Allotment of Land to Harijans ..	92—93
3249. तेल समवायों में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Job Security in Oil Companies ..	93

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			

3251. वरिष्ठता निर्धारित करने की कसौटी	Criteria for fixation of Seniority	..	94
3252. वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	Senior Staff Council	..	94
3253. केरल में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployment in Kerala	..	95
3254. बरहामपुर मुख्य डाक घर (हेड पोस्ट आफिस)	Berhampur H. P. O.	..	95
3255. बरहामपुर मुख्य डाकखाने के लिये इमारत	Building for Berhampur H. P. O.	..	95—96
3256. मंत्रालयों में आशुलिपिक (स्टोनोग्राफर)	Stenographers in Ministries		96
3257. भारत में ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries in India	..	96—97
3258. भाषा अध्यापकों की पदोन्नति	Promotion of Language Teachers		97
3259. पुलीकाल डाक घर (केरल)	Pulikal P. O. (Kerala)	..	97
3260. बंगलौर विश्वविद्यालय	Bangalore University	..	98
3261. विदेशी शक्तियों के साथ मिजो विद्रोहियों की सांठगांठ	Mizo Collusion with Foreign Powers		98
3262. विज्ञान सम्बन्धी निधियों में कटौती	Cut in Science Funds	..	99
3263. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के कर्मचारी	Employees of Hindustan Teleprinters		99
3264. मध्य प्रदेश के लिये नेफ्था	Naphtha for Madhya Pradesh		100
3265. मध्य प्रदेश में बच्चों को स्कूल भेजना	Schooling of Children in Madhya Pradesh	..	100—101
3269. केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Central Sectt. Officers	..	101
3270. चाय बागानों के मजदूरों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Tea Plantation Workers	..	101—102
3271. औद्योगिक सम्बन्ध	Industrial Relations		102
3272. कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना	Workers' Participation in Management	..	102—103

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3273. बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट	Unlicensed Pirate Radio Sets	..	103—104
3274. उत्तर प्रदेश के सोनायी गांव के लिये डाक व तार घर	Post and Telegraph Office for Village Saunai (U. P.)	..	104—105
3275. राजधानी में मोटरों के पुर्जों के चोर	Motor Parts thieves in the Capital	..	105
3276. एक विद्रोही मिजो युवक का जेल से भाग जाना	Escape of a Mizo Rebel from Jail		105
3277. रजिस्टर्ड लिफाफों में से करेंसी नोटों की चोरी	Theft of Currency Notes from Registered Covers	..	105—106
3278. मूर्त्ति चोरी का गिरोह	Gang of Idol Thieves		106
3279. बीड़ी मजदूर	Bidi Workers	..	106—107
3280. आन्नद नगर डाक घर (जिला गोरखपुर)	Anand Nagar P. O. (Gorakhpur Dist).		107
3281. फारेन्दा रेलवे स्टेशन	Pharenda Railway Station	..	107—108
3282. काश्मीर में पाठ्य पुस्तकें	Text Books in Kashmir	..	108
3283. कांगड़ा जिला थोक सहकारी समिति को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene to Kangra District Wholesale Cooperative Society		108—109
3284. ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण	Preservation of Historical Monuments		109
3285. प्रादेशिक भाषाओं में टेलीप्रिंटर	Teleprinters in Regional Languages	..	109—110
3286. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	Reservation for the Scheduled Castes in Survey of India		110
3287. अखिल भारतीय पशुपालन सेवा	All India Animal Husbandry Service	..	110
3288. नेताजी सुभाष चन्द्र बोष की स्मृति में डाक टिकट	Stamps in honour of Netaji Subhas Chandra Bose	..	110—111
3289. गोआ में आन्दोलन	Agitation in Goa		111
3290. दिल्ली के गांवों में बाढ़	Floods in Delhi Villages	..	111—112
गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege Against the Minister of Home Affairs	..	112—115, 117

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	115—119
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions—		
चौरानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-fourth Report		119
तारांकित प्रश्न संख्यां 718 में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 718		119—120
सदस्य के निलम्बन की समाप्ति	Termination of Suspension of Member		120—121
(श्री कपूर सिंह)	(Shri Kapur Singh)		
गिरफ्तार किये गये स्वर्णकारों की रिहाई के बारे में	Re. Release of Arrested Gold Smiths	..	121—122
दिल्ली विक्रय कर विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Sales Tax Bill—Introduced		122
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966—पुरस्थापित	Appropriation (No. 3) Bill, 1966—Introduced	..	122
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक—	Jayanti Shipping Company (Taking over of Management) Bill—		123—139
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider		123—126
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi		125—126
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma		126
श्री सोलंकी	Shri Solanki		127—128
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harishchandra Mathur		128—129
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia		129—130
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi		131
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghu Nath Singh		131—132
श्री तिरुमलराव	Shri Thirumala Rao		132—133
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta		133—137
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Datta		138—139
दक्षिण वियतनाम को ट्रकों के निर्यात के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion Re. Export of Trucks to South Viet-Nam	..	139—143
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta		139—140
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah		141—143

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 अगस्त, 1966/ 2 भाद्र, 1888 (शक)

Wednesday, August 24, 1966/Bhadra 2, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Inter-State Border Disputes

\+
*629 **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Rishang Keishing :
Shri R. S. Pandey :
Shri Sivamurthi Swamy :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to set up a permanent Committee to settle the inter-State disputes regarding border, distribution of river water and other such matters ;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) if no decision has yet been taken, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c). Commissions or Committees have been appointed in the past to deal with specific inter-State disputes having regard to the nature and requirements of each case. The question whether any further machinery should be constituted to settle such disputes is still under examination.

Dr. Ram Manohar Lohia : Hundreds and thousands of villages have to shift from one place to another where courses of river go on changing. There has been an agreement between Uttar Pradesh and Bihar Governments, but nothing has been done by the Government of India to see that the provisions of the agreement are complied with and nearly 50,000 or one

lakh people are found quarrelling. Why have the Central Government not taken any steps to enforce that agreement ? Do the Governments of Uttar Pradesh and Bihar take it as judicial award ? If one of these Governments abides by the agreement and the other does not, what do the Government of India propose to do then.

Shri Hathi : This agreement was arrived at by the two governments but if some sort of arbitration or decision by a court is necessitated for dispensing with the dispute of river water, there is provision under Section 256 of the Constitution and we have passed an Inter-State River Valley Disputes Act. This has not been used so far, but we have made necessary arrangements.

Dr. Ram Manohar Lohia : If it was a judicial award, Government of India should have enforced it. Why has this not been enforced ?

Shri Hathi : When there is an agreement between them, either of them can go to the Court.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is a judicial award.

Shri Hathi : It is arbitration.

Dr. Ram Manohar Lohia : My another question remains to be answered. Have Government thought over these disputes on Village or Tehsil, whether it is Maharashtra, or Mysore, Kerala or Tamilnad or Karnatak, with a view to constituting a commission by enforcing certain rules with regard to these disputes ? If so, with what results ?

Shri Hathi : No, Sir, we have not thought over constituting a commission, but when there is some specific case, Commission or Committee is appointed to deal with that. We have settled a number of disputes.

Shri Yashpal Signh : The disputes that are emanating from the delay in cases of murder of a Congressman by a Congressman then injuring each other, stopping of trains for two hours or so, all this may have some geographical or historical importance; how are the Government dealing with these cases ? What for is the Zonal Council or Commission meant and if they cannot settle all these disputes, what do Government propose with a view to thrashing out solutions of these disputes ?

Shri Hathi : The Hon. Member should not be worried about Congressmen.

Shri Madhu Limaye : His anxiety is over the affairs of the Country.

Shri Hathi : Such disputes should not be there when there is an agreement for arbitration.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, they have created a feeling of rancour and invidiousness throughout the country, among states and among people speaking different languages during the last 19 years, no matter if a linguistic state is formed or not, bilingual Bombay State is divided or not, Punjab is divided or not. They are thanked both for division of States or otherwise. Likewise they have been thanked for formation of linguistic States or otherwise I want to know whether any permanent solution will be found out on the basis of plebiscite to solve the boundary disputes between the States so that this matter may not arise again ?

Shri Hathi : No such solution has been thought out so far......

Shri Siddheshwar Prasad : What States are having boundary disputes and what States river water disputes ?

Shri Hathi : I will have to prepare their list.

Shri Siddheshwar Prasad : Sir, this information should be laid on the Table of the House.

Mr. Speaker : All right.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1178 के उत्तर में उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की सामान्य नीति यह रही है कि पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत निश्चित राज्य क्षेत्रों का कोई भी पुनर्समायोजन सम्बन्धित पत्रों के बीच करार के आधार पर होना चाहिए और भारत सरकार ने उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, मद्रास और अन्य राज्यों को इसकी सूचना पहले से ही दे दी है। क्या भारत सरकार की नीति अब भी वही है या इसमें परिवर्तन किया गया है, विशेषरूप से महाराष्ट्र मैसूर के सम्बन्ध में ताकि एक एक व्यक्ति का आयोग नियुक्त किया जा सके जिसकी प्रधान मंत्री ने घोषणा की है ?

श्री हाथी : जी, नहीं। भारत सरकार की नीति यह है कि यह हमेशा ही अच्छा और वांछनीय है कि ऐसे विवादों का हल पत्रों में शांतिपूर्ण समझौते से किया जाये। यदि पत्रों में करार नहीं हो पाता है तो समिति या आयोग की नियुक्ति का प्रश्न उठेगा।

श्री वासप्पा : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार एक आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, क्या आयोग को नियुक्त करने से पूर्व सरकार यह देखेगी कि कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का निर्णय पहले किया जाये। राज्यों के बीच विवाद चाहे नदी घाटी का हो या सीमा का हो जैसा कि मैसूर और महाराष्ट्र के बीच है, प्रत्येक विवाद में कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का निर्णय किया जाना होता है जैसे कि नदी घाटी विवादों के मामले में अकालग्रस्त क्षेत्र, क्षेत्र की आबादी, क्षेत्र में वर्षा आदि का और सीमा विवादों के मामलों में इन मामलों का जैसे कि क्या एक गांव एकक है या नहीं, वहां पर कितने प्रतिशत आबादी होनी चाहिए 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत इत्यादि। आयोग की नियुक्ति से पूर्व इन मूलभूत सिद्धान्तों का और आयोग के निर्देश पदों का निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन मूलभूत सिद्धान्त का पहले निर्णय करेगी ?

श्री हाथी : मैंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा है कि सरकार किसी विषय पर स्थायी रूप से आयोग नियुक्त करने पर विचार कर रही है। मैंने कहा था कि यह प्रश्न, कि क्या ऐसे विवादों को हल करने के लिये किसी अग्रेतर व्यवस्था का गठन किया जाये, अभी विचाराधीन है।

श्री वासप्पा : इनको हल करने से पूर्व इन मूलभूत सिद्धान्तों का निर्णय करना होगा।

श्री हाथी : इसलिये मैंने यह नहीं कहा है कि सरकार किसी स्थायी आयोग को नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : On this side of Jamuna river are Delhi, Rohtak, Karnal and Ambala and on that side are Muzaffarnagar, Meerut, and Saharanpur. Most often due to change in the course of the river the area of a village on one side is altered by

thousands of Bighas of land. Have Government found out any permanent solution for the farmers who lose their lands in this way.

Shri Hathi: Whenever there is such a dispute between two states that dispute is brought to the Zonal Council.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह धारणा बनती है कि महाराष्ट्र मैसूर विवाद के सम्बन्ध में सरकार ने एक व्यक्ति का आयोग नियुक्त करने के प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं किया है। सरकार की नीति क्या है, क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है, क्या सीमा निर्धारण के समय दोनों प्रान्तों को बांटने के लिये गाँव को एक एकक समझा जायेगा ?

श्री हाथी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य की धारणा सही नहीं है। मैंने अपने उत्तर में यह नहीं कहा है कि सरकार ने मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद के लिये आयोग नियुक्त करने के लिये अभी निर्णय नहीं किया है। प्रश्न यह था कि क्या सभी विवादों को निपटाने के लिये कोई स्थायी आयोग नियुक्त किया जायेगा और मेरा उत्तर था कि ऐसे विवादों के हल के लिये स्थायी आयोग नियुक्त करने के लिये कोई निर्णय नहीं किया गया था क्योंकि अब तक एक समिति या एक आयोग या एक खण्डीय परिषद की नियुक्ति द्वारा हम इन प्रश्नों को हल करते रहे हैं। (**व्यवधान**) इसलिये, ऐसी बात नहीं है। यह आयोग नियुक्त किया जाने वाला है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सीमांकन के मामले में गांव एक इकाई माना जाएगा ?

श्री हाथी : जहां तक सीमा निर्धारण के लिये एक गांव को एकक मानने के प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि सभा जानती है दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच निर्देश पदों पर बातचीत की जा रही है और जब उनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तो इसका पता लग जायेगा।

श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या : क्या सीमा आयोग की नियुक्ति के अनुसरण में, जहाँ तक मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद का सम्बन्ध है, क्या सरकार अन्य राज्यों के नदी सम्बन्धी विवादों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, क्या सरकार की जानकारी में ऐसे कोई उदाहरण लाये गये हैं और यदि हां, तो सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हाथी : इस समय हमें दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच स्वीकृत निर्देश पदों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बाद में हम उन मामलों को ले सकते हैं।

विधायकों के लिये आचार संहिता

+

*630 **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बागड़ी :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधायकों के लिये आचार संहिता अन्तिम रूप में तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसको सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). प्रारूप संहिता अभी विचाराधीन है। संसद सदस्यों तथा राज्य विधानांगों तथा प्रशासन के बीच सम्बन्धों का विनियमन करने तथा विधायकों की आचार संहिता पर विचार करने के लिये अभी हाल ही में संसद-कार्य विभाग ने कुछ संसद सदस्यों की एक बैठक की व्यवस्था की थी। उसके बाद संसद कार्य विभाग ने प्रारूप संहिता को कुछ संसद सदस्यों के पास उनके विचारों और सुझावों के लिये भेजा है।

Shri Yashpal Singh : Is there any such provision in this code of conduct as would preclude the members from taking the allowance for the day they do not attend....

श्री रघुनाथ सिंह : आप ले रहे हैं या नहीं ?

Shri Yashpal Singh : It never happened that I did not attend. It is impossible. This idea is simply inconceivable.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं उनको बताऊँगा कि आप कब नहीं होते।

Shri Rameshwaranand : Sir, you do not restrain those Hon. Members, what is this control of yours ?

Mr. Speaker : Shri Yashpal Singh is too strong to require my protection.

Shri Raghunath Singh : The Hon. Member has made an insinuation.

Mr. Speaker : How this controversy is relevant here ?

Shri Raghunath Singh : It is not proper to attack everybody in this manner.

Shri Yashpal Singh : Is there any provision in this code of conduct which would disentitle a Member to claim allowance for the day he does not attend the House ?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) : It is presumed that the Members of Parliament will not indulge in these trifling things. Therefore matters of ordinary integrity have not brought within the ambit of this code ; other matters have been covered.

Shri Yashpal Singh : If the Members of Parliament are not allowed to raise their voice for individual justice, then in view of the conditions in the law courts petitions will not be decided before the next elections start. About 80,000 cases are pending in each High Courts. If the Members of Parliament are not allowed to raise their voice for individual justice, how the work will be carried on ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

Shri Madhu Limaye : The Congress party has framed a Code of Conduct for its members. Is there any difference between that code of conduct and the ordinary code of conduct which has been drafted and is it a fact that the case of Shri Subramaniam etc. was not placed before the enquiry committee simply because if it had been placed before it, they would have to resign under the code of conduct ?

Shri Nanda : This question does not arise because it has nothing to do with the main question.

Mr. Speaker : Is there any difference between the two codes ?

Shri Nanda : The code of conduct for the Members of the Congress has nothing to do with the code of conduct of Members of Parliament.

Mr. Speaker : The code of conduct framed for the Congress Members of Parliament cannot be discussed here.

Shri Madhu Limaye : What is the difference between the two codes of conduct, so that better one may be adopted for Members of Parliament ?

Mr. Speaker : We cannot discuss congress code of conduct.

Shri Bagri : In view of the past events which shown clearly that every Minister on whom hand was laid had fallen, will the Hon. Minister have a provision in the code which would cover the relatives of the Ministers whether they be his father, son, husband or wife ?

Shri Nanda : This code is for the Members. For the Ministers there is a separate code of conduct which had already been laid here. This code has not so far been finalised. If has just now been circulated to the leaders of the parties. They are at liberty to give any saggestion they like in that and we must sit together to consider it.

Dr. Ram Manohar Lohia : Today the Legislators including the Ministers and the bureaucrats are working in reverse directions. Has the Hon. Minister considered it that the duty of the bureaucracy is to execute the policy and that of the Legislators and Ministers to frame policies. But in actual practice they are working in reverse directions. If the Hon. Minister has pondered over it; what measures have been thought out, if not, why not ?

Shri Nanda : I replied that it includes certain provisions which were indicated by Shri Madhu Limaye. Apart from them there are certain other provisions also. Copy of that has been circulated to the Party Leaders. After they have given their opinion we will further consider it. If he wants to suggest anything he can do so through the Party Leader.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon. Minister must tell the broad features. After-all that is not a blank paper. He must state the correlation between the policy and the execution.

Mr. Speaker : Doctor Sahib, he says that it is at the draft stage. The opposition parties will be consulted at the time it is finalised.

Dr. Ram Manohar Lohia : The draft must be containing something. It is very necessary that we be enlightened about the broad basis of the draft.

Mr. Speaker : The draft that has been circulated may please be laid on the Table.

Shri Nanda : I shall do it.

Shri Bibhuti Mishra : Code of conduct is an unwieldy thing. I want to know whether the Hon. Minister wants to give the mode of functioning or he wants to examine our code of conduct. The code of conduct is different from the mode of working. Does the Hon. Minister make any distinction between the two and if so, to what extent ?

Shri Nanda : None else, but the Members are framing it.

Shri Bibhuti Mishra : The question is not who frames it. I want to know whether the proposed code of conduct aims at enumerating the functions of the members or at rectifying our code of conduct ?

Shri Nanda : About the functioning of the Members of Parliament there are already so many rules framed by the speaker. Apart from that many things have been included.

Shri Vishram Prasad: I want to know the broad details of it and how long it will take for finalisation?

Mr. Speaker: I have asked it to be laid on the Table.

श्री हेम बरुआ : क्या प्रस्तावित आचार संहिता में निश्चित रूप से यह शर्त रखी जायगी कि सदस्य या विधायक अपनी निजी कारों का कभी भी निजी टैक्सियों के रूप में प्रयोग नहीं होने देंगे और अपने सरकारी निवासों या फ्लैटों या सर्वेंट क्वार्टरों या अपने मोटर गैराजों को कभी भी आगे किराये पर नहीं चढ़ायेंगे ?

श्री त्यागी : आपका क्या मतलब है ? मैं इसका विरोध करता हूं। यह कहना कि सदस्य चोरी नहीं करेंगे—क्या यह आ सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हेम बरुआ : यह आता है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यदि माननीय सदस्य इस बात को महत्व भी देना चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं तो भी उनको संसद में यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । सभा की भी एक समिति है जो कार्यवाही करती रही है । यदि फिर भी उनको कोई शिकायत हो तो उन्हें इसको समिति की जानकारी में लाना चाहिए । वह हमारी समिति है । हम वहां कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह सभी सदस्यों पर आरोप है । यदि कोई वैसे सदस्य हैं तो उन्हें उनको पकड़ना चाहिए । परन्तु एक सामान्य आरोप लगाना अनुचित है । क्या वह समझते हैं कि केवल वही एक पवित्र आत्मा यहां पर हैं ?

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है ? इससे पहले एक अवसर पर मैंने आपका तथा इस सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि कुछ संसद-सदस्य अपने सरकारी निवास-स्थानों, फ्लैटों, गैरेज और नौकरों के क्वार्टरों को किराये पर देते हैं । मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि हुआ कुछ भी नहीं । संसद-सदस्यों में फैले इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया । यदि हम जनता के प्रतिनिधि होकर इस प्रकार पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, तो देश का क्या होगा ?

श्री स्वैल : यदि माननीय सदस्य को कोई विशेष जानकारी है, तो उन्हें वह अध्यक्ष महोदय को देनी चाहिए और सब सदस्यों के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए । यह आपत्तिजनक बात है ।

श्री हेम बरुआ : मैंने आपका तथा समिति का ध्यान इस ओर दिलाया था और पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान ब्लैक-आउट नियम के पालन करने के बारे में श्री सत्य नारायण सिंह ने संसद्-सदस्यों को एक पत्र भेजा था । मैंने उन्हें सूचित किया था कि अपने फ्लैट किराये पर देने वाले संसद्-सदस्य इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि वे इस ओर आपका ध्यान दिलायें । उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनावश्यक ही परेशान हुए हैं। इस प्रकार जोश अथवा रोष में आने की कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने मुझे लिखा था, तो हमने समिति की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें वे भी उपस्थित थे। उसमें कुछ निर्णय किये गये थे और सभापति से उनके अनुसार कार्यवाही करने को कहा गया था। हमने उन्हें नोटिस दिये थे और उनके उत्तर प्राप्त हुए थे। उनमें से कुछ को हटा दिया गया था। कुछ ऐसे मामले भी रहे हैं जिनमें अन्तिम परिणाम नहीं निकला। हम उन पर पुनः विचार कर सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मैं आपको अपने साथ ले जाकर ऐसे फ्लैट दिखा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी हालत में मैं जाने को तैयार हूं।

Shri Bibhuti Mishra: No M. P. belonging to the Congress Party has sub-letted his official residential. We had taken action in this regard, of course, members of the opposition are doing it.

Forms for Admission to the Schools in Delhi

*631. + **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the admission forms in all the Government and private schools in Delhi are in English;

(b) whether it is also a fact that it causes great difficulty to the illiterate parents in getting their children admitted to the schools even though the admission may be for the primary class; and

(c) whether Government propose to take any steps to get the forms printed in Hindi?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b): For admission to schools under the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Cantonment Board, admission forms are printed in Hindi. Government schools under the Delhi Administration and the schools under the New Delhi Municipal Committee have these forms both in Hindi and English. In many of the privately managed aided Higher Secondary Schools under Delhi Administration, the forms are available both in Hindi and English, but some of these schools use admission forms in English only.

No complaints have been received by the Delhi Administration about any difficulty being experienced by the parents in getting their children admitted to any class on account of the forms being in English.

(c) Question does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the number of students who filled the admission forms in English and those who filled the same in Hindi? How many students faced difficulty in filling or could not fill the admission forms as the same were in English?

श्री मु० क० चागला : मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि दिल्ली में किसी भी विद्यार्थी को हिन्दी में फार्म भरने में अथवा अंग्रेजी न जानने के कारण कोई कठिनाई नहीं हुई और दूसरा प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं और फिर दोहराता हूं कि केवल कुछ ही स्कूलों के फार्म अंग्रेजी में हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि उन्हें भी फार्म हिन्दी में छपवाने चाहिये। ऐसे मामलों में भी हमें कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी विद्यार्थी को इस कारण कठिनाई हुई है कि उसे हिन्दी ही आती है और अंग्रेजी नहीं आती। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has just now stated that certain schools have got English forms. May I know the names of these schools and whether they are private or Government Schools? What arrangements have been made to make Hindi forms available to such schools?

श्री मु० क० चागला : वे गैर-सरकारी स्कूल हैं। ऐसा एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जहां पर हिन्दी फार्म न हों। हम ऐसे गैर-सरकारी स्कूलों से भी लिखा-पढ़ी कर रहे हैं और उनसे फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाने के लिये कह रहे हैं।

Shri Rameshwaranand: Which are those schools and what are the difficulties being faced by them in this behalf?

श्री मु० क० चागला : हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। इन गैर सरकारी स्कूलों से भी हमने अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में फार्म छपवाने के लिये कहा है। मैं आशा करता हूं कि थोड़े ही समय में दिल्ली के सभी स्कूलों में हिन्दी फार्म होंगे।

Shri Rameshwaranand: I want to know the names of these schools.

Mr. Speaker : All the names cannot be given. It is not necessary.

Shri Raghunath Singh: There was an impression that schools in Delhi do not have Hindi forms. Since there are forms in Hindi, we are satisfied and thank the Hon. Minister.

Mr. Speaker : Next Question.

बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों का पुनर्वास

+

*632. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ल० द्विवेदी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बर्मा से विस्थापित होकर स्वदेश लौटे लोगों को, जो

छोटे उद्योग अथवा छोटे कारबार करना चाहते हैं, 5,000 रुपये और सहकारी उद्योग स्थापित करने के इच्छुक ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को 10,000 रुपये देने की एक योजना बनाई है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ऐसे व्यक्तियों को खेती योग्य भूमि तथा तकावी ऋण भी दे रही है;

(ग) क्या दिल्ली राज्य/प्रशासन ने दिल्ली में बसे हुये शरणार्थियों के लिये राजस्थान सरकार की योजना के समान कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली राज्य का ऐसे विस्थापित लोगों को कब ऋण, प्लाट तथा खेती योग्य भूमि देने का विचार है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) राजस्थान सरकार छोटे पैमाने के व्यापार अथवा कारबार के लिये प्रति परिवार 5,000 रुपये तक और उद्योग स्थापित करने के लिये प्रति परिवार को 10,000 रुपये तक ऋण देती है। औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित करने के लिये छोटे उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ). इस विभाग द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन व्यापार अथवा कारबार के लिये प्रति परिवार 2,000 रुपये तक ऋण देता रहा है । हाल में यह सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति परिवार कर दी गई है । दिल्ली में कृषि योग्य भूमि देना संभव नहीं हो सका है क्योंकि यहां ऐसी भूमि उपलब्ध ही नहीं है ।

मकानों तथा दुकानों के लिये प्लाटों के नियतन का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री नि० रं० लास्कर : यह अच्छी बात है कि कम से कम कुछ राज्यों ने इन व्यक्तियों को बसाने के लिये योजनायें बनाई हैं । क्या कारण है कि दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रार्थना करते रहने पर भी योजना तैयार नहीं कर रहा है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने बताया कि भूमि नहीं दी जा सकती । लेकिन हमारे विभाग द्वारा स्वीकृत की गई योजना के अनुसार 2,000 रुपये तक ऋण देने की व्यवस्था है और इसे बढ़ाकर अब 5,000 रुपये कर दिया गया है ।

श्री नि० रं० लास्कर : दिल्ली राज्य के लोगों से व्यापार के हेतु ऋण के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और अब तक उनमें से कितनों को सहायता दी गई है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : दिल्ली राज्य में अब तक लगभग 31 व्यक्तियों को ऋण दिया गया है और तीन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: Where it is not possible to allot land, they should be given at least sufficient money to enable them to start some business. How is it possible for a displaced family to start a business or settle in Delhi or any other part of the country with Rs. 2,000, which too is given in two instalments of Rs. 1,000 each? What steps are proposed to be taken by Government to remove this difficulty in Delhi and other parts of the country?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैं अभी कह चुका हूं कि पुनर्वास विभाग द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार पहले 2,000 रुपये तक व्यापार के लिये ऋण दिये जा सकते थे; अब इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।

Shri M. L. Dwivedi: How many people of Indian origin displaced from Burma came to Delhi, how many have been rehabilitated and the number of those who are yet to be rehabilitated? Have facilities similar those given by the Rajasthan Government been provided by any other state; if not the reasons therefor?

श्री दा० रा० चह्वाण : रंगून स्थित हमारे दूतावास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 24 व्यक्ति दिल्ली आये लेकिन अब लगभग 100 परिवार दिल्ली में आ गये हैं। हाल में हमने दिल्ली प्रशासन से दिल्ली आने वाले लोगों के नामों का पंजीयन करने के लिये कहा है। नवीनतम जानकारी के अनुसार परिवारों की संख्या लगभग 280 है। जैसा मैंने अभी बताया था, लगभग 31 परिवारों को पुनर्वास ऋण दिया जा रहा है और तीन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

Shri M. L. Dwivedi: Have these persons been rehabilitated in some other part of the country also and what are the facilities provided to them there?

श्री दा० रा० चह्वाण : 1,50,000 व्यक्ति आ चुके हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में आये हैं, मद्रास में लगभग 80,000 और आन्ध्र प्रदेश में 20,000 व्यक्ति आये हैं। अन्य राज्यों में कम व्यक्ति आये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मंत्रालय इन लोगों को दी जाने वाली सहायता अथवा ऋण का एक समान ढांचा बनाने के बारे में सोच रहा है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार राज्यों को कितना धन देगी ?

श्री दा० रा० चह्वाण : समानता बनाये रखी जाती है। व्यापार के हेतु ऋण के मामले में केन्द्रीय सरकार 80 प्रतिशत राशि देती है और शेष 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देती है। सहायता का ढांचा सब जगह एक समान है।

Shri Kashi Ram Gupta: The loan of Rs. 5,000 is given by Rajasthan Government under any scheme of Government of India or they have got their own scheme. Have the areas for grant of such loans also been specified? Are the loanees also told in which industries the loans could be utilised? How many repatriates from Burma have been given this assistance?

श्री दा० रा० चह्वाण : राजस्थान में तो बहुत थोड़े परिवार आये हैं, उनकी संख्या केवल

17 है। उन्हें 5,000 रुपये तक सहायता दी जाती है। यदि इससे अधिक सहायता दी जाती है, तो राजस्थान अपने पास से देती है। सम्भवतः परिवारों की संख्या कम होने के कारण राजस्थान सरकार इन लोगों को अधिक धन देती है। अब तक भारत में लगभग 39,000 व्यक्तियों को यह सहायता दी जा चुकी है।

श्रीमती सावित्री निगम : बर्मा से वापस आने वाले इन लोगों में से बहुत से व्यक्तियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उनमें से बहुत से लोग, जिनका बहुत भारी व्यापार था और उनके पास अब भी वहां पर बहुत सा धन तथा आभूषण है, यहां आकर घूमते फिर रहे हैं क्योंकि इस समय जो थोड़ा सा धन दिया जा रहा है, उससे व्यापार आरम्भ नहीं किया जा सकता। क्या सरकार कोई ऐसी योजना बनायेगी जिसके अन्तर्गत इन लोगों को बैंकों में जमा उनकी विवादास्पद बहुत सी राशि के आधार पर उन्हें ऋण दिया जायेगा जिससे वे अपना व्यापार आरम्भ कर सकें और उसे किश्तों में वापस कर दें।

श्री दा० रा० चह्वाण : बर्मा में छोड़ी गई सम्पत्ति और आस्तियों का प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि वे यहां पर घूम रहे हैं। अभी मैं कह चुका हूं कि 25,639 व्यक्तियों को व्यापार हेतु ऋण दिये गये हैं और लगभग 11,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। लगभग 2,694 व्यक्तियों को भूमि बस्तीकरण योजनाओं के अन्तर्गत भूमि के रूप में तथा अन्य सहायता दी गई है। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 39,000 है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि अधिकांश अभागे भारतीय ने, जिन्हें बर्मा छोड़ने पर बाध्य किया गया था, अपने जेवरात तथा अन्य निजी सम्पत्ति रंगून में भारतीय दूतावास के पास जमा कर दी थी, जिसने हमेशा की तरह दीनता से सारी सम्पत्ति की सूची बर्मा सरकार को दे दी जिसका परिणाम यह हुआ कि स्वदेश लौटने वाले इन अभागे व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति वापस प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है। वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री दा० रा० चह्वाण : माननीय मित्र ने यह प्रश्न पहले भी पूछा था। यह प्रश्न वैदेशिक कार्य मंत्रालय से पूछना चाहिये।

Shri M. L. Verma : Just now he has stated that the Rajasthan Government are advancing Rs. 5,000 or more, I would like to know from the Hon. Minister, when people from Kenya, Burma and Pakistan are thronging, why should the Central Government not take up its full responsibility?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने अभी कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने ही ऋण देने की तथा दूसरी जिम्मेवारियां भी अपने ऊपर ली हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि केन्द्र अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहा है।

श्री रंगा : यह देखते हुये कि वे आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में बहुत बड़ी संख्या में आये हैं, क्या सरकार ने विशाखापटनम, हैदराबाद, नेवेली तथा दूसरे स्थानों पर भी, जहां वे सरकारी

क्षेत्र में आते हों, नये औद्योगिक केन्द्र खोलने की व्यवस्था की है ताकि इन लोगों को यदि वे रोजगार के लिये आवेदन पत्र दें तो वरीयता दी जा सके ?

श्री दा० रा० चह्वाण : सभी राज्य सरकारों को इन लोगों के लिये राज्य सरकार के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत या दूसरे सरकारी उपक्रमों में प्राथमिकता देने के निदेश दिये जा चुके हैं। नये उद्योग आरम्भ करने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

Shri Sheo Narain : Mr. Speaker, I would like to know whether some of the displaced persons, who have come from Burma and have deposited their money there, have been employed by the Railway Department ?

श्री दा० रा० चह्वाण : मैंने अभी कहा कि 11,000 लोगों को रोजगार पर लगाया गया है। रेलवे ने भी कुछ लोगों को लगाया होगा, किन्तु मेरे पास उसके अलग से आंकड़े नहीं हैं। इसके लिये अलग से प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

*633. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 23 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये रूस से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के बारे में अन्तिम रूप से समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) निर्दिष्ट उत्तर में बताया गया है कि रूसी अधिकारी एक कोक निस्तापन (Calcination) संयंत्र की स्थापना में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने में सहमत हो गये हैं। अभी इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Shri Vishwa Nath Pandey : Just now the Hon. Minister has stated that no final agreement has been reached with Russia. With ragard to technical and Financial Assistance I would like to know as to what is the obstruction in the way of final agreement, even after this protracted span of time involved in these discussions ?

Shri Iqbal Singh : This question was regarding utilisation of bye-products and in that context the discussion for agreement with Soviet Government was about coke calcination plant. The Soviet Government have not furnished the results of the bye-products so far and nothing can be assessed till then. And it may take two years to install the plant after that.

Shri Vishwa Nath Pandey : In view of the delay regarding agreement with Russia,

I would like to know whether Government proposed to enter into an agreement with some other foreign Countries and if so which are those countries?

Shri Iqbal Singh : In view of this delay Refinery Division has asked M/S Engineering India to assess the amount of expenditure and as to what kind of Plant it would be and how it would be installed.

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that there is dearth of Technical know how in the Soviet Union and therefore they are delaying the agreement?

Shri Iqbal Singh : The Soviet Government said that after completion of studies regarding Pilot Plant, they would requisition it from Czechoslovakia and make it over to India, but it would take 2 years.

Shri A. P. Sharma : I would like to know whether the bye-products referred to by the Hon. Minister, would be produced by Barauni Refinery or something else is being thought over ?

Shri Iqbal Singh : It pertains to the bye-products of Barauni Refinery.

Shri Kashi Ram Gupta : The Refineries installed in our country so far are producing more Petrol than Diesel oil etc. As a result Petrol is surplus. I would like to know whether in view of such conditions some technical arrangements would be made to see that Petrol is produced less and Diesel is produced more ? Is this a part of the plan or not ?

Shri Iqbal Singh : Petrol and high speed Diesel are extracted from Crude oil in any refinery. Some minor adjustments of one or two per cent. can be made but all these things, namely, Petrol, high speed Diesel, Kerosene etc. are all extracted from crude oil. Whenever crude oil is refined, all these things are bound to be extracted.

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या यह सच है कि बरौनी से नैफ्था विदेशों को भेजा जाता है तथा वहां पर जो उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाने वाला था, उसका काम स्थगित किया गया है या बिल्कुल छोड़ दिया गया है ?

Shri Iqbal Singh : We are trying to export Naphtha because as long as we do not have an indigenous pipe line, it would not be economic till then... (**interruption**)... Please listen to me for a while. The matter of erecting fertilizer factory is under consideration.

Shri Bhagwat Jha Azad : If the proposed technical and financial assistance from Russia is obtained, which particular sector of this factory is liable to increase its production consequently ? What would be the extent of increase in production capacity?

Shri Iqbal Singh : So far as Barauni Refinery is concerned, it has been set up with Russian assistance both financial and technical. The first million unit has been completed, the second one is nearing completion and for the third million unit they have given assurance for assistance and an agreement has also been reached.

दास आयोग का प्रतिवेदन

\+
*634. **श्री बागड़ी :** **श्री रामसेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **श्री गुलशन :**
श्री मौर्य : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने दास आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर अंतिम

कार्यवाही कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने पदाधिकारियों और गैर-पदाधिकारियों के विरुद्ध अभी कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) अन्तिम कार्यवाही कब तक की जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). दास आयोग के प्रतिवेदन पर बाद में की जाने वाली कार्यवाही पंजाब सरकार द्वारा श्री आर० एस० कृष्णास्वामी के प्रतिवेदन और श्रीवास्तव समिति के प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी। फलतः अभी मुख्यतः आठ पदाधिकारियों तथा दो गैर पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही पूरी की जानी है।

(ग) प्रत्येक मामले पर सभी पहलुओं से पूरी तरह विचार करना पड़ा जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत सारे रेकार्डों की जांच करनी पड़ी।

(घ) कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि कुछ मामले न्यायालयों के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

Shri Bagri : Mr. Speaker, I would like to know whether the Hon. Minister is aware that the Central Government appointed a man to enquire into the charges made out by Shri Das while carrying out his investigations against Government officials and Ministers? How many such government officials are there in both the reports against whom there are charges ? Has action has been taken against all of them and if not, what are the reasons therefor ?

Shri Hathi : After Das commission had submitted its report, Shri Krishnaswamy was appointed as a Special Officer. But he advised the appointment of a High Power Commission and as a result, a committee was constituted under Shri Srivastava, a retired Judge of Allahabad High Court. This Committee served charge sheets against 39 persons. I have just now stated that out of these only one case remains to be settled and the rest have been cleared.

Shri Bagri : Mr. Speaker, my question has not been fully answered. I would like to know whether the retired judge who was appointed for carrying out investigations has established charges against ?9 persons or served charge sheets on 39 persons ?

Shri Hathi : Krishnaswamy has reported against 36 persons and the Srivastava Committee referred to 12 persons in its report.

48 अधिकारियों पर आरोप लगाये गये थे, जिनमें से 8 मामलों में अभी जांच हो रही है।

Shri Bagri : Is the Hon. Minister aware of the fact that the follow up action on Das Commission Report was taken against some Government Officials but no action has been taken against Ministers and Legislatures ? They are discriminating between Government Officials and elected representatives, as Shri Chagla made an statement for exonerating Shri Chand Ram. Thus, while some persons are being proceeded against, others are, at the same time, being exo-

nerated. Are Government aware of the results thereof and if so what action are Government proposing to prevent the state of affairs ?

Shri Hathi : The cases against officials are being proceeded and there is no such thing, so far as Ministers are concerned.

Shri Bagri : I have referred to Chand Ram.

Mr. Speaker : You should not cite name.

Shri Bagri : Let name be left aside. Something has been said against M. L. As. in the report. On the one hand the Ministers are absolved of all charges and on the other Government Officials are proceeded against. Has the Hon. Minister thought over the consequences of all this ?

Mr. Speaker : He has said that the consequences have been thought over.

Dr. Ram Manohar Lohia : In the "Rapat" (रपट) of Das Commission.

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : 'Rapat'

He should not try to become an English man. For the last 80 years it is report in English and Rapat in Hindi. They want to turn Hindi words into English words.... (**Interruptions**). The word 'Rapat' should be used in all languages now.

There were serious charges against Chief Secretary and Transport Secretary according to the Report of Das Commission. Why have they not been proceeded against so far. Why have these two Ministers—Mohan Lalji and Brish Bhanji been reinstated when they were not deemed fit for those posts ?

Shri Bhakt Darshan : They are not Ministers now.

Dr. Ram Manohar Lohia : They are Members of the Assembly.

Shri Hathi : Srivastava Committee saw that there was no case for Civil or Criminal action against them and when they have resigned, there is no question of political against them now. So far as Secretaries are concerned, I think, they have been proceeded against.

Dr. Ram Manohar Lohia : When there is a clear case of seirous charges, against Chief Secretary and Transport Secretary according to the report of Das Commission, why should there be vague answers ? Have they been terminated or prosecuted in some court ?

Shri Hathi : The Chief Secretary was transferred to some other post (**Interruption**).

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What sort of punishment is it—in trasferring a person from one place to another ? (**Interruption**)

Mr. Speaker : Order, order. I can not say as to why they have been punished, but I can only elicit information. He has said that the Chief Secretary has been transferred.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is clearly written in the report of Das Commission that action should be taken against these Secretaries, and inspite of all that they are simply transferred from one place to another....

Shri Bagri : I am rising on a point of order.

Mr. Speaker : There is no point of order in it. Point of order should not be raised without sufficient reasons for that.

Shri Bagri : What should be done, when the Ministers do not answer the question ?

Do you think that this question has been answered properly ? The Ministers do not come out with definite answers. The action, taken against that Secretary, should be clearly stated.

Mr. Speaker : Please sit down.

श्री दाजी : प्रश्न यातायात सचिव के सम्बन्ध में भी था, उन्होंने केवल मुख्य सचिव के बारे में बताया ।

Shri Hathi : As I have just now stated that out of 48 officers who have been proceeded against, there are Transport Secretary, Director of Industries and so many others. I remember the case of Chief Secretary because I have seen it and I do not exactly know as to what has been done against Transport Secretary. Action has been taken against 48 officers. (**Interruption**).

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, is it a fact that the action taken or is proposed to be taken according to the recommendations of Chagla Commission and Das Commission, is being strongly objected to by the Ministers as well by some union of I. C. S. officers ? Their plea is that no action should be taken against them. The action will be fraught with grave consequences.

Shri Hathi : That question does not arise out of this question.

Shri Madhu Limaye : Why not ?

Shri Hathi : The question is regarding the action taken by the Punjab Government.

Shri Madhu Limaye : Is not my question connected with that ? Please decide.

Mr. Speaker : At this moment the question does not arise.

Shri Madhu Limaye : Why ?

श्री दाजी : प्रश्न का यह भाग कि क्या सचिवों के संघ ने पंजाब सरकार द्वारा कार्यवाही करने पर आपत्ति की संगत है ।

Shri Madhu Limaye : I have referred to community of Ministers and I.C.S. officers—would not he answer that ?

Shri Hathi : I shall answer but let the question arise.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या पंजाब सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के मामले में कोई बाधा डाली गई थी या आपत्ति की गई थी ?

श्री हाथी : न ही किसीने कोई आपत्ति की और न बाधा डाली ।

Shri Maurya : The cancer of corruption has become clear in the life of the country. Under such circumstances when the report of Das Commission regarding Punjab is there and another gutter of filth has flowed from another direction, I would like to know whether Government would take action against Corrupt Ministers or Government Officials, who go on amassing wealth, and seize their property ?

Shri Hathi : There is provision for action according to the Acts framed or passed by Parliament. This is not a fact that the recommendations of Das Commission are being avoided deliberately for protecting or shielding the corrupt ex-ministers or officers. Nobody shall be spared.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि पंजाब के नये राज्यपाल श्री धर्मवीर ने बड़ी अच्छी शुरुआत की थी, किन्तु अब उन्होंने भी भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में ढील दे दी ?

यदि हां, तो क्या यह ढील दिल्ली के राजनीतिज्ञों और पंजाब के राजनीतिज्ञों के दबाव डालने पर दी गई, क्योंकि उन्हें आने वाले आम चुनावों में गुप्त धन देने वालों से सहयोग न मिलने की आशंका हो गई थी ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : क्या मैं इसका उत्तर दूँ ? पहले तो मुझे माननीय सदस्य के विचार को ठीक करना है । पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह कोई असाधारण बात नहीं है । सभी राज्यों में ऐसी कार्यवाहियां की गई हैं । (**व्यवधान**) मैं इसके सही आंकड़े सभा के समक्ष रखूंगा... (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनको इन कार्यवाहियों का श्रेय राज्यपाल को देने में उदारता दिखानी चाहिये ।

श्री नन्दा : मैं उस पहलू पर आ रहा हूँ । राज्यपाल ने अपनी पहलशक्ति का प्रयोग किया और इसकी सराहना की गई । उनके ऊपर इन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया । (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अल्प सूचना प्रश्न ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

आपातकाल कमीशन-प्राप्त अधिकारी

+

अ० सू० प्र० 16. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल कमीशन प्राप्त लगभग 5,000 अधिकारियों को, जिन्होंने चीनी आक्रमण का मुकाबला किया तथा भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भी लड़े, नौकरी से निकाला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या नये अल्पकालीन सेवा अधिकारियों की भर्ती की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) आपाती कमीशनें 1963-65 की अवधि के दौरान आपात स्थितिकाल के लिए और उसके पश्चात् उस समय तक के लिए प्रदान की गई

थीं कि जब तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता रहे, और अन्य बातों के साथ ऐसा स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी अफसर की कमीशन किसी समय भी भारत सरकार द्वारा समाप्त की जा सकती है, अगर उसकी सेवाओं की और आवश्यकता न रहे। अर्ह आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों को स्थायी कमीशन के लिए आवेदन देने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों की कुल संख्या शक्ति का अधिकाधिक एक तिहाई कोटा नियत किया गया है और इस उद्देश्य के लिए उनका सर्विसिज सिलेक्शन बोर्डों द्वारा इण्टर्व्यु किया जा रहा है। जिन्हें अनर्हता प्राप्य रिक्त स्थानों के लिए अथवा न चुने जाने के कारण स्थायी कमीशनें नहीं दी जातीं, जिनकी संख्या लगभग 6000 होगी उन्हें 1967-70 की चार वर्षों की अवधि के दौरान प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार सेवा से विमुक्त किया जाएगा।

(ख) मुख्य कारण हैं :--

(1) उन सभी को रखने से अफसर काडर में आयु और सेवा ढांचे में असंतुलन पैदा हो जाएगा, और प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी; और

(2) सभी समयों में, अल्पकाल के लिए सक्रिय सेवा और उसके पश्चात् और अधिक अवधि के लिये रिजर्व देयता सहित निम्न पदों में सेना में अल्पकालीन कमीशन प्राप्त जवान अफसरों का कुछ अंश रखना आवश्यक है, कि जिन्हें साल बसाल पर्याप्त संख्या में भर्ती कर पाना संभव नहीं होगा, अगर सभी आपाती कमीशन प्राप्त अफसर सेवा में रख लिए जाएं।

(ग) जी हां।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही नित अपनी सेना में वृद्धि कर रहे हैं और यह खबर हमें प्रतिरक्षा मंत्री ने दी थी, हम अपने सेना अधिकारियों की संख्या में 5000 या 6000 की कमी क्यों कर रहे हैं जिन्होंने वास्तव में हमारे जवानों के साथ साथ लड़ाई लड़ी है? सारी बात के पीछे क्या कारण है?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सारी बात के पीछे हमारा उद्देश्य अधिकारियों की संख्या को घटाना नहीं है क्योंकि जब हम इन सब अधिकारियों को छोड़ते हैं तो अधिकारियों की भर्ती का भी एक योजनाबद्ध कार्यक्रम होगा। आपात योजना का यह एक अनिवार्य भाग है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया सैनिक अधिकारियों की श्रेणी के ढांचे की ओर हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है, क्योंकि हमें सेना को हमेशा जवान और योग्य रखना है और यह भी उद्देश्य है कि जवान अधिकारियों की भर्ती की गुंजाइश बराबर बनी रहे।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि वह जवान खून या जवान अधिकारी चाहते हैं। क्या इन सबके सब 6000 अधिकारियों को सेवा से इसलिये उन्मुक्त किया जा रहा है कि वे बूढ़े हैं या 30 वर्ष या किसी भी तरह 35 वर्ष से अधिक उनकी आयु नहीं है और यदि हां, तो क्या जब तक इनको कहीं कोई और रोजगार न मिल जाये कुछ और अवधि के लिए रखा जायेगा या उनको किसी प्रकार का "रिटेनर" भत्ता दिया जायेगा?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया अधिकारियों की कुल संख्या के एक तिहाई को स्थायी कमीशन दिया जायेगा जिसके लिये चयन कार्य आरम्भ हो गया है। शेष 6000 के बारे में निश्चय ही सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनको वैकल्पिक रोजगार दे। उसके लिये सेवा की अन्य श्रेणियों में उनको काम देने के लिये कुछ निर्णय किये गये हैं। इस विषय में मैं कुछ जानकारी दूंगा।

इन लोगों के लिये निम्न सेवाओं में रिक्त स्थानों की कुछ प्रतिशतताएं निर्धारित की गई हैं : भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा में इन लोगों के लिये 20 प्रतिशत स्थान रक्षित किये गये हैं ; भारतीय पुलिस सेवा में 30 प्रतिशत रक्षित किये गये हैं ; केन्द्रीय सेवाओं में, गैर तकनीकी श्रेणी एक के पद जिनमें रेलवे के अन्तर्गत पद भी शामिल हैं 25 प्रतिशत ; केन्द्रीय सेवाओं में, गैर तकनीकी श्रेणी दो के पद जिनमें रेलवे के अन्तर्गत पद भी शामिल हैं 30 प्रतिशत।

हमने राज्य सरकारों से भी ऐसा ही अनुरोध किया है कि वे अपनी सेवाओं में भी ऐसे स्थान रक्षित रखें।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमें उन व्यक्तियों के प्रति ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे कि वे निरुत्साहित हों, जिन्होंने आपात के समय में देश भक्त बनकर सेना के लिये अपनी सेवाओं को अर्पित किया, क्या सरकार ने इन व्यक्तियों को उस समय उच्चतम प्राथमिकता— न केवल एक तिहाई तक ही— देने की आवश्यकता पर विचार किया है। जब सरकार स्थायी कमीशन के लिये, नये व्यक्तियों की भर्ती करे विशेष रूप से क्योंकि उनको, कमीशन की प्राप्ति से पहले ही काफी कड़ी परीक्षाओं और जांच से गुजरना पड़ा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब मैंने कहा कि सम्बन्धित सेवाओं में रिक्त स्थानों की कुछ प्रतिशतताएं रक्षित की गई हैं तो उसका अर्थ है कि उनको उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से निश्चय ही अधिक प्रतिशतता चाहता हूं, परन्तु सरकार को केवल मेरे व्यक्तिगत विचार को ही ध्यान में नहीं रखना है अपितु सम्बन्धित सेवाओं के हितों को भी ध्यान में रखना है।

श्री शा० ना० चतुर्वेदी : हमारी सीमाओं पर खतरे को ध्यान में रखते हुये, क्या नये भर्ती किये जाने वाले अधिकारियों की अपेक्षा उनके प्रशिक्षित होने के लाभ से हम वंचित नहीं रह जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं ; मैं ऐसा नहीं समझता। यह शंका निराधार है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री यह कहेंगे कि केवल एक तिहाई के सूत्र में कोई आकर्षण है। एक तिहाई की यह मनमानी प्रतिशतता क्यों रखी गई है और इन अधिकारियों को काम देने के लिये अन्य विभागों से क्यों अनुरोध किया गया है ? इन 5000 या 6000 अधिकारियों को, जिन्हें कि पहले ही भर्ती कर लिया गया था और जो आयु

सीमा द्वारा किसी प्रकार से भी वर्जित नहीं हैं, सेना से क्यों निकाला जा रहा है जिसमें वे अपनी इच्छा से गये हैं और जिसके लिये उन्होंने अपनी सेवाएं अर्पित की हैं ? क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगी कि पुराने सूत्र को समाप्त करना चाहिये और अंग्रेज जो कुछ कर रहे थे हमें उसका अन्त करना चाहिये और उन अधिकारियों की सेवाओं से फायदा उठाना चाहिये क्योंकि जो कि वहां पर दो वर्ष से हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : प्रश्न एक तिहाई को कोई अन्धविश्वासी महत्व देने का नहीं है, अपितु उन अधिकारियों के अनुभव को देखने का है जो वहां पर हैं; हमारा अनुभव यह रहा है कि स्थायी कमीशन के लिए उत्तीर्ण होने वालों की संख्या सामान्यतः एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। मुझे आशा है कि उनकी संख्या एक तिहाई तक पहुंच जायगी। जब हम स्थायी कमीशन के लिए इन अधिकारियों का चयन करते हैं तो निश्चय ही कुछ कड़ी परीक्षायें रखनी होंगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे केवल इस दृष्टिकोण से ही इसको न देखें। अलबत्ता ये देशभक्त युवक हैं जिन्होंने आपात के समय अपनी सेवाओं को अर्पित किया और उनके लिए हमें वैकल्पिक रोजगार ढूंढने होंगे, हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। परन्तु इसके साथ ही हमें यह देखना होगा हम केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखें जो स्थायी कमीशन के लिए अच्छे होंगे। हमें स्थिति की ओर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या जिन एक तिहाई को रखा जा रहा है उन्हें स्थायी कमीशन पर रखा जा रहा है या अब भी वही होगा जो कि गत महायुद्ध के बाद हुआ था जब कि अल्पकालीन कमीशन को समय-समय पर प्रत्येक पांच वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, यह एक तिहाई स्थायी कमीशन के आधार पर होंगे।

Shri Yudhvir Singh : You cannot perhaps cite another example in the history of the whole of the world where persons recruited in the name of emergency commission are thrown out after the work is over. I have personal knowledge in this matter and the Hon. Minister has stated just now that a certain percentage has been fixed for those persons in the services. I want to know whether the percentage in services has been fixed after reckoning the age of those persons at the time of giving the commission or their present age. What I mean to say is this whether any age has been fixed for taking into civil services and if no age has been fixed whether they will be given special benefits.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आयु की दृष्टि से पात्रता या अपात्रता के प्रश्न पर विचार करते समय सम्बन्धित तिथियां वे होंगी जब उनको सेना का कमीशन दिया गया था।

Shri Sheo Narain : Will the Government consider the question of re-employing those persons who were disabled and who were released after giving employment ? What is the number of persons who were thus released ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे इस प्रश्न के लिए विशिष्ट सूचना चाहिए क्योंकि मेरे पास सभी आंकड़े नहीं हैं।

Shri Yashpal Singh : What measures are being contemplated by Government in regard to persons who had resolved to defend this country and who have been released by Government even after they got a place in military ? Will they be given a relaxation of two years in case they desire to appear in I. A. S. Examination ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जैसा कि मैंने बताया इस प्रश्न पर पात्रता या अपात्रता के प्रश्न पर विचार करते समय विचार किया गया था। अब इस मामले में और छूट देने का कोई प्रश्न नहीं है। स्वभावत: उनकी योग्यता का उपयोग किया जायगा क्योंकि उनको सेना में निश्चय ही अच्छा प्रशिक्षण मिला है और वे कुछ अन्य सिविल नौकरियों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए इन युवकों को, जिन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष और नेफा, नागालैंड और अन्य स्थानों पर चीनी आक्रमण के दौरान अनोखा कार्य कर दिखाया। भारतीय सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाओं के रहम पर छोड़ना नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से कहां तक उचित है ? क्या यह उचित नहीं है कि ये युवक प्रतिरक्षा मंत्रालय का ही दायित्व और सम्पदा होने चाहिए और उनके साथ ऐसा कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि प्रतिरक्षा मंत्रालय कर रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग किये गये कुछ शब्दों का विरोध करता हूं। इस मामले में सख्ती का कोई प्रश्न नहीं है। हम निश्चय ही इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यह न केवल प्रतिरक्षा मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है अपितु वास्तव में सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। वास्तव में जब मैं अन्य सेवाओं से उनके लिए स्थान रक्षित करने के लिए कह रहा हूं तो सारे देश से जिम्मेदारी बटाने के लिए कह रहा हूं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि प्रशासन की केवल एक शाखा ही एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और अन्य शाखाएं नहीं हैं ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How many persons were J. C. Os. at the time of operation who joined the Army Commissions ?

Shri Y. B. Chavan : I require separate notice for this question.

श्री मं० रं० कृष्ण : बजाय इसके कि विभिन्न विभागों में अदक्ष और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के रूप में इन सभी व्यक्तियों की छानबीन हो, क्या इन लोगों के लिये स्वयं प्रतिरक्षा मंत्रालय की कोई व्यापक प्रशिक्षण योजना है ताकि इन लोगों को गैर-तकनीकी और अदक्ष से तकनीकी और दक्ष में बदला जा सके ? ऐसा विभिन्न अन्य देशों द्वारा, विशेष रूप से ब्रिटेन द्वारा दूसरे महायुद्ध के पश्चात् किया गया है। उन्होंने अपने सभी गैर-तकनीकी व्यक्तियों को तकनीकी व्यक्ति बना लिया है ताकि वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : सामान्यत: हम इस प्रश्न पर तब विचार करते हैं जबकि लोग सेवा निवृत्त होने वाले होते हैं और किसी प्रकार का नवीकरण करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनको सेवा निवृत्ति के बाद कोई काम मिल सके। यह प्रश्न अब नहीं उठता। इस मामले

में वे निश्चय ही जवान लोग हैं, उनका अपना प्रशिक्षण और बुद्धि है जिसपर कि विभिन्न सेवाओं में उनकी भर्ती के समय विचार किया जा सकता है।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या स्थायी कमीशन में आपात कमीशन दिये गये अधिकारियों में से कुछ को रखने के लिये सरकार ने कोई कसौटी रखी है और क्या स्थायी कमीशन के लिये उनके चयन के लिये कोई चयन बोर्ड नियुक्त किया गया है, यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : एक चयन बोर्ड है जो कि इस प्रश्न की जांच कर रहा है। सामान्यतः पिछले चार-पांच वर्षों के उनके कार्य के आधार पर उनपर विचार किया जायेगा; स्वभावतः पिछली लड़ाइयों में उनके कार्य को ध्यान में रखा जायेगा। स्वभावतः पिछले चार या पाँच वर्षों में उन्होंने कुछ रुचि बना ली होगी। सेवावधि में उनके सामान्य रिकार्ड को भी ध्यान में रखा जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या माननीय प्रतिरक्षा मंत्री यह बता सकेंगे कि उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी कि छटनी की जाती है और जो उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने आपको आपात के दौरान पेश किया और जिनको आपात कमीशन के अन्तर्गत कमीशन दिया गया था, जब उनको काम दिया जायेगा तो उनकी सेवा की शर्तें उन शर्तों से मिलती जुलती होंगी जो कि आपात कमीशन के दौरान विद्यमान थीं, और यह कि इस श्रेणी में जनशक्ति का कोई अपव्यय नहीं होगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी हां, हमारा प्रयास इसी दिशा में होगा। परन्तु इस मामले में मैं गारन्टी के रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे शक है कि सीमांत मामलों में लोगों को रखना कठिन होगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : कितने ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : संख्या बताना कठिन है। हम गैर सरकारी क्षेत्र में भी उनके लिये काम ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस दिशा में भी हमने अपने प्रयत्न आरम्भ कर दिये हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जबकि उनके लिये वैकल्पिक रोजगार ढूंढने के सरकार के प्रयत्नों की मैं सराहना करता हूँ, क्या आयु और शिक्षा सम्बन्धी अर्हताओं के बारे में अपात्रता के कारणों पर उनकी छटनी करने से पूर्व, ये कारण वही होंगे जो कि सामान्य भर्ती के मामले में लागू होते हैं; और यदि उस सम्बन्ध में उनमें कमी पाई जाती है केवल तब ही उनकी छटनी की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ऐसा नहीं समझता; इस समय इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कह सकता हूँ।

Shri Gulshan : Do Government propose to constitute a reserve force of the people who are not able to get any employment ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी नहीं, इन लोगों की रक्षित सेना बनाने का कोई प्रश्न नहीं है। जब 1965 में जूनियर कमीशंड अफसरों के लिये आपात कमीशन के लिये हमने आपात भर्ती को बन्द किया था तो उसके स्थान पर हमने अल्प-सेवा कमीशन रख दिया है और उन अधिकारियों के मामले में कुछ रक्षित दायित्व होगा।

श्री बूटा सिंह : क्या आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से अधिकांश को निकाला जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Are Government trying to absorb these 5,000 Commissioned Officers in private firms or non-official bodies ?

Shri Y. B. Chavan : I said that we are making efforts in that direction.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन और पाकिस्तान दोनों हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बने हुए हैं और सारी सीमा के साथ-साथ उनकी फौजी हलचल जारी है जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ क्या इस खतरे का सामना करने के लिये सरकार आपात कमीशंड अधिकारियों की भर्ती नहीं करना चाहती ? यदि करना चाहती है तो क्या सरकार इन 6000 व्यक्तियों को अधिमान देगी जिन्हें कि अब नौकरी से निकाला जा रहा है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं चाहता कि सभा की यह भावना हो कि इन 6000 व्यक्तियों को सीधे ही निकाला जा रहा है। यह एक योजनाबद्ध कार्यक्रम है और यह लगभग चार या पाँच वर्ष तक चलेगा। इसके साथ ही हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि इन व्यक्तियों के स्थान उचित रूप से तथा उचित तरीके से बदले जायें। सशस्त्र सेना के अधिकारियों की श्रेणी के ढांचे पर इसका असर नहीं पड़ेगा और स्वभावतः यह स्वयं ही खतरे की समस्या का ध्यान रखेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी अधिकारियों का नागालैंड तथा मिजो पहाड़ियों का दौरा

*635 **श्री रा० बरुआ :** **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :**
श्री मौर्य : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री बागड़ी : **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री किशन पटनायक : **डा० मा० श्री० अणे :**
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड तथा मिजो पहाड़ियों की स्थिति को आंकने के लिए

हाल में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का एक दल वहां गया था;

(ख) क्या उस उक्त दल ने नागा विद्रोही नेताओं तथा मिजो विद्रोहियों के साथ कोई विचार-विमर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा की गई पहल सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उसके फलस्वरूप क्या सफलता मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस दल द्वारा खास तौर पर कोई पहल तो नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने पहले ही सुरक्षा तथा खाद्य-सम्भरण तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कर ली थी। किन्तु मिजो पहाड़ियों जिले के विभिन्न भागों, खास तौर पर अन्दरूनी भागों में प्रशासनिक केन्द्रों की पर्याप्त संख्या स्थापित करने तथा उन्हें मजबूत करने की ओर और स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति और सम्भरण व्यवस्था बनाये रखने के और अधिक प्रभावशाली प्रबन्ध करने की ओर सतर्कता के साथ ध्यान दिया गया।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

*636. **श्री सुबोध हँसदा** : **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात घटता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अगले कुछ महीनों में इस स्थिति में कुछ सुधार होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सरकारों की सेवा में नियुक्त भारतीय तकनीकी व्यक्ति

*637. **श्री स० चं० सामन्त** : **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हँसदा** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सरकारों की सेवाओं में नियुक्त कितने भारतीय राष्ट्रजनों अथवा भारतीय उद्भव के तकनीकी व्यक्तियों ने देश में नौकरी करने के लिए भारत लौट आने की पेशकश की है;

(ख) उन्हें रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं हालांकि उन्होंने भारत में नौकरी प्राप्ति के लिए अपना नाम पंजीकृत करा रखा है;

(ग) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को विदेशों में, जहां वे काम कर रहे हैं, मिलने वाले वेतन और सेवा की शर्तों की तुलना में यहां का वेतन और सेवा की घटिया शर्तें पेश की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें सेवा की ऐसी शर्तें और वेतन देने के लिए, जो उन्हें स्वीकार्य हों, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस सम्बन्ध में यथा तथ्य जानकारी प्राप्त नहीं है ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते ।

राजस्थान में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन

*638. **डा० (श्रीमती) मंगला देवी तलवार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जीवन बीमा निगम ने राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में अथवा औद्योगिक क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष कितना विनियोजन किया;

(ख) क्या उस राज्य में 1966-67 में आगे और विनियोजन करने के लिए राजस्थान सरकार ने जीवन बीमा निगम के सामने कोई योजना रखी है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और उनके सम्बन्ध में निगम ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

हिन्दी पत्राचार पाठ्यक्रम

*639. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने भारत तथा भारत के बाहर के गैर-हिन्दी भाषी लोगों को हिन्दी का काम काज कर सकने योग्य जानकारी देने के लिए बड़े पैमाने पर हिन्दी का पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). देश के अहिन्दी भाषी

लोगों तथा विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी सिखाने के लिए भारत सरकार केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में एक केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस योजना की विस्तृत रूपरेखा और आर्थिक ब्योरा तैयार किया जा रहा है। आशा है कि अगले वित्त वर्ष तक यह योजना आरम्भ हो जायगी।

फिल्म उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

*640. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के लिए एक मजूरी बोर्ड बनाने से सम्बन्धित अध्ययन दल का प्रतिवेदन इस बीच तैयार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) दल ने उद्योग के तीनों क्षेत्रों की विशिष्ट बातों को ध्यान में रख कर एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिसकी परिधि में उद्योग के तीनों क्षेत्र अर्थात् उत्पादन, प्रदर्शन और वितरण आयेंगे।

केरल में अध्यापकों द्वारा हड़ताल

*641 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के स्कूलों के 13000 अध्यापकों ने सेवा की अच्छी शर्तों के बारे में अपनी मांगों को मनवाने के लिये 22 जून, 1966 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने 22 जून, 1966 से सभी सरकारी स्कूलों को सहायता प्राप्त स्कूलों तथा प्रशिक्षण स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर देने का आदेश दिया है; और

(ग) केरल में अध्यापकों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अध्यापकों ने 22 जून, 1966 से जब तक उनकी शिकायतों को दूर न किया जाए, तब तक अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का निश्चय किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित कार्रवाइयां की गयी हैं :—

(i) निम्न तथा उच्च वर्ग के प्राइमरी शिक्षकों के वेतनक्रम प्रथम तथा द्वितीय ग्रेड के स्नातक अध्यापकों के वेतनमानों की तरह संशोधित किए गए थे।

(ii) विभिन्न श्रेणियों के उच्च वर्ग तथा निम्न ग्रेड के पदों के बीच अनुपात का पुनरीक्षण किया गया था।

(iii) पर्यवेक्षण भत्ते में बढ़ोतरी।

(iv) प्रशिक्षण स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि।

(v) निर्धारित योग्यता वाले ट्रेनिंग स्कूलों के अध्यापकों के लिए 25 रुपए मासिक भत्ते की मंजूरी।

(vi) सहायक शिक्षा अधिकारियों के लिए विशेष वेतन।

(vii) जांच के आधार पर वेतन वृद्धि को नियत करने तथा जांचने के कार्यों के लिए समूची अध्यापन सेवा पर विचार करने के लिए निर्णय।

(viii) केरल शिक्षा नियम, अध्याय XIV (C) के अन्तर्गत स्वेच्छा प्रगट करने के लिए अन्य अवसर।

(ix) सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष कर दी गयी।

आदर्श पाठ्य पुस्तकें

*642. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री अ० व० रघवन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक कौन कौन सी तथा कितनी आदर्श पुस्तकें तैयार करवाई हैं;

(ख) ये पुस्तकें किन किन विषयों के बारे में हैं; और

(ग) क्या इन आदर्श पाठ्य पुस्तकों के तैयार हो जाने के तुरन्त बाद उनकी एक एक प्रति वाचनार्थ तथा सदस्यों द्वारा सुझावों के लिये संसद पुस्तकालय में रखी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6882/66]

(ग) प्रत्येक पुस्तक की दो दो प्रतियां संसद पुस्तकालय में पहले ही भेज दी गयी हैं।

पाठ्य पुस्तकों के लिये विद्यार्थियों को राज सहायता

*643. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिये राज सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं।

Prices of Drugs

*644. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Basappa :
Dr. Srinivasan :
Shri R. Barua :
Shri D. D. Mantri :
Shrimati Maimoona Sultana :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of drugs have gone up by 20 per cent. on account of the devaluation ; and

(b) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Skri O. V. Alagesan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Post-Graduate Education Centre

*645. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish post-graduate education centres ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) when they would be established ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No, Sir. There is no such proposal at present for setting up post-graduate education centres by the Central Government.

(b) and (c). Do not arise

पोर्ट कैनिंग क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण

*646. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट कैनिंग क्षेत्र का भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) क्या उलटे झुके हुये उपर्युक्त ढांचे का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो छिद्रण-कार्य (ड्रिलिंग) कब आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । भूकम्पीय सर्वेक्षण अभी जारी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । लेकिन 18-8-1966 को पोर्ट कैनिंग के लगभग 20 मील उत्तर में दादरा नामक स्थान पर छिद्रण कार्य शुरू हुआ ।

विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू करने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

*647. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये कोई ऐसा विशिष्ट कानून नही हैं, जिसमें उनकी सेवा की शर्तों का उल्लेख हो और उन्हें कानूनी संरक्षण देने का उपबन्ध किया गया हो ;

(ख) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने के लिये सरकार से प्रार्थना की गई थी ताकि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत लाया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, जहां तक केवल विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों का सम्बन्ध है ।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकारों/प्रशासनों के परामर्श से विचार किया गया । चूंकि इनमें से अधिकांश ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इसलिये इसे छोड़ दिया गया ।

पश्चिम बंगाल में इंडियन आयल कम्पनी के पैट्रोल पम्प

*648. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों की तुलना में, पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या और

कारों की संख्या को ध्यान में रखते हुये इंडियन आयल कम्पनी के पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों पर ग्राहकों की सुविधा के लिये उनकी गाड़ियों की सर्विसिंग और मरम्मत की सुविधाएं होती हैं ; जो इंडियन आयल कम्पनी के पैट्रोल पम्पों पर नहीं होती ;

(ग) क्या इस बारे में कोई बाजार विश्लेषण किया गया है कि नगर पालिकायें, नगर निगम तथा अन्य सरकारी संस्थायें किस सीमा तक सरकारी क्षेत्र के पैट्रोल पम्पों से पैट्रोल आदि लेती हैं ; और

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की नगर-पालिकाओं के प्रधानों अथवा उप-प्रधानों की ओर से उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उपयुक्त क्षेत्रों में पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मैसूर को अनुदान

*649. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर सरकार को कितना अनुदान दिया ;

(ख) विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इनके सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) नियत धनराशि से कम व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) मैसूर सरकार को कोई अनुदान नहीं दिया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U. G. C.) राज्य सरकारों को अनुदान मंजूर नहीं कर सकता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड

*650. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय मजूरी बोर्ड बनाने की बार बार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षामंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) समय समय पर इस बारे में सुझाव दिये गये हैं।

(ख) राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से इन सुझावों की जांच की गई थी और आम राय यह थी कि जब तक अतिरिक्त निधियां उपलब्ध न हों, ऐसे बोर्ड अथवा समिति की नियुक्ति आशातीत होगी और वह असफल रहेगी। इस बीच जहां भी संभव है, अध्यापकों के वेतन मानों के संशोधन करने के प्रश्न पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तैयार करना तथा उनकी इंजीनियरी का काम

*651. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उर्वरक औद्योगिकी संस्था ने भारत में उर्वरक संयन्त्रों के डिजाइन तैयार किये हैं तथा उनका इंजीनियरी काम किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संस्था प्रतिवर्ष दो बड़े संयन्त्रों का डिजाइन तैयार कर सकती है तथा उनका इंजीनियरी सम्बन्धी काम भी कर सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो अपने देश में उपलब्ध प्रतिभा को प्रोत्साहन देने और विदेशी मुद्रा की बचत करने की बजाय असामान्य रियायतें देकर विदेशी फर्मों के साथ करार करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां। दी सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फरटीलाइजर टैक्नौलोजी प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेंट डिवीजन आफ फरटीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने उर्वरक संयंत्रों के डिजाइन तथा उनकी इंजीनियरी में बहुत काम किया है।

(ख) वर्ष में दो उर्वरक संयन्त्रों के डिजाइन तैयार करने और उनकी इंजीनियरी के कार्य के प्रभाजित प्रोग्राम को पूरा करने के लिये प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेंट डिवीजन को बढ़ाया एवं सज्जित किया गया है।

(ग) उर्वरक उद्योग में विदेशी निवेश मुख्यत: परियोजनाओं की संयन्त्र तथा मशीनरी के क्रय से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा के लिये मांगा जाता है।

1965 में काश्मीर में घुसपैठ

*652. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1966 को जम्मू में हुए नेशनल कान्फ्रेंस के अधिवेशन में पास किये गये उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से मांग की गई है कि 1965 में सशस्त्र पाकिस्तानी हमलावरों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ होने के कारणों की जांच एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा कराई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर में पिछले वर्ष अगस्त-सितम्बर में जो घटनाएं हुईं उन पर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा यह जानने के लिये सामान्य प्रक्रिया के दौरान विचार किया गया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में क्या सुधार आवश्यक है। जैसी जांच के लिए सुझाव दिया गया है वैसी किसी जांच की न तो आवश्यकता ही है और न ही उसका कोई लाभ होगा।

Army's Assistance to Assam

*653. **Shri Madhu Limaye :**

Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Army has been called out to assist and to maintain law and order in Assam ; and

(b) whether the State Government of Assam consulted the Central Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affair's (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) During the recent disturbances in Assam the Army was called out as a preventive and precautionary measure but it was not involved in any firing incidents.

(b) No, Sir.

विदेशी सहयोग में उर्वरक परियोजनाएं

*654. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अगस्त, 1966 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत में उर्वरक परियोजनाओं में अमरीका और कनाडा के सहयोगदाता संकोच कर रहे हैं और उन्होंने प्रबन्ध, उर्वरकों के दामों और उनके उत्पादों के बिकने के क्षेत्रों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या विशिष्ट स्पष्टीकरण मांगे हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6883/66]

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक कर्मचारी की गिरफ्तारी

*655. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री स्वैल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अगस्त, 1966 को दिल्ली में पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधि-

नियम के अन्तर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त कर्मचारी की दिल्ली में गिरफ्तारी होने के साथ-साथ कलकत्ता में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं ; और

(घ) कलकत्ता में गिरफ्तार किये गये लोगों के नाम क्या हैं और यदि उनका किन्हीं राजनैतिक दलों से सम्बन्ध था, तो किन दलों से ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन्हें पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के अधीन गिरफ्तार किया गया था ।

(घ) जिन व्यक्तियों को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया था उनके नाम ये हैं :—

1. तारापद चक्रवर्ती

2. केशव चक्रवर्ती और

3. रवीन्द्र नाथ चौधरी

पश्चिम बंग पुनर्गठन संयुक्त परिषद के साथ उनका सम्बन्ध बताया जाता है । इसके अलावा उनके राजनैतिक सम्बन्ध के बारे में कुछ पता नहीं है ।

श्री जयप्रकाश नारायण की शेख अब्दुल्ला से मुलाकात

*656 **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : **श्री राम हरख यादव** :
श्री अल्वारेस : **श्री एम० रामपुरे** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जयप्रकाश नारायण को हाल ही में कोडईकनाल में शेख अब्दुल्ला से मुलाकात करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मुलाकात का क्या उद्देश्य था और इसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने शेख अब्दुल्ला के विचारों का पता लगाया और क्या सरकार उन्हें निकट भविष्य में रिहा करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). श्री जयप्रकाश नारायण ने शेख अब्दुल्ला से व्यक्तिगत रूप से मुला-

कात की है। सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि श्री जयप्रकाश नारायण और शेख अब्दुल्ला के बीच क्या बातचीत हुई। शेख अब्दुल्ला पर लगी बंदियों को हटाने का कोई विचार नहीं है।

Employees of Caltex, Kandla

*657. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Yogendra Jha:
Shri D. C. Sharma:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bishan Chander Seth:
Shri Sham Lal Saraf:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the employees of Caltex, Kandla have drawn his attention to the pressure being exerted by the Caltex Management on the Indian employees to retire from their respective posts;

(b) whether it is a fact that the high officials of Caltex, Bombay generally visit Kandla and ask the Indian employees to submit their resignations by exerting pressure on them by imposing various conditions; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram): (a) Yes.

(b) The charge of pressure by high officials of Caltex has been denied by the Management.

(c) The matter falls in the State sphere and the State Government concerned will no doubt look into any specific cases of pressure/coercion that may be brought to their notice.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया

3124. **श्री सोलंकी:**
श्री बूटा सिंह:

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विधी अथवा नियमों के अनुसार किसी राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई प्रत्येक विभागीय जांच का प्रतिवेदन अनिवार्यतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाना अपेक्षित है ; और

(ख) यदि हां, क्या वह इस प्रकार के मामलों का ब्योरा देगें, जिनमें कारण बताओ सूचना जारी की जाने से पहले केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना करने वाले सरकारी संकल्प में इस बात की व्यवस्था है कि वे मामले आयोग को भेजे जायं जिनमें अधिकारियों ने अनुचित उद्देश्य

के लिये अथवा भ्रष्ट तरीके से काम किया हो। संकल्प में इस बात की भी व्यवस्था है कि अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के सम्बन्धित नियमों में राज्य सरकार के परामर्श से संशोधन किया जायगा ताकि उन सेवाओं के सदस्यों को भी आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सके। राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है और सम्बन्धित नियमों में अभी तक संशोधन नहीं किया गया। किन्तु ऐसी कोई बात नहीं है जो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह का लाभ प्राप्त करने से वंचित करती हो और इस प्रकार के एक मामले में जो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था आयोग की सलाह प्राप्त की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

3125. **श्री राम हरख यादव :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में और संशोधन किया है, ताकि उसे देश के तम्बाकू उद्योग पर लागू किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या मुख्य संशोधन किये गये हैं ; और

(ग) उनके क्या मुख्य परिणाम निकले हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) संशोधनों के परिणामस्वरूप, कर्मचारी निर्वाह निधि योजना, 1952, तम्बाकू की पत्तियों के वृन्तीकरण, फिर से सुखाने, हस्तन, पृथककरण, श्रेणीकरण, या पुड़िया बनाने वाले प्रतिष्ठानों पर 30 जून, 1965 से लागू की गई तथा सिगार, जर्दा, नसवार, किवाम और तम्बाकू से गुरकू बनाने वाले प्रतिष्ठानों पर 30 जून, 1966 से लागू की गई।

(ग) तम्बाकू उद्योग के लगभग 498 प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अनुमानतः 45000 कर्मचारी निर्वाह निधि का लाभ अब पा रहे हैं।

अपर डिवीजन क्लर्कों के लिए सलेक्शन ग्रेड

3126. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवाओं में अपर डिवीजन क्लर्कों को चयन सूची में शामिल करने के लिये एक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का उपबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इस परीक्षा में बैठने के लिये कोई आयु-सीमा निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) परीक्षा का ब्योरा, और पात्रता के लिये आयु तथा अन्य शर्तें केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (अपर डिवीजन सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1966 की संलग्न प्रति में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6885/66]

नये स्कूलों में सुविधाएं

3127. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हाल में खोले गये अधिकतर नये स्कूलों में आवश्यक साज-सामान अथवा सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी स्कूलों में तो आवश्यक कर्मचारी तक नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में विद्यार्थियों के विरुद्ध चलाये गये मामलों को वापस लेना

3128. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खाद्य-आन्दोलन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों के विरुद्ध चलाये गये मामलों में से कितने मामले वापस ले लिये गये हैं और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि केरल की परामर्शदात्री समिति ने विद्यार्थियों के विरुद्ध कराये गये मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिश की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) विद्यार्थियों के विरुद्ध जितने भी मामले थे वे सभी वापस ले लिये गए हैं । कोई मामला शेष नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में डाकघर की इमारतें

3129. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में केरल राज्य में डाकघर की कितनी इमारतें बनाई गई ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल राज्य के लिये कोई पृथक सिविल इंजीनियरिंग विभाग नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो केरल में नया सिविल इंजीनियरिंग विभाग कब खोला जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1965-66 के दौरान दो डाकघरों की इमारतें तैयार हो गईं।

(ख) जी हां। केरल राज्य में इमारतों के निर्माण कार्य की देखभाल सिविल विंग के कोयम्बटूर उप-मंडल द्वारा की जाती है जो कि डाक-तार सिविल डिवीजन, मद्रास के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

(ग) सिविल इंजीनियरी मण्डल/उपमंडल राज्यवार आधार पर नियत नहीं होते। सिविल इंजीनियरी मण्डल और उपमण्डलों के निर्माण और उनके स्थान के सम्बन्ध में दो ही मुख्य बातें होती हैं यथा निर्माण कार्यों का मूल्य और प्रशासनिक तथा तकनीकी नियन्त्रण की सुविधा। अतः जब कभी केरल राज्य में असैनिक निर्माण कार्यों का कार्यभार इतना अधिक हो जाय कि एक उपमण्डल/मण्डल की स्थापना का औचित्य हो जाए, तब इस सम्बन्ध में कार्यवाई की जाएगी।

संचार के लिये उपग्रह

3130. **श्री राम हरख यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका के सहयोग से संचार के लिये हिन्द महासागर के ऊपर एक उपग्रह स्थापित करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भूमाण्डलिक उपग्रह संचार प्रणाली की स्थापना के कार्यक्रम में हिन्द महासागर पर एक संचार-उपग्रह छोड़ने की योजना का समावेश किया गया है।

(ख) भूमाण्डलिक उपग्रह संचार प्रणाली स्थापित करने के विषय में बने राष्ट्रों के संघ में, भारत 0.5% का अंशधारी बन कर सम्मिलित हो गया है। उपग्रह-संचार के परिचालन के लिये पूना के निकट एक भूमिस्थित-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके लगभग 4 करोड़ रुपये की कुल लागत से, सन् 1968 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

विश्व कुश्ती प्रतियोगिता (चैम्पियन शिप)

3131. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निकट भविष्य में विश्व कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो वह प्रतियोगिता कहां होगी और कब होगी; और

(ग) इस प्रतियोगिता में कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) नई-दिल्ली नवम्बर 1967 के दौरान।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवसायी (अमेच्यूर) कुश्ती संघ के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा।

गंगाजली निधि न्यास

3132. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगाजली निधि के न्यासधारियों को, न्यास के प्रशासन के सम्बन्ध में भूतपूर्व मध्य भारत राज्य की प्रसंविदा की धारा 7 और मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास अधिनियम, 1954 की धारा 7 (1) के अनुसरण में कोई निदेश अथवा अनुदेश दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों अथवा अनुदेशों का ब्योरा क्या है और ये किस प्रयोजन के लिये तथा किस तारीख को जारी किये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन के गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा छटनी किये गये कर्मचारी

3133. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री मणियंगाडन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा छटनी किये गये कर्मचारियों को कोचीन रिफाइन्रीज लिमिटेड तथा इंडियन आयल कारपोरेशन में रोजगार दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को रोजगार देने के लिये, क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). तीन गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कोचीन के मुख्य केन्द्रों पर नियुक्त 668 व्यक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(I)	3 गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा रख लिये जाने वाला स्टाफ	147
(II)	भारतीय तेल निगम (मार्किटिंग प्रभाग) द्वारा रोजगार दिया गया स्टाफ।	42
(III)	कोचीन शोधनशाला लि० द्वारा नियुक्त किया गया स्टाफ	8
		197

जहां तक शेष 471 व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मेसर्स बर्मा शैल एण्ड एस्सो के 2 टिन प्लांटों को चालू रखने की व्यवस्था की गई है । ऐसी व्यवस्था से इन दो टिन प्लांटों में पहले से नियुक्त 153 व्यक्ति नौकरी में रह जायेंगे । शेष 319 व्यक्तियों के लिए निम्न कार्यवाही की गई है:—

(I) जब जनवरी, 1967 में ड्रम प्लांट चालू होगा तो भारतीय तेल निगम के मार्किटिंग प्रभाग और कोचीन की शोधनशाला में लगभग 40 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ।

(II) गैर सरकारी तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे इन 279 व्यक्तियों से वैकल्प (option) लें और उनका तबादला करें, जो उनके नीचे दूसरे प्रदेशों/क्षेत्रों में काम करने को तैयार हों ।

(III) वे, जो तबादला के लिए सहमत हों किन्तु उन्हें उक्त गैर-सरकारी कम्पनियां तत्काल रोजगार नहीं दे सकती हों, भारतीय तेल निगम लि० (मार्किटिंग प्रभाग) के दूसरे प्रदेशों/क्षेत्रों में यथासम्भव नियुक्त किये जायेंगे ।

(IV) केरल सरकार से भी प्रार्थना की गई है कि वह उन कर्मचारियों के लिए, जो उपर्युक्त किसी भी पद्धति से काम में नहीं लगाये जा सकते, कोई नौकरी पाने में सहायता करें ।

त्रिपुरा में सर्किल आफीसर

3134. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों के कुछ व्यक्तियों ने 1966-67 में त्रिपुरा में सर्किल आफिसरों के पदों के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदनकर्ताओं को भर्ती किया गया है;

(ग) अब तक भर्ती किये गये सर्किल आफिसरों की कुल संख्या कितनी है और भर्ती किये गये व्यक्तियों में आदिम जातीय व्यक्तियों का अनुपात क्या है; और

(घ) यदि यह अनुपात कम है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) किसी भी आदिम जाति उम्मीदवार ने इन पदों के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उन्नीस, आदिम जातीय व्यक्तियों का अनुपात 5.26 प्रतिशत है ।

(घ) उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

3135. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एम्बुलैंस गाड़ियां खरीदने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा राज्य क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति आते हैं तथा प्रत्येक राज्य को कितनी एम्बुलैंस गाड़ियां दी गई हैं; और

(ग) इस वर्ष प्रत्येक राज्य के लिए कितनी एम्बुलैंस गाड़ियां खरीदने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम दिल्ली में डाक्टरी सुविधा के प्रबन्ध का इंचार्ज है, वहां तीन एम्बुलैंस गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। अन्य राज्यों में, जहां डाक्टरी सुविधा का प्रबन्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है वहां एम्बुलैंस गाड़ियों की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें इसके अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों और एम्बुलैंस गाड़ियों की राज्यवार संख्या दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6885/66]

(ग) दिल्ली में इस समय और एम्बुलैंस गाड़ियां लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अन्य राज्यों में आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित राज्य सरकारें एम्बुलैंस गाड़ियां लेने के लिए कदम उठायेंगी।

पाकिस्तानी गुप्तचर का दोषी ठहराया जाना

3136. **श्री राम हरख यादव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालिद नामक एक पाकिस्तानी गुप्तचर पासपोर्ट अधिनियम तथा विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत जालंधर के एक दंडाधिकारी द्वारा दोषी ठहराया गया; और

(ख) यदि हां, तो जासूसी तथा भारतीय अधिकारियों द्वारा उसे पकड़ने के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) खालिद सादत बेग नामक एक पाकिस्तानी नागरिक को 30.7.1966 को विदेशी आदेश की धारा 3 (1) (क) के उल्लंघन के फलस्वरूप 3 वर्ष के तथा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 5/14 के अधीन 5 वर्ष के सश्रम कारावास का दंड दिया गया। दोनों सजाएं क्रमशः चलेंगी।

(ख) उसके खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के आरोप पर सरकारी गोपनीय

विषय अधिनियम की धारा 3/9 तथा भारत सुरक्षा नियमावली के नियम 35/41 के अधीन अलग से एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच अभी जारी है। इस स्थिति में और अधिक ब्योरा बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का ब्योरा बताने से जांचकार्य पर असर पड़ सकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के बारे में प्रमाणपत्र

3137 **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों को इस आशय के कोई निदेश दिये हैं कि वे प्रत्येक शिक्षा वर्ष के आरम्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों से जाति तथा आय के प्रमाणपत्र लेने पर जोर दें;

(ख) क्या सरकार का ध्यान शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा इस प्रकार जोर देने से उन विद्यार्थियों को होने वाली असाधारण कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से छूट प्राप्त कारखाने

3138 **श्री अ० व० राघवन** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में ऐसे कौन-कौन से कारखाने तथा संस्थायें हैं जिनको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की 87 से 91 धाराओं के अन्तर्गत इस अधिनियम के सभी अथवा किन्हीं उपबन्धों से छूट दी गई है;

(ख) इन संस्थाओं को 1961 से लेकर कितने वर्षों के लिये छूट दी गई है; और

(ग) क्या दी गई छूट के बारे में समय समय पर पुनर्विचार किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). तीन विवरण—ए, बी और (सी) जिनमें धारा 87, 88 और 90 के अधीन छूट दी गई फैक्टरियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०**-6886/66] धारा 89 में छूट देने की मंजूरी की व्यवस्था नहीं है, धारा 91 के अधीन किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

(ग) जी हां, केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां बिना किसी समय सीमा को उल्लिखित किये बिना छूट की मंजूरी दी गई है।

बागान श्रम आवास योजना

3139. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन : **श्री उमानाथ :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बागान श्रम आवास योजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) केरल राज्य में उन मजदूरों की संख्या कितनी है जो बागानों में काम करते हैं और कितने मजदूरों के लिये मकानों की व्यवस्था कर दी गई है और किन-किन कारखानों ने इस योजना की क्रियान्विति में कोई भी प्रगति नहीं की है; और

(ग) उन संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने अपने श्रमिकों के लिये मकान नहीं बनाये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 31-3-1966 तक बागान श्रम आवास योजना के अन्तर्गत, केरल में 170 निवासों के निर्माण के लिये 3 लाख रुपये की राशि मंजूर हुई थी, जिनमें से उस दिन तक 152 निवास बन चुके थे।

(ख) बागान श्रम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत केरल में 1,20,349 बागान मजदूर आते हैं। इनमें से 1,00,390 मजदूरों को निवास-स्थान प्रदान किया गया है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, नियोजकों को एक चरणात्मक कार्यक्रम के अनुसार निवास प्रदान करने पड़ते हैं अर्थात् प्रत्येक वर्ष निवासी कर्मचारियों में से कम-से-कम 8 प्रतिशत को। इस विषय में केरल में हुई प्रगति सामान्यतः संतोषजनक मानी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वीरसिंगमणि शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा करना

3140. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीरसिंगमणि स्थित शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा करके उसे सब-पोस्ट आफिस बनाने की आवश्यकता के बारे में डाक व तार विभाग को वीरसिंगमणि की ग्राम पंचायत से कोई ज्ञापन तथा जनता से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) वीरसिंगमणि अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा करने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन स्थानीय पंचायत के प्रधान से प्राप्त हुआ है।

(ख) यह प्रस्ताव विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र ही इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायगा।

सेन्दमरम् में तारघर

3141. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग को मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में सेन्दमरम् नामक स्थान में एक तारघर खोलने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस तारघर के कब तक खुल जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, मद्रास द्वारा इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और बिरुधनगर-तेनकासी मार्ग पर मौजूदा तारघरों में कुछ पुनर्व्यवस्थाएं करके वह इस प्रस्ताव की मंजूरी दे रहे हैं। यह कार्य नये निर्माण के लिए आवश्यक लाइन तथा तार सम्बन्धी सामान प्राप्त कर लेने पर पूरा किया जाएगा। देश में लाइन और तार सम्बन्धी मौजूदा कमी को ध्यान में रखते हुए यह बताना संभव नहीं है कि लगभग कौनसी तारीख तक सेन्दमरम् तारघर काम करना आरम्भ कर देगा।

School of International Studies

3142. **Shri Bhagwat Jha Azad:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of students in the Indian School of International Studies during the last five years;

(b) the number of Departments in the said institution and also the number of Teachers, Professors, Readers and Lecturers, separately, in each Department;

(c) the respective qualifications of the aforesaid teaching staff and the number and names of the Indian and foreign languages which they know; and

(d) the names of international languages other than English in which research work is conducted in this institute?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (d). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-6887/66].**

Indian School of International Studies

3143. **Shri Bhagwat Jha Azad:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the date when the Indian School of International Studies was established and the amount of grants recurring and non-recurring given by the Central Government to the institution since then up-to-date ;

(b) whether there is any other source of assistance to the Institute besides that of Government ; and

(c) the amounts of recurring and non-recurring grants received by the Institute from all sources, during the last five years and also of those received this year till date?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-6886/66].**

Reserved Posts for Scheduled Castes in Delhi Administration

3144. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a Board for filling up the quota of reserved posts for Scheduled Castes in Delhi Administration;

(b) if so, when it is likely to be constituted; and

(c) its terms of reference?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No,

(b) and (c). Do not arise.

Visit of Ministers Abroad

3145. **Shri Vishwa Nath Pandey:**
Shri Hari Vishnu Kamath:
Shri A. K. Gopalan:
Shri Dasaratha Deb:
Shri Dinen Bhattacharya:
Shri M. N. Swamy:
Shri Krishnapal Singh:
Shri Buta Singh:
Shri Narasimha Reddy:
Shri D. J. Naik:
Shri Daljit Singh:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Sonavane:
Shri Y. D. Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the countries which were visited by Members of the Central Cabinet, State Ministers and Deputy Ministers during the period from 1st March to 31st July, 1966;

(b) the expenditure incurred in each case and the amount of foreign exchange involved therein; and

(c) the objectives of these visits along with the results achieved?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Posts of Sub-Inspectors of Police in Punjab

3146. **Shri Rameshwaranand:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Government are abolishing the posts of Police Sub-Inspectors;

(b) if so, the number of persons who will be thus rendered unemployed ; and

(c) the Departments in which Government will give them employment ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Arrest of a Naga by Assam Police

3147. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Raghunath Singh :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assam Police has arrested a 30-year old Naga, who was formerly employed in the Assam Police Batallion ;

(b) if so, the illegal material recovered from him ;

(c) whether it is also a fact that the same person had a hand in the recent railway accidents ; and

(d) if so, action taken in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, Sir.

(b) Nothing illegal was found in his possession. He was arrested on suspicion as his appearance answered the description of the Naga who had brought the unexploded bomb to Manipur Railway Station on the 29th April, 1966.

(c) It has yet to be ascertained as investigation is not completed.

(d) The case is under investigation.

सहारनपुर में कागज बनाने का कारखाना

3148. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी : **श्री मौर्य :**
श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 29 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहारनपुर में कागज प्रौद्योगिकी स्कूल से सम्बद्ध किये जाने के लिये स्वीडन सरकार के सहयोग से एक छोटा प्रायोगिक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने की संभावनाओं का इस बीच पता लगा लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या ब्योरा तैयार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवलपमेंट

एजेन्सी के निमंत्रण पर एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 1966 में स्वीडन का दौरा किया था और पेपर टेक्नौलोजी स्कूल, सहारनपुर में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया था। किन्तु, स्वीडन की सरकार ने अभी तक कोई पक्का वायदा नहीं किया है।

औषधीय पौदे

3149. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय औषधीय पौदों सम्बन्धी संगठन ने देश में गुलाब उद्योग को बढ़ावा देने के लिये एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क). जी हां।

(ख) योजना विचाराधीन है।

भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन

3150. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रचार के लिये सरकार द्वारा कितनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां की गई हैं और वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में किस हद तक सफल हुई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): पिछली पांच वर्षों में भारत सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए भारत में अथवा विदेश में किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार ने विदेशी सरकारों अथवा सोसायटियों के आमंत्रण पर प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में बहुत सी प्रदर्शनियों का संकलन किया है और भेजा है। इन प्रदर्शनियों का जोरदार स्वागत हुआ है और इनसे भारतीय संस्कृति को और अधिक अच्छी तरह से समझने में योगदान मिला है।

नागाओं द्वारा गोलाबारी

3151. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 मई से 20 जुलाई, 1966 तक की अवधि में नागा विद्रोहियों ने भारतीय लोगों तथा भारतीय सुरक्षा सेना पर कितनी बार गोलियां चलायीं ; और

(ख) इन मुठभेड़ों में नागा विद्रोहियों ने कितना नुकसान पहुंचाया और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) श्रीमन, चौदह बार।

(ख) जान और माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा के लिये सभी आवश्यक और संभव उपाय किये गये हैं।

बर्मा तथा श्रीलंका से विस्थापित किये गये व्यक्तियों का पुनर्वास

3152. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में (एक) बर्मा और (दो) श्रीलंका से कितने भारतीय स्वदेश लौटे हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उन्हें बसाने के लिये कितनी सहायता दी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) 1 फरवरी, 1966 से 13 अगस्त, 1966 तक बर्मा से 17,612 व्यक्ति यहां आये हैं। भारत-लंका करार, 1964 के अन्तर्गत भारतीय उद्भव के लोगों का स्वदेश लौटना अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ख) बर्मा से आये हुये लोगों की दी गई सहायता प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6889/66]

दण्डकारण्य में पुनर्वास

3153. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बसाने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरणार्थियों और निर्धन किसानों को बसाने के लिये दण्डकारण्य तथा अन्य रेगिस्तानों को किस सीमा तक आबाद किया गया है;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) (1) शरणार्थियों तथा निर्धन किसानों को बसाने के लिये सरकार ने किसी रेगिस्तान को नहीं चुना है।

(2) दण्डकारण्य में, जोकि मुख्यतः वन क्षेत्र है, पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये व्यक्तियों

तथा भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिये 1,09,259 एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाया गया है। मई 1966 तक 250 नये ग्राम बसाये गये हैं, जिनमें 9186 विस्थापित परिवार तथा 2331 आदिवासी परिवार बसाये गये हैं।

(ख) दण्डकारण्य परियोजना पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 18.13 करोड़ रुपये (निवल) की धनराशि व्यय की गई है।

(ग) प्रयोगात्मक रूप से चौथी योजना के प्रारूप में दण्डकारण्य परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम

3154. **श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये दस वर्षीय पाठ्यक्रम की तुलना में माध्यमिक स्कूलों में ग्यारह वर्षीय अध्ययन पाठ्यक्रम अधिक अच्छा और अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है और यदि हां, तो कैसे;

(ख) क्या समूचे देश में अध्ययन पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं और यदि हां, तो इस बारे में क्या कठिनाइयां हैं तथा उनका हल क्या है; और

(ग) यदि यह पद्धति अब लाभदायक सिद्ध हुई है, तो क्या पहले वाली पद्धति को पुनः चालू करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). स्कूल पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु में सुधार और स्कूल शिक्षा के बाद जीवन में अथवा उच्च अध्ययन में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों में और अधिक परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा मान लेने पर उच्च माध्यमिक पद्धति लागू की गई थी। धन और सुयोग्य अध्यापकों की कमी के कारण, दस वर्ष की अवधि वाले सभी स्कूलों को 11 वर्ष की अवधि वाले हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदलना सम्भव नहीं हो सका है। सारे देश में अध्ययन पद्धति में एकरूपता लाने के लिये प्रयत्न किये गये हैं किन्तु मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अवधि वाले अर्थात् 10 वर्ष की अवधि के हाई स्कूल पाठ्यक्रम अथवा 11 वर्ष की अवधि के हाई स्कूल पाठ्यक्रम, के अपनाये जाने के कारण, वे सफल नहीं हुये हैं। देश के कुछ भागों में दाखिले की आयु 5 वर्ष से अधिक और कुछ भागों में 6 वर्ष से अधिक होने के कारण भी कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा आयोग ने भी सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

कलकत्ता के प्रसिद्ध तैराक के लिये विदेशी मुद्रा

3155. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के प्रसिद्ध तैराक श्री नितेन्द्र नारायन राय ने इंग्लिश चैनल को बिना

रुके दोनों ओर से पार करने के लिये एक हजार पौंड की विदेशी मुद्रा दिये जाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी ।

Industrial Training

3156. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry imparted training to 50,000 persons in the various technical trades in the industrial training centres throughout the country during the period from February to July, 1963 ;

(b) whether it is also a fact that some of them were selected for training after their recruitment in the Army while others were selected direct ;

(c) the number of persons trained after recruitment in the Army and also the number of persons trained diret ; and

(d) whether all the trained persons have been absorbed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan): No, in all, 20,654 trainees were admitted for training in this course.

(b) and (c). No, the training course from February to July did not provide for the training of enrolled personnel.

(d) Information is not available.

Post Office Building, Agar

3157. **Shri Rameshwaranand:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to construct a Post-Office and Telephone Exchange building in Agar Shajapur District, Madhya Pradesh;

(b) if so, when the work will be completed ; and

(c) the approximate cost thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes. It has been decided to extend the departmental Post Office building and to construct a new building for Telephone Exchange at Agar.

(b) The work is expected to be completed during 67-68.

(c) The approximate cost is expected to be Rs. 40,000/- for each work.

Recognition of Training Courses

3158. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Raghunath Singh :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government did not accord recognition to the training courses in different trades from the 1st February to 31st July, 1963 ;

(b) whether it is also a fact that the persons, who received training for six months, have not been absorbed in the trade in which they were trained ;

(c) whether several persons left their previous service in order to receive training ; and

(d) if so, the action being taken to provide employment to such persons ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Trainees under this short-term accelerated training course were trained to meet the requirements for semi-skilled personnel and operatives of Defence Services and other establishments engaged on Defence Production. They were given certificate for the training undergone.

(b) No, a large number of them were absorbed in the Defence Services and other establishments.

(c) Not known.

(d) The facilities provided by the Employment Exchanges are available to them. The Employment Exchanges will render their assistance according to their qualifications and experience.

Increase in Fire Cases in the Country

3159. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an increase has been registered in the cases of fire in the country since January ;

(b) if so, the total loss sustained in such cases, State-wise ; and

(c) the details thereof State-wise ?

....

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Strike by Punjab Government Employees

3160. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Punjab Government Employees went on a general

strike demanding an increase in the dearness allowance ;

(b) whether it is also a fact that 45 persons were arrested and the work of the State Government came to a standstill because of this strike ;

(c) if so, the total loss of revenue sustained by the State as a result of this strike ; and

(d) the action taken by Government to give relief to the employees?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes, on 6th May, 1966.

(b) 75 persons were arrested. The work of the State Government was partially held up.

(c) Details are being ascertained.

(d) The State Government have enhanced the dearness allowance of their employees drawing pay up to Rs. 1,000/- the increases range from Rs. 7/- to Rs. 20/- per month, with marginal adjustments up to pay of Rs. 1,020/- per month. The increases take effect from 1.4.66.

अध्यापकों की स्थायी सेवा

3161. **श्री भागवत झा आजाद:** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अध्यापकों को, जिन्होंने सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक सेवा कर ली है, उनके अपने पदों पर स्थायी बनाने के लिये दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों को कोई निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अध्यापकों को स्थायी किया जा चुका है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधीन इन अध्यापकों को स्थाई किया जाता है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थायी किये गये अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) दिल्ली प्रशासन	4364
(ii) अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	30
(iii) हिमाचल प्रदेश	2050

अन्य संघीय क्षेत्र भी, स्थायी आदेशों के अनुसार, अस्थायी पदों को स्थायी पदों पर बदलने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं ।

Sale of Obscene Pictures

3162. **Shrimati Savitri Nigam :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the sale of obscene pictures has of late increased in Delhi , rapidly ;

(b) if so, the measures taken to prevent the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Although there has been some increase in the sale of obscene literature in Delhi this year compared to the corresponding period of 1964, the number of cases reported has gone down compared to 1965. The authorities concerned are, however, vigilant in the matter.

महिला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

3163. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, मद्रास, लुधियाना और हैदराबाद में पृथक पृथक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था में कितनी महिला प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : विभिन्न स्थानों पर अनुदेशकों के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में अब तक प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं की संख्या नीचे दी गई है :—

कलकत्ता		13
कानपुर		42
मद्रास	...	शून्य
लुधियाना		शून्य
हैदराबाद	...	शून्य

बाल (श्रम प्रतिज्ञाबंधन) अधिनियम चिल्ड्रन (प्लैजिंग आफ लेबर) एक्ट

3164. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल (श्रम प्रतिज्ञाबंधन) [अधिनियम चिल्ड्रन (प्लैजिंग आफ लेबर) एक्ट], 1933 तथा नियोजक दायित्व अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर

3165. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री सुबोध हंसदा**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के कितने और कौन-कौन से एकक स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या इतने टेलीफोनों का फालतू निर्माण किया जा रहा है कि उनका विक्रय किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो निर्माण किये जा चुके टेलीफोन के पुर्जों का वार्षिक निर्यात मूल्य क्या है ; और

(घ) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का यदि कोई प्रसार कार्यक्रम है, तो वह क्या है और उसका अनुमानित व्यय क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक-मात्र एकक दूरवाणीनगर, बंगलौर में है।

(ख) कम्पनी ने 1965-66 के वर्ष में 2,01,000 टेलीफोन यन्त्र बनाये। चालू वर्ष (1966-67) में 2,20,000 टेलीफोन यन्त्र बनाने का कार्यक्रम है। कम्पनी में बनाये जा रहे उपकरणों की भारत में पूरी मांग है। फिर भी, यथा-सम्भव विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से निर्यात सम्बन्धी आदेशों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) 1966-67 के वर्ष में कुल मिलाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपये के मूल्य के माल का निर्यात होने की सम्भावना है।

(घ) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रस्ताव है कि चौथे पंचवर्षीय आयोजन की अवधि में उत्पादन-क्षमता का इस प्रकार विस्तार किया जाय कि आयोजन के अन्त तक वार्षिक उत्पादन लगभग 30 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों के निर्माण तक पहुंच जाय। इसकी अतिरिक्त पूंजीगत लागत लगभग 2.58 करोड़ रुपया होगी। इसके अतिरिक्त सुदूर प्रेषण उपकरण बनाने वाला एक नया एकक खोलने का भी प्रस्ताव है। अवमूल्यन से पूर्व इस प्रायोजना का पूंजीगत-व्यय 2.3 करोड़ रुपया रहने का अनुमान था।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

3166. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने सम्बन्धी सरकारी नीति के सांवैधानिक उपबन्ध को किस हद तक लागू किया जा चुका है ;

(ख) योजना की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या राज्यों ने केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च का कुछ भाग वहन करने के लिये निवेदन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) तीसरी आयोजना के अन्त तक 6-11 आयु वर्ग और 11-14 आयु वर्ग के क्रमशः लगभग 79.8% और 31.6% बच्चों के स्कूलों में होने का अनुमान था ।

(ख) मुख्य कारण हैं : मानवीय और आर्थिक दोनों साधनों की कमी ; प्राथमिक स्तर पर बरबादी और गतिहीनता ; कुछ क्षेत्रों में लड़कियों के स्कूल जाने के प्रति द्वेष, विशेषरूप से मिश्रित स्कूलों में और जनजातीय, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों को शामिल करने की समस्याएं ।

(ग) 6-14 आयु वर्ग में अतिरिक्त भर्ती के लिये चौथी आयोजना के राज्य क्षेत्र में 192 करोड़ रुपये सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता अलग से नहीं है । लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन के विशेष कार्यक्रमों के लिये इसी प्रकार चौथी आयोजना में 25.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । सहायता की पद्धति अभी निर्धारित की जानी है ।

डाक तथा तार की सुविधायें

3167. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक सस्ती दरों पर अथवा अधिक हानि सीमा पर डाक तथा तार की क्या और कितनी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उक्त कार्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितनी राशि खर्च की जानी थी और वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई है और यदि खर्च में कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कार्यक्रम का ब्योरा क्या है तथा उसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6890/66]

विस्फोटक पदार्थ सहित एक नागा की गिरफ्तारी

3168. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री रामसेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री विस्फोटक पदार्थ सहित एक नागा व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में जांच समाप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

3169. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 जुलाई, 1966 को भारत के विभिन्न न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कितने मुकदमे एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) देश में जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं उनके मुकदमों पर शीघ्र निर्णय करके उनके प्रति न्याय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Foreigners Studying in India

3170. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of foreigners who came for studies in India during 1965-66 and the

number among them for whom arrangements were made for teaching Hindi and other Indian languages ;

(b) Whether knowledge of Hindi of foreign students is tested at the time of their selection ; and

(c) whether the Ministry has made efforts to find out the arrangements provided for the Indians in the foreign countries for imparting education in Indian languages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. (Smt.) Soundram Ramachandran) : (a) The number of foreign scholars who came to India during 1965-66 under the schemes of scholarships administered by the Ministry of Education was 366. For 9 of them arrangements were made for teaching Hindi, and for 3 other Indian languages. During the same years, about 125 foreign scholars in India took advantage of the facility for learning Hindi at 9 Centres organised by the Indian Council for Cultural Relations.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

Mizo Rebels

3171. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of granting amnesty to the Mizo rebels is being considered ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the impact it will have on other Mizo citizens ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) and (b). No general amnesty is under consideration. However, in view of desire of some MNF Volunteers to surrender and also to get back to their villages for leading normal life, it is proposed that those who are willing to surrender along with their arms might be initially released on a bond pending investigation and each case would be finally decided on merits after the result of investigation was available.

(c) It is likely to help in restoring the situation to normal, without involving any risk of strengthening the MNF in the meantime.

हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय अभियान

3172. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 11 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1603 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अथवा किसी अन्य सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी एजेन्सी से हिन्द महासागर में दिये गये अन्तर्राष्ट्रीय अभियान के परिणामों

को भारतीय हितों के लिये व्यावहारिक रूप से प्रयोग किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस एजेन्सी द्वारा ऐसे व्यावहारिक प्रयोग की सम्भावनाओं के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक दे दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) भारतीय समुद्र अभियान के कुछ परिणामों के व्यावहारिक प्रयोग की योजनाएं, चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान विकसित किये जाने वाले भारतीय समुद्र-विज्ञान संस्थान के कार्य के कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई हैं।

(ख) इन योजनाओं के कुछ प्रगति करने पर ही कोई रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है।

हिन्दी सहायकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

3173. **श्री बागड़ी** : **श्री मौर्य** :
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रामसेवक यादव** :
श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री हिन्दी असिस्टेंटों के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के बारे में 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी असिस्टेंटों की भर्ती के लिये एक प्रतियोगी परीक्षा करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि मंत्रालयों/कार्यालयों में कितने-कितने हिन्दी सहायकों की आवश्यकता है और हिन्दी सहायकों के रिक्त पदों की संख्या के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध होते ही इस प्रश्न के बारे में निर्णय किया जायगा कि क्या हिन्दी सहायकों के लिये एक और परीक्षा ली जानी चाहिये।

भारतीय भाषा के रूप में सिंधी भाषा

3174. **श्री उटिया** :
श्री मधु लिमये :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में सिंधी को एक भारतीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है जहां वह माध्यमिक स्कूल स्तर पर वैकल्पिक विषय के तौर पर ली जा सकती है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में माध्यमिक स्कूल छोड़ने वाली परीक्षाओं के विवरण पत्रों (प्रासपेक्टस) में दूसरी भाषाओं के साथ सिंधी को भी सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया है; और

(ग) उक्त राज्यों में ऐसे कुल कितने प्राथमिक स्कूल हैं जहां सिंधी माध्यम भाषा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 6 राज्यों में सेकेंडरी स्कूल स्तर पर सिंधी भाषा एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है ।

(ख) इस मंत्रालय ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं ।

(ग) 258

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

3175. **श्री सुबोध हंसदा :**　**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त :　**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार सिन्दरी उर्वरक कारखाने में उर्वरकों का उत्पादन 1,10,000 टन बढ़ाया जा सकता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई और उनपर कितनी राशि खर्च हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं । विशेषज्ञ समिति ने जो अनुमान लगाया था, वह यह है कि वर्तमान उत्पादन प्रति वर्ष 1,10,000 मीटरी टन तक बढ़ाया जा सकता है ।

(ख) और (ग). उत्पादन को 1,10,000 मीटरी टन तक बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये गये हैं:—

(1) संतुलन (Balancing) उपकरणों की स्थापना ।

(2) लीन गैस प्रोडयूसर्स (Lean Gas Producers) की स्थापना ।

(3) नेफ्था गैसीकरणयूनिट की स्थापना ।

इन पर आने वाली कुल अनुमानित लागत 158.55 लाख रुपये (पूर्व-अवमूल्यन आधार) है । इस धनराशि में से 31 मार्च, 1966 तक 22.64 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

दुर्गापुर उर्वरक परियोजना

3176. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक परियोजना के लिये संयंत्र और मशीनें लेने का प्रबन्ध कर लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो उनपर कितनी राशि खर्च होगी; और

(ग) इन सभी मशीनों के कब आ जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) प्लांट और मशीनरी को यथासम्भव स्वदेशी निर्माताओं से और जहां अनिवार्य है, वहां इटली के प्रदायकों (Suppliers) के ऋण के अन्तर्गत आयात से प्राप्त करने के लिये व्यवस्था की जा रही है। इसके लिये बातचीत काफी बढ़ भी चुकी है।

(ख) प्लांट और मशीनरी पर खर्च होने वाली धनराशि लगभग 26.72 करोड़ रुपये होगी।

(ग) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, प्लांट और मशीनरी के बड़े हिस्से की अप्रैल, 1967 से अगस्त, 1968 तक की अवधि में स्थल पर पहुंचने की आशा है।

पुलिस के शिविरों पर विद्रोही नागाओं का हमला

3177. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री गुलशन :**
श्री भागवत झा आजाद **श्री किशन पटनायक :**
श्री सोनावने : **श्री मधु लिमये :**
श्री रघुनाथ सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बसुमतारी :**
श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा : **श्री रामहरख यादव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्दी पहने हुये और स्वचालित हथियारों से लैस, जिनमें मशीनगनें भी थीं, लगभग 300 विद्रोही नागाओं ने 28 मई, 1966 को मनीपुर के उखरूल सब-डिवीजन में सिरोही और हांगडांग में दो पुलिस शिविरों पर अचानक हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्योरा क्या है और मुठभेड़ में दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुये; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) आत्म रक्षा के लिये जवाब में गोली चलाई गई । नागा विद्रोही अंधकार की आड़ में पीछे हट कर जंगल में घुस गये । कोई भी हताहत नहीं हुआ ।

(ग) सुरक्षा के लिये सभी सम्भव कदम उठाये गये हैं ।

शरणार्थियों का बड़ी संख्या में आना

3178. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना अभी जारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में कितने शरणार्थी भारत आ चुके हैं;

(ग) हजरत बल उपद्रवों से अब तक कुल कितने शरणार्थी भारत आ चुके हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में उन्हें बसाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, हां।

(ख) मई, जून और जुलाई के प्रथम 23 दिनों के बीच 3,525 व्यक्ति भारत आये ।

(ग) 23 जुलाई, 1966 तक लगभग 8,06,000 व्यक्ति ।

(घ) 72,744 परिवार जिनको शिविरों में प्रवेश दिया गया था, उनमें से अब तक 25,840 परिवारों को पुनर्वास स्थानों में भेज दिया गया है या उन्हें रोजगार पर लगा दिया गया है या प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं । प्रत्येक राज्य में उन्हें बसाने की प्रगति के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6891/66]

Death of a Constable's Son

3179. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1237 on the 20th April, 1966, and state :

(a) whether the judicial enquiry into the causes of the death of a Constable's son has been completed ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the said boy was killed by the wife of a Deputy Secretary and to save her allegations have been made against the driver ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No judicial inquiry was ordered in this case.

(b) Does not arise.

(c) and (d), The case is pending trial in the court.

Pay Scales of Hindi Teachers

3180. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Hukamchand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Education be** pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4462 on the 27th April, 1966, and state :

(a) whether the information regarding the pay scales of Hindi Teachers in aided schools in Delhi has been collected :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) The information has been collected but it is not complete in certain respects. The matter is still under correspondence with the Delhi Municipal Corporation and the requisite information will be laid on the Table of the Sabha as soon as the complete data become available.

Grades of Teachers in Delhi

3181. **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4554 on the 27th April, 1966 and state :—

(a) whether information regarding the grades of teachers in Delhi has been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the further time likely to be taken in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The information in respect of Unstarred Question No. 4554 answered on 27.4.1966 has been collected and will be laid on the Table of the Sabha in fulfilment of the assurance on that Question shortly.

एरिंग समिति का प्रतिवेदन

3182. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 23 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेफा के प्रशासन में सुधार सम्बन्धी एरिंग समिति के प्रतिवेदन में की गई उन छः सिफारिशों के बारे में, जो क्रियान्वित नहीं की गई हैं, कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उन छः सिफारिशों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है जो कार्यान्वित नहीं की गई ।

विवरण

(1) **नेफा से संसद्-सदस्य का निर्वाचन**	(1) अभी इस सिफारिश को व्यवहारिक नहीं समझा गया है ।
(2) **राजनैतिक विवेचनकर्त्ताओं तथा राजनैतिक जमादारों के पदों को समाप्त किया जाना ।**	(2) यह निश्चय किया गया है कि इस पद्धति को समाप्त किया जाय, परन्तु इसे योजनाबद्ध कार्य-क्रम से समाप्त किया जायगा तथा बहुत विशेष मामलों को छोड़कर जहां कि राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से ऐसी नियुक्तियों के बारे में संतुष्ट हो, ऐसी नियुक्तियां नहीं की जायेंगी ।
(3) **नेफा के स्कूलों में भाषा सम्बन्धी नीति**	(3) यह मामला अभी विचाराधीन है ।
(4) **नेफा में असैनिक पुलिस दल की स्थापना**	(4) यह मामला अभी विचाराधीन है ।
(5) **भारतीय सीमा प्रशासन सेवा के अधिकारियों का भारतीय प्रशासन सेवा की पदावलि में मिलाया जाना**	(5) सरकार ने यह निर्णय किया है कि योग्य (भारतीय सीमा प्रशासन सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा की पदावलि में मिलाया जाय । इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।
(6) **नेफा में विभिन्न स्तरों पर प्रजातंत्रात्मक निकायों की स्थापना**	(6) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

Corruption in Telephone Department

3183. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the "Indian Nation" Patna on the 1st June, 1966, under the heading "Corruption Eats up Telephone Revenue, Trunk Calls unregistered" ; and

(b) if so, the steps taken to root out the corruption ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). This matter is under investigation.

वेश्यावृत्ति कराने वाले लोगों का गिरोह

3184. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में एक ऐसे गिरोह का पता लगा है जो देशव्यापी स्तर पर वेश्यावृत्ति करवाता है;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अब तक सात व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । अभी तक मामले की जांच जारी है ।

Capital Punishment

3185. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons awarded capital punishment under section 302 of the Indian Penal Code during the period from 1st January, 1964 to 30th June, 1966 ;

(b) the name of the region to which the maximum number of persons awarded capital punishment belonged ; and

(c) whether Government have conducted a survey in any of the States to which the persons awarded the capital punishment belonged with a view to finding out its effect upon the common people ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बख्शी गुलाम मुहम्मद के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3186. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री अल्वारेस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बख्शी गुलाम मुहम्मद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिये गये निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने उस निर्णय में यह कहा है कि जिस व्यक्ति ने पद त्याग कर दिया है उसके विरुद्ध आरोपों की जांच किये जाने में उसका त्याग पत्र बाधक नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो 1964 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई याचिका अथवा ज्ञापन में बहुत से संसद्-सदस्यों तथा मद्रास वकील संघ के कुछ वकीलों द्वारा मद्रास के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये उनकी आयु अथवा जन्म तिथि झूठी होने के आरोप की जांच की जायगी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने त्याग पत्र देने की पेशकश की थी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें त्याग पत्र देने की अनुमति दे दी गई थी । अतः वे उस पद पर नहीं रहे । अब इस बात को देखते हुए उनकी आयु के बारे में जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अधीन जांच आयोग नियुक्त करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

विदेश डाक दरें

3187. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० श्रीनिवासन :
श्रीमती मैमूना सुलताना :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के बाद विदेशी डाक, दूर संचार, हवाई डाक और समुद्र पार संचार, जैसे तार, टेलीफोन और रेडियो-सेवाओं की दरें बढ़ा दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और रुपये का अवमूल्यन किये जाने के कारण साधारण लागत के कहां तक बढ़ने की सम्भावना है तथा इन दरों में हाल में की गई वृद्धि से कितनी वार्षिक आय होगी ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) दरों में वृद्धि सामान्यतः उस सीमा तक होती है जितना कि अवमूल्यन के कारण रुपयों में बढ़े हुए खर्च की पूर्ति करने और अन्तर्राष्ट्रीय करारों के अधीन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। ठेठ पुरानी और संशोधित दरें तथा आय और लागत में हुई वृद्धि दर्शाने वाले विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०**-6892/66] फालतू पुर्जों की लागत में वृद्धि के कारण दूर संचार परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की लागत में केवल थोड़ी-सी वृद्धि होने की ही सम्भावना है, क्योंकि जिन कलपुर्जों और कच्चे माल का आयात किया जाता है उनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है।

मिजो विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

3188. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1966 को अथवा उससे पहले मिजो विद्रोहियों ने डमगिरि के निकट चकमा नामक एक पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो विद्रोहियों ने वहां के निवासियों को कितनी क्षति पहुंचाई; और

(ग) विद्रोहियों को मिजो क्षेत्रों में दाखिल होने तथा विनाश करने से रोकने के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) डमगिरि के निकट "चकमा" नाम का कोई गांव नहीं है। फिर मिजो विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट लगते हुए क्षेत्रों में आतंक उत्पन्न कर दिया।

(ख) काफी क्षति हुई किन्तु इसका स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया गया।

(ग) सुरक्षा सेनाएं ऐसी आतंक की कार्यवाहियों को रोकने के लिए कदम उठा रही हैं।

अम्बाला छावनी में विस्फोट

3189. **श्री गुलशन : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला छावनी में नगरपालिका के एक मेहतर को एक गन्दे नाले में एक टैंक-भेदी गोला मिला था और उसने इस बारे में पुलिस को बताया था;

(ख) यदि हां, तो यह गोला किस किस्म का था;

(ग) यह गोला किस देश का बना हुआ था; और

(घ) पुलिस द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) यह बख्तर बन्द गाड़ियों को तोड़ने वाला 90 मिलीमीटर का गोला था ।

(ग) इस बात का निश्चय नहीं किया जा सका कि यह गोला किस देश का बना हुआ था क्योंकि इसकी सूरत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी ।

(घ) जांच से किसी ऐसे अपराध का पता नहीं चला जिसमें कार्यवाही की जा सके ।

विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण

3190. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री बड़े :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इमारती लकड़ी के ठेकेदार के कर्मचारियों का विद्रोही नागाओं ने 8 जून, 1966 को दासवीं जंगल से अपहरण कर लिया था;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारियों का अपहरण किया गया था और उन्हें कब लौटाया गया; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरत्रा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सात व्यक्तियों का अपहरण किया गया था जिनमें से दो बच कर भाग निकले । अन्यों को 9 जून, 1966 को रिहा कर दिया गया ।

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता के सभी आवश्यक और सम्भव उपाय किये गये हैं ।

गोआ के मुख्य मंत्री द्वारा भूख हड़ताल की धमकी

3191. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोआ के मुख्य मंत्री द्वारा अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल किये जाने की धमकी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह किस बात के लिए भूख हड़ताल करना चाहते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ के भविष्य के बारे में 1967 में होने वाले चुनावों के द्वारा निर्णय करने का है अथवा कि एक सदस्यीय आयोग के द्वारा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी हां, सरकार ने समाचार पत्रों में एक ऐसा समाचार देखा है ।

(ग) गोवा के भविष्य का निर्णय करने के बारे में कुछ कदम उठाने के फैसले अभी किये जाने हैं इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई आयोग नियुक्त करने का विचार नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

3192. **श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ड्रिलिंग का काम चल रहा है ; और

(ग) "ड्रिलिंग" का क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 1957 में इण्डो-स्टेनवाक पेट्रोलियम परियोजना (भारत सरकार और स्टैण्डर्ड वौकूम आयल कम्पनी का संयुक्त उद्यम) द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल के लिए अन्वेषी व्यधन शुरू किया गया किन्तु 1960 में इसे छोड़ दिया गया क्योंकि यह फलदायक सिद्ध नहीं हुआ । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पुनः खोज का कार्य शुरू किया है और पहला कुआं इस मास की 18 तारीख को खोदा गया है ।

Hostile Nagas

3193. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hostile Nagas and rebel Mizos are moving about in groups in the Hailakandi sub-division of the District of Kachhar and harassing the people there; and

(b) if so, the action being taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) There is no information about the movement of Naga hostiles in the Hailakandi sub-division. M.N.F. rebels have, however, caused some harrassment to the people of the villages of this area.

(b) Possible security measures have been taken.

हाई टैंशन इन्सुलेशन फैक्टरी

3194. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाई टैंशन इन्सुलेशन फैक्टरी, रामेहीर के कर्मचारियों ने हाल में कई दिन तक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी विभिन्न मांगों के बारे में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद बिहार में रांची के पास स्थित हाई टैंशन इन्सुलेशन फ़ैक्टरी से है। यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक अशांति

3195. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हो सकने वाली औद्योगिक अशान्ति को बढ़ने से रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) मंहगाई भत्ते को निर्वाह व्यय सूचकांक से मिलाने की वर्तमान प्रणाली को बदल कर मंहगाई भत्ते को नियंत्रित रखने की कितनी संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद ऐसी औद्योगिक अशांति से है जो अवमूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि से उत्पन्न हो सकती है। अवमूल्यन से उत्पन्न स्थिति का सामना करने में अनुशासन संहिता और श्रम कानून सहायता करते रहेंगे।

(ख) मूल्यों में वृद्धि होने के कारण श्रमिकों के महंगाई भत्ते में क्या और वृद्धि की जानी चाहिए और वह किस सीमा तक होनी चाहिए, इस प्रश्न पर उससे संबंधित हर मामले को वाध्यकारी पंचाटों, समझौतों और अन्य दायित्वों के प्रकाश में विचार करना अलग अलग पक्षों का काम है।

ठेका श्रमिक प्रणाली

3196. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 983 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने तथा उसको विनियमित करने के लिये समुचित कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने ठेका-श्रमिक प्रणाली की कुछ श्रेणियों को समाप्त करने के तथा जहां इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, वहां इसे विनियमित करने के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है । इस संबंध में संसद् में एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है ।

कनिष्ठ (जूनियर) कृषि विद्यालय

3197. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री 6 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कनिष्ठ कृषि विद्यालय स्थापित करने की नई योजना के ब्योरे पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) और (ख). इस प्रश्न पर शिक्षा आयोग द्वारा उसकी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना पर फिर से विचार किया जाना है ।

बंगाल की खाड़ी में भू-कम्पीय सर्वेक्षण

3198. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि सर्वेक्षण के लिये विशेष रूप से साज-सामान से युक्त रूसी जहाजों को इस काम में लगाया गया है ; और

(ग) क्या कुछ विशेष क्षेत्रों में छिद्रण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

लद्दाख उच्च अध्ययन संस्था

3199. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख उच्च अध्ययन संस्था में उसके स्थापित किये जाते समय कितने विद्यार्थी थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संस्था में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या घटती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस समय इस संस्था में कितने विद्यार्थी हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इस संस्था में विद्यार्थियों की घटती हुई संख्या को देखते हुए इस संस्था को बन्द करने तथा उसमें अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को स्थानीय संस्थाओं में दाखिल करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) 13

(ख) जी नहीं ।

(ग) फिलहाल विद्यार्थियों की संख्या 98 है ।

(घ) जी नहीं ।

नेफ्था का प्रयोग

3200. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयली तेल शोधक कारखाने में हजारों टन नेफ्था अप्रयुक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे उद्योग जिनको ईंधन के तौर पर नेफ्था का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था इसकी लागत को देखते हुए इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं और क्या नेफ्था का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) नेफ्था का उर्वरक बनाने के लिये प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) मोटर गैसोलीन और नेफ्था की वर्तमान मांग उत्पादन से कम है ।

(ग) नेफ्था की कीमत तथा इस पर लगने वाला उत्पादन कर नेफ्था को ईंधन के रूप में अपेक्षया महंगा बना देता है । नेपथा के मूल्य को घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु इस पर उत्पादन शुल्क के दर में संशोधन की वांछनीयता विचाराधीन है ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली लगभग सभी उर्वरक परियोजनाएं नेफ्था को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगी । विशेष रूप में, जहां तक कोयली तेल शोधक कारखाने का सम्बन्ध है, गुजरात उर्वरक कारखाने की आयोजित प्रारंभिक तथा विस्तरित दोनों क्षमताओं के लिये नेफ्था सप्लाई किया जायेगा ।

Seizure of Illicit Liquor and Charas

3201. **Shri Bade :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on or about the 24th June, 1966, Karol Bagh police seized 560 bottles of liquor from a car on Gurdwara Road and arrested four persons ;

(b) if so, the name of the owner of the car and the action taken by Government ;

(c) whether it is also a fact that 7 kilos of Charas were seized from Kirti Nagar, Delhi and four persons were arrested; and

(d) whether it is a fact that 20 bottles of liquor were recovered from Subzi Mandi and that one person was arrested in that connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) On 24th June, 1966, the Karol Bagh police organised a raid and recovered 551 bottles of illicit liquor from a car on Gurdwara Road and arrested four persons under the Excise Act.

(b) Shri Suresh Chand s/o Shri Murari Lal, Action is being taken to prosecute the owner of the car under Section 78 of the Punjab Excise Act as extended to Delhi.

(c) The Moti Nagar police recovered 8 Srs. and 11 Chh. of illicit Charas from Kirti Nagar on 24th June, 1966 and arrested four persons under the Excise Act.

(d) Yes.

Arrest of a Pakistani National

3202 **Shri Bade :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Pakistani was arrested at Kharitola in Bareilly as reported in 'Vir Arjun' of the 28th June, 1966 ;

(b) whether it is also a fact that one Pakistani was arrested in Daryaganj, Delhi for overstaying after the expiry of the term of his passport ;

(c) if so, the information obtained from them ; and

(d) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) A Pakistani national named Achhan Mian was arrested at Rabri Tola in Bareilly as reported in 'Vir Arjun' of the 28th June, 1966.

(b) Yes ; but he was arrested for entering and staying in India illegally.

(c) No information of importance could be obtained from them.

(d) Cases under the Foreigners Act, 1946 were registered against them. The case against Achhan Mian is under investigation. The Pakistani national arrested in Delhi has been convicted and sentenced to two years' rigorous imprisonment.

राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा भूमि की किस्म निर्धारित किया जाना

3203. **श्री चांडक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा तैयार की गई भूमि की क़िस्में भारत की भूमिका सही चित्र प्रस्तुत करती हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा प्रकाशित भारत का भूमि सम्बन्धी मानचित्र खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा तथा योजना आयोग भूमि का मानचित्र तैयार करने का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है ; क्या विभिन्न राज्यों की भूमि की किस्मों का वर्णन एक ही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सिद्ध करने के लिए कि दोनों मानचित्र प्रामाणिक हैं तथा दोनों संगठनों द्वारा दिये गये भूमि के विवरण एक ही हैं राज्य-वार पूरा औचित्य दर्शाने की आवश्यकता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय एटलस के हिन्दी संस्करण (1957) में प्रकाशित भारत के भूमिनक्शे में, नक्शे के तैयार करने के समय उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय भूमि का एक चित्र दिखाया गया है।

(ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं दी है ।

(ग) राष्ट्रीय एटलस संगठन द्वारा प्रकाशित भूमि नक्शे में भारतीय भूमियों का सामान्य पाठ-संबंधी वर्गीकरण दिया गया है, जबकि आयोजना आयोग के भूमि नक्शे का दृष्किोण पार्श्वचित्र और उनके कृषि संबंधी तथा अन्य उपयोगों के आधार पर भूमि का उल्लेख करना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला खानों में छटनी

3204. **श्री वारियर :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में और 1966 में (30 जून तक) आसनसोल-रानीगंज, झरिया और हजारीबाग कोयला क्षेत्रों में विभिन्न कोयला खानों में प्रत्येक में से कुल कितने-कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) किन-किन कोयलाखानों में और किस किस तारीख को छंटनी की गई ; और

(ग) प्रबन्धकों ने इन कर्मचारियों की छंटनी करने के क्या कारण बताये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) 1965 के दौरान और जून, 1966 तक इन कोयला खानों में छंटनी किए गए श्रमिकों की कुल संख्या इस

प्रकार है :—

झरिया	3357
हजारीबाग	1361
आसनसोल	1233
रानीगंज	679
कुल	6630

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6893/66]

केन्द्रीय भर्ती संगठन का समाप्त किया जाना

3205. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 15 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के नवें अधिवेशन में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश के साथ केन्द्रीय भर्ती संगठन पद्धति को समाप्त करने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जैसा कि 15 मार्च, 1965 (न कि सन् 1966) को तारांकित प्रश्न संख्या 437 के उत्तर में कहा गया था, गोरखपुर श्रम डिपु को राष्ट्रीय नियोजन सेवा का एक अभिन्न अंग मानने के प्रश्न पर विचार किया गया था। परन्तु इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। अत:, जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 764, दिनांक 23 फरवरी, 1966 के उत्तर में कहा गया था, सम्पूर्ण विषय पर पुन: विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि गोरखपुरी मजदूरों पर कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन के नियंत्रण के परिणामस्वरूप उत्पन्न अवांछनीय प्रथाओं को बन्द किया जाये। इस संबंध में तय किये गये उपायों को संबंधित प्राधिकारी क्रियान्वित कर रहे हैं।

विधि पाठ्यक्रम (ला कोर्स)

3206. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने चालू शैक्षिक वर्ष से 3 वर्षीय एल० एल० बी० पाठ्यक्रम लागू कर दिया है ;

(ख) अन्य कौन-कौन से विश्वविद्यालयों में विधि में तीन-वर्षीय पाठ्यक्रम है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) बनारस, कलकत्ता और पंजाब, भारत की बार परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ।

(ग) भारत की बार परिषद् ने, जिसका **कार्य, अन्य बातों के साथ-साथ,** कानूनी शिक्षा के स्तर निर्धारित करना भी है, विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे 1967 शिक्षा सत्र के प्रारंभ से पूर्णकालिक विद्यार्थियों के लिए तीन वर्षीय तथा अंशकालिक विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ करें ।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

3207. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त सचिवों के लिये निजी सचिवों के पद बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मचारियों ने अपनी पदाली को संयुक्त करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) मामला विचाराधीन है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने विकेन्द्रीकरण की समस्याओं पर सावधानी से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यद्यपि विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप कुछ मामलों में एक ही सेवा में पदोन्नति आदि के लिये मौकों की असमानता हो जाय, तदपि लाभ का पलड़ा स्पष्टतः विकेन्द्रित ढांचे को बनाये रखने के पक्ष में झुका हुआ है ।

Admissions in Delhi Schools

3208. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 3,000 students have not got admission in the schools in Delhi even now ; and

(b) if so, the action being taken in the matter ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) No.

(b) Does not arise.

रेलवे डाक सेवा, मद्रास

3209. **श्री सेझियान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर में रेलवे डाक सेवा के सभी संचालक तथा प्रशासकीय एकक किराये की इमारतों में हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार कुल कितना वार्षिक किराया देती है ; और

(ग) क्या रेलवे डाक सेवा के सभी एककों को मद्रास में अपनी ही उपयुक्त इमारत में रखने का कोई प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। रेल डाक व्यवस्था के कुछ प्रचालन व प्रशासनिक यूनिट किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं।

(ख) 84,480 रुपये वार्षिक।

(ग) जी नहीं।

Hindi Teleprinters

3210. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1356 on the 2nd March, 1966 and state :

(a) whether necessary particulars have since been received by the Hindustan Teleprinters Limited from its collaborators regarding the technical and manufacturing aspects of the Hindi Teleprinter keyboard design ; and

(b) if not, the steps taken to avoid delay in the matter ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). The Management of Hindustan Teleprinters Ltd. have taken a decision to enter into an agreement with the collaborators for supply of tooling and know-how for the manufacturing of Hindi Teleprinters and orders are being placed for the same.

Hindi Telegrams Manual

3211. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Posts and Telegraphs Department published Hindi Telegram Manual last and the number of copies published ;

(b) since when copies thereof are not available in the Telegraph Offices ;

(c) the arrangements made to acquaint the public with rules regarding Hindi telegrams ; and

(d) when more copies of Hindi Telegram Manual will be printed ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) 20,000 copies of Hindi Tar Nirdeshika were published last in 1959.

(b) Since 1964, Hindi Tar Nirdeshika has been replaced by other Departmental publications.

(c) and (d). Names and working hours of Telegraph Offices handling Devnagri Telegrams are now printed in Devnagri script every year in the Telegraph Guide, Volume **II.** A separate chapter written in Hindi containing rules regarding Devnagri Telegraph Service has also been included in the Telegraph Guide, Volume I, which is reprinted as and when necessary.

These volumes are available in every Telegraph Office both for consultation and sale.

विद्रोही मिजो लोगों के पास चीनी शस्त्रास्त्र

3212. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के लिये आये हुए चीनी शस्त्रास्त्र मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्यों के हाथ लग गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उनको शस्त्रास्त्र का मिलना बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

3213. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मिलों के बन्द हो जाने के कारण कपड़ा मिलों के बहुत से कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितने कपड़ा कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं; और

(ग) उन्हें फिर से रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). विभिन्न कारणों से 18 कारखानों के बन्द हो जाने के कारण 25,433 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है और लगभग 16 सूती वस्त्र कारखानों में, जिन्हें रद्द करने के लिए उचित समझा गया है, 13,214 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा । इस समय इस उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 9.38 लाख है ।

(ग) जो कारखाने बन्द हो गये हैं उन्हें दोबारा चालू करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :– जहां-कहीं आवश्यक हो, बन्द कारखानों के मामलों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत समितियों की नियुक्ति और समुचित मामलों में कारखानों के कार्यभार को सम्भालने और चलाने के लिए

प्राधिकृत नियंत्रकों की नियुक्त । समुचित मामलों में ऐसे कारखानों को धन उपलब्ध करने के लिए सरकार बैंकों को गारण्टी देती है। जहां-कहीं कारखाने रद्द किये जाते हैं उस क्षेत्र में नये कारखाने चालू करने के प्रयत्न किये जाते हैं ताकि बेरोजगार हुए मजदूरों को रोजगार मिल सके ।

Fertilizer Factory, Gorakhpur

3214. **Shri Dighe :**

Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of the Fertilizer Factory at Gorakhpur, Uttar Pradesh has come to a standstill ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (**Shri Alagesan**) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

भारतीय टेनिस खिलाड़ी

3215. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ियों ने, जो सरकार की स्वीकृत अथवा सहायता से इस ग्रीष्म काल में यूरोप गये थे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ साझेदारी में हाल में हालैंड और स्विट्जरलैंड के अन्तर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हमारे इन खिलाड़ियों की इस कार्यवाही का अनुमोदन करती है और यदि नहीं, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रति हमारे देश की सुनिश्चित नीति की उन खिलाड़ियों द्वारा पूर्णत: अवहेलना किये जाने के लिये सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अखिल भारतीय टेनिस संस्था ने संबंधित खिलाड़ियों से वास्तविक स्थिति बताने के लिए कहा है, साथ ही उन्हें यह चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की साझेदारी में न खेलें ।

(ख) भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों के दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की साझेदारी में खेलने का अनुमोदन नहीं करती और इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय टेनिस संस्था को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है । मामले के पूरे तथ्य मालूम होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

पूर्व पाकिस्तान के साथ लगी मिजो हिल्स सीमा का सुरक्षापूर्वक बन्द करना

3216. **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान के साथ लगी मिजो पहाड़ी सीमा को

सुरक्षापूर्वक बन्द कर देने के बारे में आसाम राज्य सरकार के सुझाव को केन्द्रीय सरकार ने मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) ऐसी योजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार और आसाम की राज्य सरकार ने पाकिस्तान के साथ लगी मिजो पहाड़ी सीमा सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के लिये समय-समय पर कुछ ठोस कदम उठाये हैं। नये प्रबन्धों में होने वाले कुछ व्यय का ठीक-ठीक हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।

संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये प्रतिनियुक्ति का कोटा

3217. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ और पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्रों से केन्द्रीय सेवा में भारतीय प्रशासन सेवा पदालि के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का अभ्यंश निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र का प्रतिनियुक्ति का अभ्यंश कितना है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रतिनियुक्ति का कोटा निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आजकल मनीपुर, त्रिपुरा, गोआ और पांडीचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा का कोई संवर्ग नहीं है।

(घ) भारतीय प्रशासन सेवा के दिल्ली-हिमाचल प्रदेश संयुक्त संवर्ग को अन्य संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू करने का विचार है। जब ऐसा किया जायगा तब संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जायगी। ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

Mizo Firing on Patrol Party

3218. **Shri Bade:** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Y. D. Singh:** **Shri Sonavane:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mizo rebels opened fire stealthily on a police patrol party near a place named Bualpui at Silchar-Aijal Road during the third week of July, 1966 as reported in 'Hindustan', dated the 20th July, 1966;

(b) if so, the loss sustained as a result thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). On the 15th July, 1966, the M.N.F. rebels sniped at Bualpui Post. The fire was returned by the Security Forces. There was no casualty on our side. The M.N.F. casualties are not known.

(c) Necessary all possible security measures have been taken.

Arrest of Chinese in Manipur

3219. **Shri Bade: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Y. D. Singh: Shri Sonavane:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Chinese nationals have been arrested in village Mara of Manipur;

(b) if so, the particulars of the articles recovered from them; and

(c) the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Raid by Pakistani Dacoits

3220. **Shri Sonavane: Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade: Shri Y. D. Singh:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 20 Pakistani dacoits raided Saminbund village of Jalpaiguri during the third week of July, 1966 and ran away with a huge amount of money and cattle as reported in the 'Vir Arjun', dated the 23rd July, 1966;

(b) if so, the estimated amount of loss reported to Government; and

(c) the action taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a), to (c)—On 21-7-1966 night, eight or nine Pak. criminals committed dacoity in the house of one Dokeya Barman of village SAMILABASH, District COOCH BEHAR (not SAMINBUND, village of JAIPAIGURI) situated at a distance of about 75 yards from the border. After assaulting Dokeya Barman with lathis and taking away thirteen heads of cattle valued at about Rs. 600/-, the dacoits retreated towards Pakistan. Of the 13 heads of cattle taken away, ten came back on their own to the Dukeya's house next day.

A case has been started under Section 365/397 I. P. C.

Pak Intrusion Through Balat

3221. **Shri Bade Shri Sonavane Shri Hukam Chand Kachhavaiya Shri Y. D. Singh**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 40 Pakistanis entered into Indian territory through Balat river on Assam-East Pakistan border as reported in "Vir Arjun", dated the 18th July, 1966;

(b) if so, the loss suffered therefrom ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a)to (c). On 14th July, 1966, a large number of Pak nationals in 30 to 40 boats trespassed into Indian territory to a depth of half a mile along the river Balat with a view to collecting boulders from Indian territory. When Border Security Force patrol party challenged the intruders and attempted to arrest them, the boatmen became violent and attacked the patrol party, who after due warning, resorted to firing. Two Pakistani nationals are believed to have been injured.

Necessary protest has been lodged with East Pakistan Government.

मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास

3222. **श्री राधे लाल व्यास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की सीनेट का एक संकल्प तथा उप-कुलपति की चिट्ठी मिली है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि मध्य भारत गंगाजली निधि न्यास द्वारा विश्वविद्यालय की विकास आरक्षित निधि के लिए मंजूर की गई 25 लाख रुपये की राशि विश्वविद्यालय को दिलवाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

त्रिपुरा में विस्थापित लोगों द्वारा देय ऋण की बकाया राशि

3223. **श्री दशरथ देव** :

श्री वीरेन दत्त :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार त्रिपुरा सरकार ने पुराने विस्थापित लोगों द्वारा एक हजार रुपये तक के ऋणों की बकाया देय राशि बट्टे खाते में डाल दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण):(क) जी, नहीं।

(ख) ऋण की छूट देने की लेखा-विधि के विषय में अभी तक महा लेखाकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले

3224. **श्री दशरथ देव** :

श्री वीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 5 वर्षों में त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामलों की ओर केन्द्रीय जांच

विभाग का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये मामले किस प्रकार के हैं; और

(ग) इन मामलों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी):(क) जी हां।

(ख) 1961 से 1966 तक की अवधि में जांच पड़ताल के लिये 14 मामले दर्ज किये गये। ये मामले सरकारी धन के दुर्विनियोग, घटिया स्तर के माल के सम्भरण, स्वीकृत अनुपात से अधिक सम्पत्ति होना, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भू-सम्पत्ति का अर्जन तथा धोखादेही से सम्बन्धित थे।

(ग) 5 मामलों की जांच अभी तक चल रही है। एक मामला सबूत के अभाव में उठा लिया गया। 8 मामलों में जांच पूरी हो जाने के बाद उचित विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई।

त्रिपुरा में रिक्त राजपत्रित पद

3225. **श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में ऐसे राजपत्रित पदों की कुल संख्या कितनी है जो अब भी रिक्त है यद्यपि इन पदों के बारे में बहुत समय पहले विज्ञापन दिया गया था;

(ख) इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को यथासंभव शीघ्र भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी):(क) 105

(ख) ये पद ज्यादहतर उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की वजह से रिक्त हैं; और

(ग) 105 रिक्त पदों में से 82 चिकित्सा अधिकारियों के हैं, 15 शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों तथा प्राध्यापकों के, 6 जिला प्रशासन के अधीन सर्किल आफिसरों के, और 2 उद्योग मंत्रालय के अधीन हैं। आम तौर पर डाक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यक संख्या ढूँढ़ पाना सम्भव नहीं हो सका।

विभागाध्यक्षों तथा प्राध्यापकों के 15 पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग के जरिये विज्ञापन दिया गया किन्तु आयोग किसी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं कर सका। इन पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग को ताजा मागें भेजी गई हैं। सर्किल आफिसरों के छः पदों का स्थानीय रूप से विज्ञापन दिया गया था किन्तु उम्मीदवारों में से किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया गया। आगे सर्किल आफिसरों के इन पदों को बंदोबस्त विभाग के फालतू घोषित कर्म-

चारियों में से भरती द्वारा भरने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। प्रायोजना अधिकारी और योजना-तथा-सर्वेक्षण अधिकारी के एक एक पद के लिए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Strikes in Factories

3226. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of factories, owned/controlled by Central Gover nment employing 1,000 or more labourers, in which strikes took place during 1964-65 ;

(b) the number of times the strikes took place in Government factories ; during the said period ;

(c) the amount of loss sustained as a result thereof in Government factories ; and

(d) the number of those labourers who were retrenched from service and of those arrested as a consequence thereof ?

The Deputy Minister in the Ministery of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (d) : The matter falls mostly in the State sphere. Information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as possible.

Employment Exchanges in Delhi

3227. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Graduates who were registered at the Employment Exchanges of Delhi as on the 1st June, 1966 ;

(b) whether their number is more than that of the last year ; and

(c) the number of Graduates who got employment through Employment Exchanges in Delhi during 1965 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The information is collected on a half yearly basis. The number of graduates (including post-graduates) on the live register of the Employment Exchanges in Delhi as on the 20th June, 1966 was 10,170.

(b) Yes.

(c) 1,998.

प्राथमिक शिक्षा के माध्यम

3228. **श्री हु० च० सोय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा तथा पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था करने के मामले में आदिम जातियों के बच्चों को इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं, और उन पर प्रादेशिक भाषाएं थोपी गई हैं जिससे आरम्भ में ही उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा है;

(ख) क्या छोटी-छोटी रूसी जातियों को ये सुविधाएं किस प्रकार सफलतापूर्वक दी गई हैं, इसका कोई अध्ययन किया गया है और उपयुक्त रूपभेद के साथ यहां पर भी वैसी ही व्यवस्था अपनाने के लिये कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि सन्थाली, मुन्डरी तथा ओरोआं जैसी आदिमजातीय भाषाओं में से प्रत्येक भाषा को विहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्रों के निवासियों में से 40 लाख से भी अधिक लोग बोलते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारी

3229. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा में कितने कर्मचारी इस समय हैं;

(ख) उन्हें देश के किन-किन स्थानों में भेजा जा रहा है;

(ग) क्या राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने कुछ मामलों में भारतीय सीमान्त सेवा के कर्मचारियों को लेने से मना किया अथवा अनिच्छा दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) चौहत्तर ।

(ख) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा अधिकारी अधिकतर पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण, नागालैण्ड, मनीपुर और त्रिपुरा में नियुक्त किये जाते हैं । कुछ को जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह और केन्द्रीय मंत्रालयों में भी नियुक्त किया जाता है ।

(ग) और (घ) भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा का सदस्य होने के नाते किसी को लेने से मना नहीं किया गया; किन्तु अधिकारियों को लेने वाले अभिकरण उन अधिकारियों को लेने से पूर्व उनकी व्यक्तिगत कुशलता पर विचार करते हैं ।

भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारियों का विलय

3230. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि में विलय के लिए एक प्रकार की परीक्षा का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षा का स्तर क्या है और क्या यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जायेगी;

(ग) क्या उन प्रस्तावों के विरुद्ध भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). दिल्ली हिमाचल प्रदेश तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक संयुक्त आई० ए० एस० पदालि बनाने का विचार है। यह पदालि नेफा क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी। इसके बनने पर भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के सदस्यों की संघ राज्य क्षेत्रों की भारतीय प्रशासन सेवा पदालि में नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। इस सेवा के बनने पर भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के अधिकारियों का संघ राज्य क्षेत्रों की भारतीय प्रशासन सेवा की पदालि में चयन एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका सभापति संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान अथवा संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य होगा। अभी तक ठीक-ठीक उन बातों का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है जिनके आधार पर भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के अधिकारियों की संघ राज्य क्षेत्रों की भारतीय प्रशासन सेवा पदालि में नियुक्तियां की जायेंगी। भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा संघ ने यह अभ्यावेदन पेश किया है कि भारतीय सीमान्त प्रशासन सेवा के सब अधिकारियों को संघ राज्य क्षेत्रों की भारतीय प्रशासन सेवा की पदालि में शामिल किया जाये। इसे व्यवहारिक नहीं समझा गया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को गृह-निर्माण

3231. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को दिये गये गृह-निर्माण ऋणों को माफ करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अवर सचिवों की तालिका

3232. **श्री यु० द० सिंह** : **श्री युद्धवीर सिंह** :
श्री बड़े : **श्री नारायण दांडेकर** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त चयन समिति की सिफारिशों को

केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमन, 1964 के नियम 5-ए-दो (5) के अधीन परामर्श के लिए संघ लोक सेवा आयोग को दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1966 में बनाई गई तथा जून, 1966 में बनाई जाने वाली अवर सचिव तालिका में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता जांचने में चयन समिति ने क्या कसौटी अपनाई है;

(ग) क्या जनवरी, 1966 में बनाई गई तालिका के लिए अपनाई गई कसौटी में जून, 1966 में बनाई गई तालिका के लिए अपनाई गई कसौटी में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल). (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा (प्रथम श्रेणी तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियमन 1964 के नियम 5 (4) के अनुसार अनुभाग अधिकारियों की ग्रेड I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने के लिए वरिष्ठता के आधार पर चयन क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों में से योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाता है । इन दोनों चुनावों के लिए संबंधित अधिकारियों की योग्यता चयन समिति द्वारा उनके गोपनीय अभिलेखों और साक्षात्कार में प्रदर्शित योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई थी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लाभांश (बोनस)

3233. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोनस के भुगतान के मामले में बोनस अध्यादेश 1965 का खण्ड 20 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भी लागू होता है और बोनस का भुगतान लेखा वर्ष समाप्त होने के बाद आठ महीनों के भीतर किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या 1963-64 और 1964-65 के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, दामोदर घाटी निगम और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के बोनस संबंधी दावों का भुगतान किया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

तेल समवायों के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3234. **श्री यु० द० सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जुलाई, 1966 को दिल्ली में विभिन्न तेल समवायों के 300 से अधिक कर्मचारियों ने अधिक वेतनादि के लिये विज्ञान भवन के बाहर प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां). (क) और (ख). तेल कम्पनियों के कर्मचारियों ने 30 जुलाई, 1966 को विज्ञान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन के उस ज्ञापन के अनुसार प्रतीत होता है जोकि सरकार को 29 जुलाई को प्राप्त हुआ था। इस ज्ञापन में अधिक मजूरी की कोई मांग नहीं थी।

बहादुरशाह जफर जयन्ती

3235. **श्री मोहम्मद कोया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहादुरशाह जफर के जयन्ती समारोह को राष्ट्रीय स्तर पर मानने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

3236. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं कितनी हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई केरल राज्य में स्थित है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों की अवधि में कितनी प्रयोगशालाएं खोली जायेंगी और क्या इनमें कोई केरल में स्थापित की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में स्थापित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, संस्थानों, संग्रहालयों, तकनीकी यूनिटों, अनुसंधान केन्द्रों की एक सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6894/66]

(ख) जी नहीं।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के चौथी आयोजना के प्रस्तावों में, केरल में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्रगोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है । इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

ज्योतिष महाविद्यालय दिल्ली

3237. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुए अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन में दिल्ली में एक ज्योतिष महाविद्यालय स्थापित किये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्मेलन के अतिरिक्त और कहीं से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो किस संस्था की ओर से ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली में ज्योतिष महाविद्यालय की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्रालय के पास अभी तक कोई मांग नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

महिलाओं का अपहरण करने वालों का गिरोह

3238. **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री बृजबासी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने महिलाओं का अपहरण करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का, जिसका मुख्य अड्डा दिल्ली में है, पता लगाया है और इस गिरोह के छः सदस्यों को, जिनमें दो स्त्रियाँ भी शामिल हैं, हाल ही में गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में स्त्रियों का अपहरण करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है । इस गिरोह के सात सदस्य गिरफ्तार किये गये हैं । इनमें दो स्त्रियां भी शामिल हैं । मामले की जांच की जा रही है ।

Theft of Wires in Delhi

3239. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Omkar Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police have apprehended a gang engaged in cutting wires, in Tilak Nagar, New Delhi recently ;

(b) if so, the quantity of wire recovered from them; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) An official of Delhi Cantt. Exchange apprehended a man who was cutting Lead Sheathed Wire from D. P. No. 5201 near Gandhi Park, Hari Nagar and handed over the man to the Police Station, Tilak Nagar.

(b) No recovery has been made by the Department.

(c) The case is with the Police authorities.

विशारद तथा मध्यमा की उपाधियां (डिग्रियां)

3241. **श्री मधु लिमये : श्री बड़े :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय : श्री युद्धवीर सिंह :
श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद हिन्दी विश्वविद्यालय की विशारद तथा मध्यमा उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों की बी० ए० उपाधि के बराबर मानने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें विशारद तथा मध्यमा उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों की केवल इंटरमीडियेट उपाधि के बराबर मानती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इस सम्बन्ध में केन्द्र की नीति का अनुसरण करने की सलाह दी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०का० चागला) : (क) 'इलाहाबाद हिन्दी विश्वविद्यालय' नाम का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तथापि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदान किए जाने वाले मध्यमा (विशारद) प्रमाण-पत्र को, न कि मध्यमा और विशारद प्रमाणपत्र को, भारत सरकार ने अपने अधीन पदों के लिये जहां अन्य योग्यताओं के अलावा हिन्दी की योग्यताएं भी अपेक्षित हों, विश्वविद्यालय की बी०ए० परीक्षा के हिन्दी स्तर के समकक्ष मान्यता प्रदान की है, न कि बी० ए० की पूरी डिग्री के बराबर।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यता के आधार पर वे भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मध्यमा (विशारद) प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान कर दें।

Barauni Oil Refinery

3242. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received any letter of protest about the irregularities in the promotions in Barauni Oil Refinery ;

(b) whether Government are aware that irregularities are being committed in regard to promotions in all Government Undertakings under his Ministry especially in the Undertaking situated in Bihar ; and

(c) if so, the preventive measures adopted and the result thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) A representation received from Indian Refineries Mazdoor Mahajan, Barauni, refers, **inter alia,** to questions of promotions in the Barauni Refinery.

(b) No.

(c) Does not arise.

दिल्ली में ड्राइंग के अध्यापक

3243. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय में काम करने वाले ड्राइंग के अध्यापकों को (ड्राइंग विषय के एम० ए०) उसी योग्यता के अन्य अध्यापकों के समान नहीं समझा जाता है और उन्हें उनके बराबर वेतनक्रम भी नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनकी ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). किसी विषय को पढ़ाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं को देखते हुए ही विभिन्न विषयों के अध्यापकों के पदों के लिए वेतन मान निर्धारित किये जाते हैं । ड्राईंग के लिए, न्यूनतम योग्यताओं के अन्तर्गत ड्राइंग में एम० ए० की डिग्री आवश्यक नहीं है, और इसीलिए ड्राइंग अध्यापकों के लिए उत्तर स्नातक अध्यापक-वेतनमान के कोई पद नहीं हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन सरकार ने उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित कारणों से ड्राइंग अध्यापकों के पद के लिए योग्यताओं में संशोधन करना उचित नहीं समझा ।

विदेशी लेखकों को रायल्टी

3244. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत राज सहायता प्राप्त पुस्तकों पर विदेशी लेखकों को 35 से 40 प्रतिशत तक रायल्टी देती है ;

(ख) क्या भारतीय प्रकाशक संघ ने इन हानिकारक प्रथाओं को जो भारतीय प्रकाशन उद्योग के हितों के विरुद्ध हैं समाप्त करने के लिये प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पी० एल० 480 कार्यक्रम के अधीन पुनः प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में, अमरीकी खुद्रा मूल्य के 10 प्रतिशत तक रायल्टी की अनुमति दी जाती है। कार्यक्रम के अन्तर्गत चूंकि पुनःप्रकाशित पुस्तकों का भारतीय मूल्य, अमरीकी मूल्य की अपेक्षा एक-तिहाई होता है, इसलिए रायल्टी भारतीय मूल्य की तुलना में तिगुनी होती है। किन्तु भारतीय करों के कारण वास्तविक रायल्टी आधी रह जाती है और रायल्टी की वास्तविक रकम अक्सर सीमित दर से कम होती है।

(ख) 30 जून 1965 की अपनी दूसरी वार्षिक आम बैठक में भारत के प्रकाशक संघ द्वारा इस संबंध में पारित प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार को उपलब्ध हो गई थी।

(ग) ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही सरकार रायल्टी की वर्तमान दर के लिए सहमत हुई है और इसे कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Licences for the Manufacture of Arms

3245. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to states :

(a) the number of States to whom licences have been given after 1956, to manufacture arms for the purposes of self-defence and game, apart from the Ordinance Factories of the Government of India ;

(b) the number of such factories in each State and the types of arms manufactured in each factory and the difference in the prices of indigenons and imported arms ;

(c) whether there is any factory in the private sector in India in which 22 bore, 25 bore or 32 bore pistols are manufactured ; and

(d) whether Government propose to set up a new factory in the private sector in view of the shortage of such arms and prevailing black-market in this type of arms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Licence for manufacture of arms has been given to any State after 1956.

(b) Does not arise. As arms are not being imported, it is not possible to compare prices of indigenous arms with those of imported arms.

(c) No, Sir.

(d) No, Sir.

P. C. O. in Mandi Labuwali, Rajasthan

3246. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that while a Public Call Office exists in the Post Office in Mandi

Labuwali (Pilibanga) of District Ganganagar in Rajasthan, no arrangements have been made for accepting telegrams/phonograms to meet the requirements of businessmen and public as a result of which people have to go to Suratgarh or Hanumangarh Post Office for sending telegrams ; and

(b) the reasons for not making arrangements for sending telegraphic messages to the concerned Telegraph Office through the Public Call Office ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) Arrangements exist for accepting telegrams at Pilibanga Post Office and transmitting them by phone to Hanumangarh.

(b) Does not arise.

Certificate for Scheduled Castes Students

3247. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes studying in educational institutions are required every year to produce a certificate from M.L. As., M. Ps. or 1st Class Magistrates to the effect that they belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe or a Backward Class to get the tuition fee exemption while they continue studying in the same institution ;

(b) if so, whether the caste of such students can change in a year ; and

(c) the reasons for having such certificates every year ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Cancellation of Allotment of Land to Harijans

3248. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Settlement Officer, Department of Rehabilitation, Government of India, Sriganga Nagar, has issued notices to the poor Harijan refugees of Sriganga Nagar District cancelling the allotment of their land on the ground that some instalments are outstanding against these refugees ;

(b) if so, the total number of refugees to whom cancellation notices have been issued so far ;

(c) the number of those out of these refugees who have deposited 10 per cent of the said instalments ;

(d) whether it is a fact that there was no production in their fields on account of water supply to Pakistan, continuous drought conditions in the said district and Pakistani attack as a result of which they could not deposit the amount of their instalments ; and

(e) whether Government received any representation from the refugees in this regard and if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) Yes, the Managing Officer, Sri Ganga Nagar had issued show cause notices for cancellation of the allotments to displaced persons who had purchased land on instalment basis in Sri Ganga Nagar district and had defaulted in payment of the instalments due. No separate figures for Harijan displaced persons are available.

(b) Show cause notices have been issued to about 6,000 allottees but cancellation orders have been passed only in about 170 cases. On appeals filed against the cancellation orders, further time has been given to the allottees to pay the instalments by 31st October, 1966.

(c) Initial payment of 10 per cent of the cost of the land, as required under Rule 63 of Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Rules, 1955 has been deposited by all allottees. After issue of show cause notices the defaulters are required to pay the entire amount since fallen due. As such, the question of depositing 10 per cent of the instalments after the issue of show cause notices, does not arise.

(d) Assessment of crops is primarily the concern of the State Government. No such data is maintained in the office of the Managing Officer. Sri Ganga Nagar.

(e) Yes. As a result of representations received from displaced persons, they have been given time to pay the amount of the outstanding instalments by 31st October, 1966 and orders have been issued not to cancel any allotment or to evict any allottee till then.

तेल समवायों में नौकरी की सुरक्षा संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3249. **डा० रानेन सेन :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल समवायों में नौकरी की सुरक्षा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि तेल समवाय इस प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि इस समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) सरकार ने नियोजकों और मजदूर यूनियनों से द्विपक्षीय बातचीत द्वारा सम्बद्ध मामलों पर मतभेद दूर करने में उनके मार्ग दर्शन के लिए समिति के मुख्य सुझाओं की सिफारिश की है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कम्पनियों को यह मनाने के लिए प्रयत्न जारी रहेंगे कि वे इन सिफारिशों का पालन करें ।

Criteria for Fixation of Seniority

3251. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Y. D. Singh :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the seniority of the persons qualifying in the U. P. S. C. examinations is fixed according to their merit in the examination ;

(b) whether it is also a fact that the seniority of a person, who qualifies in the said examination while in Government service, is not fixed on the basis of his length of service ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes. According to the general principles of seniority in civil posts/services, recruitment to which is made on the results of the competitive examinations held by the Union Public Service Commission, is determined in the order of merit assigned by the Commission, persons appointed as a result of earlier selection being treated senior to those appointed as a result of subsequent selection, provided that where persons recruited initially on a temporary basis are comfirmed subsequently in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment, seniority follows the order of confirmation and not the original order of merit. Accordingly, seniority of a person already in Government Service, who is appointed to a post/service on the basis of a competitive examination is not determined on the basis of length of service.

(c) Competitive examinations are held by the U.P. S.C. to assess the relative merit of candidates for recruitment to a post/service and, as such, length of service of a person already in service who appears in such examinations, has no relevance for the determination of his relative order of merit **vis-a-vis** others not in Government Service or even others in Government Service.

Senior Staff Council

3252. **Shri Y. D. Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Kashi Ram Gupta :**

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3005 on the 30th March, 1966 and state :

(a) whether the first meeting of the Senior Staff Council has since been held ; and

(b) if so, its main decisions ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the minutes of the meeting is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T.-6895/66]**.

केरल में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्ति

3253. **श्री प० कुन्हन :**

श्री बासुदेवन नायर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में मध्यम तथा निम्न दर्जे के वर्गों में पढ़े-लिखे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होते ।

बरहामपुर मुख्य डाकघर (हैड पोस्ट आफिस)

3254. **श्री मोहन नायक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरहामपुर मुख्य डाकघर काफी समय से एक किराये की इमारत में है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) प्रतिमाह कितना किराया दिया जा रहा है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) मई 1959 से ।

(ग) 500 रुपये ।

बरहामपुर मुख्य डाकखाने के लिए इमारत

3255. **श्री मोहन नायक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बरहामपुर मुख्य डाकखाने के लिए एक नई इमारत बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब से आरम्भ होगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) जी हां। बरहामपुर के प्रधान डाकघर, विभागीय तारघर तथा डाकघर अधीक्षक के कार्यालय के लिए एक संयुक्त इमारत बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) 8,13,500 रुपये।

(ग) चारदीवारी का निर्माण कार्य तो पहले से ही चालू है। प्रायोजना के निष्पादन से पूर्व की सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हो जाते ही इमारत बनाने का काम आरम्भ कर दिया जाएगा।

Stenographers in Ministries

3256. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Priya Gupta:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Hindi and English Stenographers, separately, employed in various Ministries of the Central Government;

(b) whether seniority of the Stenographers of both the Languages is fixed collectively and they are promoted accordingly; and

(c) if not, the reason therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) The posts of Hindi Stenographers are isolated ones created temporarily to meet the immediate requirements of the Ministries and are, therefore, allowed to be filled by the Ministries on an **ad-hoc** basis. On the other hand, English Stenographers (Grade II of the Central Secretariat Stenographers Service) are recruited through the U.P. S.C. and are members of a regular cadre. Hence, the question of fixing the seniority of the Stenographers of both the languages collectively does not arise.

भारत में ईसाई धर्म प्रचारक

3257. **श्री जेधे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बहुत से विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1966 को पिछले पांच वर्षों में, वर्षवार, भारत में ऐसे विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारकों की क्या संख्या थी ;

(ग) इन धर्म-प्रचारकों को पिछले पांच वर्षों में (वर्ष-वार और देश-वार) विदेशों से कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(घ) इस अवधि में कितने हिन्दुओं को ईसाई बनाया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख) 1962, 1963, 1964, 1965, और 1966 में एक जनवरी को भारत में पंजीकृत विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या क्रमशः 4516, 4314, 4320, 4111 और 4214 थी।

(ग) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6896/66]

(घ) एक धर्म से दूसरे धर्म में होने वाले धर्म-परिवर्तन के मामलों के पंजीकरण के लिये कोई कानून नहीं है। फिर भी उपलब्ध सूचना के अनुसार 1962 से लगा कर 5533 व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। इन व्यक्तियों के मूल धर्म के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Promotion of Language Teachers

3258. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that this year only Language Teachers have been given promotions in the Higher Secondary Schools in the capital;

(b) whether it is also a fact that according to the rules, promotions to the Language Teachers and the trained teachers are given on the basis of 50 per cent. each; and

(c) if so, the reasons for not observing the rules in this case?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

पुलीकाल डाकघर (केरल)

3259. **श्री मुहम्मद कोया**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलीकाल (कालीकट जिला) डाकघर का दर्जा बढ़ा कर उसे उप डाकघर बनाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या ऐसा करने के लिये पहले से ही कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसका दर्जा न बढ़ाने के क्या कारण हैं?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). मार्च, 1964 तथा फरवरी, 1965 में इस प्रस्ताव की जांच की गई लेकिन आर्थिक औचित्य के अभाव में इसे खत्म कर दिया गया। इस वर्ष पंचायत के अध्यक्ष से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर पुलीकाल डाकघर का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर फिर से विचार किया जा रहा है।

बंगलौर विश्वविद्यालय

3260. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार बंगलौर विश्वविद्यालय को अपने हाथ में ले ले, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस विश्वविद्यालय को किन शर्तों पर अपने अधिकार में लिया जायेगा ; और

(ख) क्या इसे संघीय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). मैसूर सरकार ने मार्च 1965 में पूछा था कि विद्यमान बंगलौर विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का क्या भारत सरकार का कोई प्रस्ताव था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के इस पूरे मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

विदेशी शक्तियों के साथ मिजो विद्रोहियों की सांठगांठ

3261. **श्री पन्नालाल :**
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री फ० गो० सेन :
श्री ब्रजबासी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अगस्त, 1966 को ऐजल-सिल्चर राजपथ पर मिजो नेशनल फ्रन्ट के एक दूत के पास से कुछ कागजात पकड़े गये थे, जिनसे मिजो विद्रोहियों और एक विदेशी शक्ति के बीच निश्चित रूप से सांठगांठ का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्मरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 3 अगस्त, 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट का एक दूत ऐजल सिच्चर रोड के मील 55.6 पर गिरफ्तार किया गया। वह मिजो नेशनल फ्रंट के विभिन्न नेताओं को लिखे गये कुछ दस्तावेज ले जा रहा था। वे मिजो नेशनल आर्मी की तथाकथित तीसवीं बटालियन के कमांडिंग आफिसर्ज द्वारा अपने कम्पनी कमांडरों को लिखे गये पत्र थे। इन दस्तावेजों का सम्बन्ध मिजो विद्रोहियों के किसी विदेशी शक्ति से सांठगांठ के साथ नहीं था।

(ख) कोलोसिब थाने पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

विज्ञान सम्बन्धी निधियों में कटौती

3262. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विज्ञान सम्बन्धी निधियों में कटौती न करने के लिए कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) विनिहित अनुदानों में सम्भव कटौती करने और किफायत बरतने की सम्भावनाओं का पता लगाने से सम्बन्धित सरकार का निर्णय वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास सहित सभी अनुदानों पर लागू होता है।

(ख) शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों के सभी क्षेत्रों में सम्भव कटौतियों के प्रश्न की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स के कर्मचारी

3263. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **संचार** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन कर्मचारियों ने प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी न होने के कारण इन भत्तों को पाने के अधिकारी नहीं हैं। फिर भी कम्पनी के प्रबन्धकों ने इन कर्मचारियों को, 1 मार्च, 1964 से, मद्रास सरकार की दरों पर मकान किराया भत्ता मंजूर कर दिया है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए पहले ही एक वेतन मण्डल (वेज बोर्ड) की स्थापना कर दी है जिसने इन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अंतरिम-सहायता सम्बन्धी एक योजना की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और वह हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के कर्मचारियी पर भी लागू होगी। राज्य सरकार के समझौता-अधिकारी, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों से मिलते रहे हैं और प्रबन्धक-वर्ग इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है तथा समझौते का कोई सूत्र खोजने का यत्न कर रहा है।

मध्य प्रदेश के लिए नेफ्था

3264. **डा० चन्द्रभान सिंह : श्री वाडीवा :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री पाराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है कि बरौनी से कानपुर तक आने वाली नेफ्था पाइपलाइन को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा के किसी उपयुक्त स्थान पर काट कर मध्य प्रदेश को नेफ्था दिलाने की व्यवस्था की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) नेफ्था विशिष्टियों अपेक्षित मात्राओं आदि विषयों के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के साथ अभी विचार विमर्श हो रहा है।

मध्य प्रदेश में बच्चों का स्कूल भेजना

3265. **डा० चन्द्रभान सिंह : श्री वाडीवा :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री पाराशर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में 6 से 11 वर्ष तक आयु के स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या अखिल भारतीय 78 प्रतिशत औसत संख्या के मुकाबले में केवल 58 प्रतिशत होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मध्य प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं खुल पा रही हैं ; इस राज्य में 5,000 अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेरोजगार हैं ; और

(घ) इस बात को महसूस करते हुए कि यह राज्य प्राथमिक शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है और उसके पास संसाधनों की भी कमी है, क्या सरकार मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजना में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० (श्रीमती) सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए निर्धारित मूल लक्ष्यों की तुलना में कमी केवल 7% (लड़कों) और 26% (लड़कियों) की है।

(ख) राज्य की वार्षिक विकास आयोजना में अपेक्षित रकम उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकी और भर्ती तथा नए स्कूल खोलने के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(ग) इस दिशा में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(घ) अन्तिम चौथी आयोजना में ऐसी किसी सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य क्षेत्र आयोजना में लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाओं के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों की पदोन्नति

3269. **श्री रेड्डियार :**
श्री मलाइछामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की उपसचिवों तथा ऊपर की पदालि में पदोन्नति के लिए प्रतिशतता निर्धारित की है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी बिना किसी पदोन्नति के दस वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय के अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए कोई स्वतन्त्र आयोग स्थापित करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) उप सचिवों तथा उनसे ऊपर के पद, चयन पद होते हैं जिनके लिए सेवा की अवधि की बजाय योग्यता का विचार पथ-प्रदर्शन करता है।

(ग) शिकायतों पर लगातार विचार किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए एक स्वतन्त्र आयोग स्थापित करना जरूरी नहीं समझा जाता है।

चाय बागानों के मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड

3270. **श्री वारियर :**
श्री प्रभात कार :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बागानों के अधिकांश कर्मचारियों ने चाय बागानों के मजदूरों के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के बागानों में इस मामले पर हड़ताल का नोटिस दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बोर्ड की सिफारिशों में न्यायोचित पुनरीक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि चाय बागानों को हाल में दी गई निर्यात शुल्क में छूट मजदूरों की मजूरी बृद्धि की न्यायोचित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कुछ मजदूर संगठनों ने इस प्रकार का असंतोष व्यक्त किया है ।

(ख), (ग) और (घ). पश्चिम बंगाल के बागानों में श्रमिकों ने हड़ताल का नोटिस दिया है । परन्तु यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

औद्योगिक सम्बन्ध

3271. **श्री वारियर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं पर सरकारी क्षेत्र के एककों को सलाह देने का काम केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा गया है ।

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने मामलों में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं को हल करवाने के लिए हस्तक्षेप किया है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने प्रबन्धकों ने इन समस्याओं के बारे में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की सलाह को स्वीकार किया है ; और

(घ) कितने मामलों में इस सलाह को नहीं माना गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, जनवरी, 1964 से, दूसरी ड्यूटियों सहित ।

(ख) यह अधिकारी बहुत से उपक्रमों/नियोजक मंत्रालयों को समय समय पर, और वे जिन उपक्रमों के निदेशक हैं उनके निदेशक-बोर्डों की बैठकों में परामर्श देते रहे हैं । इस अधिकारी ने 30 महत्वपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध के मामलों में परामर्श या स्पष्टीकरण दिये । इसके अतिरिक्त जनवरी, 64 और मई, 66 के बीच मंत्रालय के क्रियान्विति व मूल्यांकन प्रभाग ने जो कि इस अधिकारी के अधीन है, केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में पंचाटों आदि के अक्रिया-न्वयन के लगभग 650 मामलों पर कार्यवाही की ।

(ग) और (घ) . प्रबन्धकों/नियोजक मंत्रालयों ने परामर्श को सामान्यतः स्वीकार कर लिया ।

कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेना

3272. **श्री वारियर** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक

उपक्रम है, प्रबन्ध में कर्मचारियों की सहभागिता सम्बन्धी योजना क्रियान्वित की जा चुकी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले में मंत्रालय के क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन डिवीजन ने भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के प्रबन्धकों से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० सुरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक प्रतिष्ठान है।

(ख) संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना जहां कहीं अनुकूल परिस्थितियां हैं, ऐच्छिक आधार पर की जाती है।

(ग) भारत इलेक्ट्रोनिक्स के प्रबन्धकों को इस मंत्रालय ने पत्र भेजा था लेकिन प्रबन्धकों और सुरक्षा मंत्रालय द्वारा परिस्थितियों को संयुक्त प्रबन्ध परिषद् की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं समझा गया।

(घ) यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया है।

बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेट

3273. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 31 जुलाई, 1966 के अन्त तक डाक व तार विभाग ने बिना लाइसेंस वाले कितने रेडियो सेटों का, राज्यवार, पता लगाया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1966 के दौरान जुलाई के अन्त तक बिना लाइसेंस पकड़े गये रेडियो सेटों की संख्या अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। जून के अन्त तक के आंकड़े इस प्रकार हैं—

आन्ध्र	2860
आसाम	683
बिहार	508
दिल्ली	4215
गुजरात	1348
जम्मू तथा काश्मीर	680

केरल	1960
मद्रास	7020
मैसूर	2564
महाराष्ट्र	5581
मध्य प्रदेश	1738
उड़ीसा	638
पंजाब	7871
राजस्थान	3360
उत्तर प्रदेश	5872
पश्चिमी बंगाल	3217
	50,115

(ख) इस प्रकार पकड़े गये मामलों पर आवश्यक अधिभार की अदायगी करके लाइसेंस प्राप्त करने तक, विधिवत कार्रवाई की जा रही है। काफी नोटिस और समय दिये जाने के बावजूद अनिर्णीत मामलों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

Post and Telegraph Office for Village Saunai (U. P.)

3274. **Shri Daji :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade : **Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several years ago Government had sanctioned a Telegraph Office and a Sub-Post Office for village Saunai, District Mathura. Uttar Pradesh ;

(b) whether there is no Sub-Post Office within a radius of 5 to 6 miles of this place ;

(c) whether it is also a fact that the total population of this village (Saunai) and of adjoining villages is about 25 thousand ;

(d) if so, the action taken for opening a Telegraph Office and a Sub-Post Office in this village ; and

(e) the date by which this work would be completed ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) No Sir ; A proposal for a Sub-Post Office was examined in 1957, but was dropped for want of financial justification.

(b) There is a Sub-Post Office named Mursan (Aligarh) within a radius of 5 miles.

(c) No ; the population of village Saunai and other adjoining villages is about ten thousand only.

(d) As regards opening of a Telegraph Office, no proposal for the same was received or examined by the Department so far. The question of upgrading Saunai Branch Post Office into a Sub-Post Office is being considered again.

(e) As regards opening of a Telegraph Office, the question does not arise. The Branch Post Office may be upgraded within three months, if it satisfies the departmental standards.

Motor Parts Thieves in the Capital

3275. **Shri Daji :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the police have unearthed a gang of thieves of motor parts with the help of a resident of Rana Pratap Bagh, New Delhi;

(b) if so, the number of persons arrested so far; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Escape of a Mizo Rebel from Jail

3276. **Shri S. M. Banerjee :** **Shri Daji :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Bade :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a 24-year old Mizo rebel escaped from a jail by jumping from its wall in broad daylight as reported in "The Hindustan" dated the 5th July, 1966;

(b) if so, the name of the place where he had been detained ;

(c) the reasons for his escape in this manner; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) and (b) A young Mizo who had been arrested for investigation and kept in the jail at Shillong escaped by scaling over the jail wall on August 1, 1966.

(c) and (d) Investigations are being made and necessary steps are being taken.

Theft of Currency Notes from Registered Covers

3277. **Shri Daji :** **Shri S. M. Banerjeè :**
Shri Bade : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang has been apprehended recently in New Delhi which

was involved in taking out currency notes from Registered Covers of the Postal Department;

(b) whether it is also a fact that some Registered letters and other Government articles have been recovered from them ; and

(c) if so, the action taken in this connection ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and the Department of Communications (Shri Jaganath Rao): (a) A gang has been apprehended which was involved in taking out railway receipts from registered letters stolen from Karol Bagh P. O. and not currency notes from insured covers.

(b) Yes, Sir.

(c) The case has been reported to the police who have arrested 3 departmental officials and 2 outsiders.

Gang of Idol Thieves

3278. **Shri Daji :** **Shri Bade :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri S. M. Banerjee :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of thieves has been unearthed at Jabalpur as reported in the "Hindustan" dated the 15th August, 1966 ;

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken in this connection and the details of action taken ; and

(c) the number of persons arrested in this connection in the various States of the country since January, 1966 to date ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बीड़ी मजदूर

3279. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी मजदूर संघ, नासिक से कोई अभ्यावेदन हाल में प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) यूनियन ने बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) विधेयक में कतिपय संशोधन सुझाये हैं जो इस प्रकार हैं :

1—विधेयक की धारा 41 को निकाल दिया जाय।

2—धारा 29 (3) को यह सुनिश्चित करने के लिये संशोधित किया जाय कि कोई नियोजक घर खेप नामक प्रणाली के अधीन निजी निवासघरों में किये जाने वाले काम का बटवारा न कर पाये।

3—काम के घंटे जिनमें श्रम-समय-विस्तार अवधि भी शामिल हो होना चाहिए।

4—श्रमिक को सवेतन छुट्टी देने से पहले उसे छुट्टी की अवधि का अग्रिम वेतन दिया जाना चाहिए।

5—भविष्य निधि की व्यवस्था होनी चाहिए।

6—तपेदिक को बीड़ी उद्योग के लिए एक व्यावसायिक बीमारी घोषित किया जाना चाहिए और मुफ्त डाक्टारी इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7—धारा 39 (3) जिसमें अपील की व्यवस्था की गई है, निकाल दी जाय और अधिकारी का संक्षिप्त निर्णय अन्तिम समझा जाये।

(ग) सुझाव विचाराधीन हैं।

आनन्द नगर डाकघर (जिला गोरखपुर)

3280. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर जिले में वर्तमान डाकघर, आनन्द नगर का नाम बदल कर फारेन्दा रखा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो पुराना नाम बदलने के क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) फारेन्दा डाकघर का नाम बदल कर आनन्द नगर रखने के सम्बन्ध में 1941 में जनता द्वारा प्रार्थना की गई थी। कलक्टर, गोरखपुर ने यह रिपोर्ट भेजी कि जिस गांव में फारेन्दा डाकघर मौजूद है उसका नाम पहले से ही बदल कर आनन्द नगर रख दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर डाकघर का नाम भी गांव के नाम के अनुरूप 5 जून, 1942 को बदल दिया गया।

फारेन्दा रेलवे स्टेशन

3281. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय को सिफारिश की है कि पूर्वोत्तर रेलवे में फारेन्दा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर आनन्द नगर रखा जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) समय के साथ-साथ गांव का नाम जिसमें डाकघर सुविधाएं प्रदान की गई थीं बदल गया। अतः आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् 1942 में इस डाकघर का नाम बदल दिया गया, क्योंकि डाकघरों के नाम उन गांवों के अनुसार रखे जाते हैं जहां वे स्थित होते हैं। डाक भेजने में होने वाली गड़बड़ी को दूर करने के लिए रेल विभाग को लिख दिया गया है।

काश्मीर में पाठ्य-पुस्तकें

3282. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री जम्मू तथा काश्मीर में पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में 5 अगस्त, 1966 के लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभा में दिये गये इस आश्वासन के अनुसार, कि आपत्तिजनक पाठ्य-पुस्तकें हटा ली जायेंगी, जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार को हिदायतें अथवा मंत्रणा दे दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) राज्य सरकार को सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार परामर्श दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि आगामी शिक्षा-वर्ष से उनका पहले ही स्वीकृत पाठ्य-क्रम पर आधारित नयी पाठ्य-पुस्तकें लगाने का विचार है। वर्तमान पाठ्य-पुस्तकों को तब तक वापस लेना व्यावहारिक नहीं हो सकता जब तक नई उपलब्ध न हो जायें। अतः आपत्तिजनक अंगों तथा गम्भीर प्रकृति की तथ्य-सम्बन्धी भूलों को छोड़ने अथवा उनके स्थान पर दूसरी सामग्री देने की दृष्टि से एक पुस्तिका जारी की जा रही है और सभी अध्यापकों को इस बारे में हिदायतें देने के लिए एक अनुदेशिका भेजी जा रही है कि वे किस प्रकार अपने विद्यार्थियों को इन पाठ्य-पुस्तकों के कुछ हानिकारक अंशों से बचने में मदद दे सकते हैं।

कांगड़ा जिला थोक सहकारी समिति को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3283. **श्री हेमराज :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कम्पनी कांगड़ा जिला थोक सहकारी समिति, धर्मशाला को मिट्टी का तेल देने के लिए पहले राजी हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में उसने अपना निर्णय बदल दिया; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जून 1966 तक कांगड़ा जिला थोक सहकारी समिति, धर्मशाला को बढ़िया मिट्टी के तेल की सप्लाई की जाती थी । इसके पश्चात् उनके पास लाइसेंस न होने के कारण, जिसे उक्त समिति को पंजाब कैरो-सीन कन्ट्रोल आर्डर के अन्तर्गत प्राप्त करना था, भारतीय तेल निगम लि० (मार्किटिंग प्रभाग) के लिए इस समिति को और सप्लाई करना सम्भव नहीं रहा ।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

3284. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस फार्मूले का पता है, जो न्यूयार्क की ललित कला संस्था के संरक्षण केन्द्र के डा० सेमूर जेड० ल्यूइन द्वारा निकाला गया है, जिसके अनुसार संगमरमर अथवा चूने के पत्थर पर पानी, बेरियम और यूरिया का एक रंगहीन घोल लगाये जाने से वे स्थायी रूप से संरक्षित हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ताज महल जैसे महान ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं; किन्तु इसी प्रकार का एक फार्मूला जो हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) पूछताछ की जा रही है और अपेक्षित ब्योरे प्राप्त होने पर, यह फार्मूला भारतीय स्मारकों के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए उस पर विचार किया जायगा ।

प्रादेशिक भाषाओं में टेलीप्रिंटर

3285. **डा० श्रीनिवासन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स हिन्दी टेलीप्रिंटरों का निर्माण करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रादेशिक भाषाओं में, विशेषत: तमिल भाषा में टेलीप्रिंटरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) कारखाने के वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं के दूर मुद्रक तैयार करना सम्भव नहीं है ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का सुरक्षण

3286. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग में डिवीजन दो में तीसरी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को मानक (स्टैन्डर्ड) में छूट दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, जहां तरक्कियां चयन के आधार पर की जाती हैं ।

(ख) $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय पशुपालन सेवा

3287. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय कृषि सेवा की तरह की एक अखिल भारतीय पशुपालन सेवा बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देश के किसानों के लिए पशुपालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). प्रस्तावित अखिल भारतीय कृषि सेवा का संगठन हो जाने के बाद पशुपालन के क्षेत्र में एक पृथक अखिल भारतीय सेवा बनाने के प्रश्न की राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जांच की जायगी ।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में डाक-टिकट

3288. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **संचार** मंत्री 10 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में जो दो डाक-टिकटें जारी की गई हैं वे कितनी-

कितनी संख्या में जारी की गई हैं और बेची गई हैं;

(ख) इनसे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है;

(ग) क्या कई एशियाई अफ्रीकी और अमरीकी देशों ने इन टिकटों की और मांग की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ङ) इस मांग को पूरा करने के लिए इन डाक-टिकटों को फिर से जारी क्यों नहीं किया गया ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) (i) 15 पैसे और 55 पैसे के प्रत्येक मूल्य वर्ग में 20 लाख डाक-टिकट जारी किये गये थे।

(ii) कुल बिक्री से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें जल्दी ही लोक-सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) 5669 रुपये 13 पैसे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अभी तक किसी भी स्मारक डाक-टिकट का पुनः मुद्रण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त डाक-टिकटों की जो संख्या मूलतः छापी गई थी वह जनता की मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त थी। वास्तव में कुछ भण्डार तो अभी तक उपलब्ध हैं।

गोआ में आन्दोलन

3289. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में विरोधी दल के नेता ने कुछ शिकायतों को दूर करवाने तथा कुछ विशिष्ट मांगें प्रस्तुत करने के लिए एक आन्दोलन आरम्भ कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों तथा शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) से (ग). पहले-पहल प्रति-नियुक्तों के स्वदेश-प्रत्यावर्तन के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था और बाद में मंत्रिमण्डल तथा उप-राज्यपाल को हटाने की मांग भी पेश की गई। सरकार उन मांगों को उचित नहीं समझती और इनको स्वीकार करने में असमर्थ है।

दिल्ली के गावों में बाढ़

3290. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उन 51 गांवों में, जहां गत दो सप्ताह

में तीन बार बाढ़ आ चुकी है, फैली हुई भुखमरी, बीमारी तथा निराशा की जानकारी है;

(ख) क्या-क्या सहायता कार्य किये गये हैं;

(ग) सहायता कार्य देर से तथा कम किये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या यह सच है कि इसमें समन्वय की बहुत कमी रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यह कहना गलत है कि दिल्ली के बाढ़ से प्रभावित गांवों में भुखमरी, बीमारी तथा निराशा का आतंक है ।

(ख) बहुत-सी नावों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र से मनुष्यों और मवेशियों को निकालने पर लगाया गया है । सहायता की सामग्री, जिसमें सिरकियां, बांस, भुने हुए चने, गुड़, गेहूं का आटा, दाल और नमक शामिल हैं, बांटने के लिए सात सहायता केन्द्र काम कर रहे हैं । प्रकाश, जल तथा चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है ।

(ग) सहायता कार्य देर से तथा कम नहीं किया गया ।

(घ) जी नहीं ।

गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE: QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF HOME AFFAIRS

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये और 21 अन्य सदस्यों से विशेषाधिकार भंग के एक प्रश्न के बारे में सूचना प्राप्त हुई है । सूचना से मालूम होता है कि यह आरोप लगाया गया है कि 11 अगस्त, 1966 को गृह-कार्य मंत्री ने सदन में इस समाचार का खंडन किया था कि 10 अगस्त के "स्टेट्समैन" में वामपक्षी साम्यवादियों के सम्बन्ध में जो समाचार प्रकाशित हुआ, उसकी सूचना गृह-कार्य मंत्रालय ने दी और वह समाचार वास्तव में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने उन्हें दिया ।

यदि यह मान भी लिया जाये कि एक मंत्री ने उस समय यह सूचना दी थी तो जहां तक विशेषाधिकार के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट मामला उठता है कि जब गृह-कार्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी और उस जानकारी के होते हुये क्या उन्होंने इस समाचार का खंडन किया और सभा को गुमराह किया ।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह होनी चाहिये कि जिन माननीय सदस्यों के पास कोई जानकारी हो, वे उसे प्रश्न के रूप में रखें और उसका उत्तर मागें । यदि अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कुछ परस्पर विरोधी बात हो तो उनके लिये विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखना उचित होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रक्रिया पर चलने से मामला पुराना हो जायेगा । इसलिये, मैं इस प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकता ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to raise a question of privilege against the Home Minister under rule 223. This motion is not against Shri Gulzarilal Nanda only. It is also against the Minister of State, Shri Hathi and Deputy Minister, Shri Vidya Charan Shukla.

Mr. Speaker : A privilege motion can be specifically against a person.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Speaker, Sir, you had given a ruling three or four days ago that you would examine the privilege motion in your Chamber before it is raised in this House. I would like to know whether you have examined it in your Chamber?

Mr. Speaker : I have not given my consent.

रेलवे मंत्री (श्री स० क० पाटिल) : मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में कोई प्रक्रिया बनायें ताकि इस प्रकार प्रतिदिन सभा का समय नष्ट न हो।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित– आंग्ल भारतीय) : आप कृपया इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दें कि यदि कोई मामला यहां उठाया जाना है तो क्या वह सभा के किसी सदस्य के लिये अपमानजनक है और क्या उसे सभा में बताने से पहले आपको कोई आधार निर्धारित करना चाहिये अथवा नहीं।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं उसी मामले पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये कई बार खड़ा हुआ हूं, जिस मामले पर श्री मधु लिमये खड़े हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले उठाने के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है।

Shri Bagri (Hissar) : If the members use the rights available to them, you cannot call it abuse and misuse of rights.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : खेद की बात है कि आप इस प्रकार कह रहे हैं कि सदस्य इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम आपको यह विश्वास हो गया है कि ऐसे मामलों को विशेषाधिकार सम्बन्धी समिति को सौंपे जाने का मामला प्रथम दृष्टि से ठीक बनता है।

अध्यक्ष महोदय : जब भी कोई मामला प्रथम दृष्टि से ठीक दिखाई देगा, मैं उसे अवश्य ही सभा के समक्ष लाऊंगा। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जब मैं यह अनुभव करूं कि सदस्यों से कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, तो वे मुझे सभा के समक्ष सूचना लाने से नहीं रोक सकते। यह मामला पहले ही सभा के समक्ष है।

Shri Madhu Limaye : A news item appeared in the "Statesman" dated 10th August, that a report had been received from the Home Ministry regarding conspiracy of the leftist communists to indulge in sabotage in the country. The matter was raised in the House by Shri Gopalan and Shri Nanda then said clearly that the report was not circulated by anyone

connected with the Ministry of Home Affairs. I have also come to know that the Ministry of Home Affairs sent a contradictory note to the Editor of "Statesman". He agreed to publish it but he said that they will print under the letter of contradiction that the special correspondent is still sticking to his point. When the Home Minister came to know of it, he did not insist upon the publication of the contradictory note.

"Dinman" a well-known weekly of "Times of India" Group published in its issue dated August 19, that inspite of the repudiation by Shri Nanda, the people in the know of things insist that Home Ministry itself is the source of that news, but the news was not given by any official of the Ministry. It was rather given by a Minister.

In order to know the facts regarding this matter, it may be referred to the Committee of Privileges, which should call the Editors of "Statesman" and "Dinman" and ask for information from them. It appears that the Home Minister was not aware of the acts of his colleagues and he contradicted it without knowing the facts. The Committee should look into that also. Party politics should not be brought into this matter.

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) : मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि 11 तारीख को जब गृह-कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया तो क्या उन्हें उस दिन इसकी जानकारी थी। यह पता चला है कि "स्टेट्समैन" के सम्पादक ने उस सम्वाददाता को बुलाया और उससे कहा कि वह उसका खंडन प्रकाशित करना चाहते हैं और जिसे मंत्रालय ने भेजा है। उस सम्वाददाता ने उत्तर दिया कि वह उसे छाप दें परन्तु साथ में यह भी छापें कि हमारा सम्वाददाता अभी भी अपनी उस बात पर कायम है जोकि 10 तारीख को छापी गई थी।

श्रीनन्दा के वक्तव्य के बाद हमारे नेता श्री गोपालन ने समाचार पत्र के सम्पादक को पत्र लिखा और उसे कहा कि इन समाचारों का उचित खंडन जारी करें। इस पर सम्पादक ने कहा कि हमें यह गृह-कार्य मंत्रालय से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हमारी ओर से एक और समाचार पत्र के सम्पादक ने खंडन प्रकाशित करना नहीं बल्कि यह छापना स्वीकार कर लिया "कि गलत-फहमी के लिये खेद है।" परन्तु बाद में वह भी नहीं किया गया क्योंकि कलकत्ता स्थित सम्पादक ने कहा कि यदि हमने ऐसा प्रकाशित कर दिया तो देश के लोग समझेंगे कि इस समाचार पत्र को गृह-कार्य मंत्रालय से सूचना नहीं मिली है। यही कारण है कि गृह-कार्य मंत्री या मंत्रालय के अधिकारी पीछे हट गये जबकि उन्होंने पहले अपना पत्र प्रकाशित करने को कहा था। इस तरह मंत्री महोदय का यहां पर दिया गया वक्तव्य असत्य था।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न इस बात पर उठाया गया है कि मैंने जो वक्तव्य दिया था वह असत्य था। इस बारे में मैं पूरी गम्भीरता तथा ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि उस समय जब मैंने वह वक्तव्य दिया था, मुझे पता था कि वह सत्य है और मैंने उसे बिना किसी संकोच के दिया था। जहां तक मुझे जानकारी है, वह बिल्कुल सत्य था। जो कुछ मैंने कहा था वह उस समय भी सत्य था और मेरी जानकारी के अनुसार अब भी सत्य है। उस वक्तव्य को मैंने अपने दोनों सहयोगियों को भी दिखाया था।

10 तारीख को जब ध्यान दिलाने वाली सूचना प्राप्त हुई, तो मैंने अपने सूचना अधिकारी

से कहा कि वह "स्टेट्समैन" को एक पत्र लिखें कि वह सत्य नहीं है और उस समाचार का श्रोत गृह-कार्य मंत्रालय नहीं है। 12 तारीख को हमें सम्पादक से उत्तर प्राप्त हुआ। उसमें उसने लिखा था:–

"आज हमने संसद में गृह-कार्य मंत्री का भाषण प्रकाशित कर दिया है। अतः हम वह पत्र प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। यदि आप आवश्यक समझें तो हम इसे एक अनुपूरक समाचार बनाकर प्रकाशित कर देंगे।" मैं इस सारे पत्र को पढ़ कर सुना सकता हूं। अब समाचार पत्र में मेरा वक्तव्य प्रकाशित हो गया है, अतः मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि गृह-कार्य मंत्रालय के किसी मंत्री ने यह जानकारी समाचारपत्र को दी हो, फिर भी मुझे यह देखना है कि क्या इसमें विशेषाधिकार किसी प्रकार से भंग हुआ है या नहीं ? यहां पर यह सिद्ध नहीं हो सका कि यह जानकारी गृह-कार्य मंत्रालय से गई थी और मंत्री महोदय ने जानते हुये गलत वक्तव्य दिया। इसलिए इसमें विशेषाधिकार के भंग होने की कोई बात नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I demand that you should resign from the Congress Party. Until and unless you do so, the dignity of this House cannot be maintained.

अध्यक्ष महोदय : पहले चाहे विशेषाधिकार भंग किया गया हो या नहीं परन्तु अध्यक्ष पर आक्षेप लगाना विशेषाधिकार का भंग करना है। मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं।

श्री स० का० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये। (**अन्तंबाधाएं**)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :–

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई, का 1963–64 का वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6868/66]

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास, का 1963—64 का वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6869/66]

(3) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, का 1963—64 का वार्षिक प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6870/66]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1203 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) जी० एस० आर० 1204 जो दिनांक 6 अगस्त, 1666 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6871/66]

(2) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 191 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिल्लो भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 30 जून, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (4) /एल० आर० ओ० /66 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 जुलाई, 1966 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० (3) /एल० आर० ओ० /66 में प्रकशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-6872/66]

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं तीसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 4 चौदहवां सत्र, 1966 [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6873/66]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 6 तेरहवां सत्र, 1965 [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6874/66]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 9 बारहवां सत्र, 1965 [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6875/66]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 13 ग्यारहवां सत्र, 1965 [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-6876/66]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 7 आठवां सत्र, 1964 [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6877/66]

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 22 सातवां सत्र, 1964 [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6878/66]

गृह-कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में—जारी

RE: QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF HOME AFFAIRS—Contd.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्या आपने इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है। आपने यह किस नियम के अन्तर्गत किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे नियम संख्या 227 के अन्तर्गत किया है। यह मैंने स्वयं किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान जी आपको नियम 227 के साथ अन्य संगत नियमों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री वासुदेवन नायर : हमें यह इतनी जल्दी में नहीं करना चाहिये।

श्री दाजी : यह बहुत गम्भीर बात है। आप हमें बोलने की आज्ञा भी नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार करूँगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—contd.

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् जी आप देखें कि अधिसूचनाओं को सभा पटल पर बहुत विलम्ब से रखा जा रहा है और यह गृह-कार्य मंत्रालय में समन्वय न होने के कारण है। आपको आदेश देना चाहिये कि सरकार को इस बारे में क्या कहना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मद संख्या 4 में विलम्ब का कारण यह है कि श्री हाथी को राष्ट्रपति भवन जाना था अतः यह विलम्ब हो गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान जी यहां पर आश्वासन दिया गया था कि आज यहां पर स्वर्ण नियन्त्रण के बारे में वक्तव्य दिया जायेगा परन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। बल्कि रात को सभी स्वर्णकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने अनशन कर रखा था। इस प्रकार सरकार ने आश्वासन पूरा नहीं किया है।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : हम स्वर्णकारों की मांगों पर विचार कर रहे हैं। सभी स्वर्णकारों की यह मांग नहीं है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश समाप्त कर दिया जाये। इस विषय पर 3 सितम्बर को चर्चा होगी। मैं चाहता हूं कि यह लोग अपनी हड़ताल समाप्त कर दें।

अध्यक्ष महोदय : अब यह कागज सभा पटल पर रखे जा रहे हैं। श्री कामत मद संख्या 5 के बारे में अपनी बात कहें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस सभा के सब सदस्यों से मेरी अपील है कि वे इसकी ओर पूरा ध्यान दें। यह मामला बजट सत्र और पिछले सत्र में भी उठाया गया था और यह संसदीय समितियों खास तौर पर सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के बारे में है जिसके साथ इस विभाग का निकट सम्बन्ध है। इस सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन पिछले सत्र के अन्तिम सप्ताह में सभा पटल पर रखा गया था। समिति ने संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध काफी गम्भीर दोषारोप लगाये हैं। पिछले सत्र में मैंने इसका हवाला दिया था और अध्यक्ष महोदय ने सभा को वचन दिया था कि वह मामले पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज सबेरे भी मैंने मंत्री महोदय से बात की थी और वह आज दोपहर के पश्चात् मुझे मिलेंगे। इसलिए इस मामले को फिलहाल स्थगित कर दिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी संसदीय समिति के प्रतिवेदन से एक वाक्य पढ़ूंगा ताकि सभा को पता लग जाये कि यह मामला कितना गम्भीर है ; समिति लगभग समाप्त हो चुकी है। समिति ने कहा है :

"अन्त में समिति यह भी देखेगी कि नियम 270 के प्रतिकूल सामग्री सप्लाई न करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों को एक पत्र जारी करने में समिति को अपने कृत्य को उचित और कामगर रूप से करने में रुकावट डालने की प्रवृत्ति पाई जाती है जैसी कि प्रक्रिया नियमों में कल्पना की गई है" प्रक्रिया नियमों का नियम 270 सभी मंत्रियों, सभा के नेता तथा प्रधान मंत्री पर लागू होता है।

अब, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लिखा गया पत्र गुप्त रखा जा रहा है। सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी संसदीय समिति ने उस पत्र की एक नकल मांगी है किन्तु अब तक संसदीय कार्य मंत्री ने जानबूझ कर प्रति देने से इनकार कर दिया है। इसलिए मंत्री ने समिति तथा सभा के साथ विश्वासघात किया है। मेरा निवेदन है कि इस मामले पर पूरी गम्भीरता से विचार किया जाये क्योंकि समिति खत्म हो चुकी है।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभी कागजात सभा पटल पर रख दिये गये हैं। वह पत्र भी सभा पटल पर रख दिया गया है।

रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सिफारिशें बताने वाला विवरण

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्री राज बहादुर की ओर से मैं रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की वे सिफारिशें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखूंगा जो सरकार द्वारा 30 जुलाई, 1966 तक स्वीकार करली

गई हैं। सिद्धान्त रूप से नोट कर ली गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**6879/66]

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सिफारिशें सिद्धान्त रूप से स्वीकार तो कर ली गई होंगी या नहीं की गई होंगी किन्तु सिद्धान्त रूप से नोट कैसे की गईं, यह अजीब बात है।

केरल मद्य निषेध अधिनियम, 1950 **के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित कागज सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मद्य-निषेध अधिनियम, 1950 की धारा 62 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 254/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 255/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) ऊपर की मद की (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-6880/66]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

चौरानवेवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौरानवेवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. No. 718

अध्यक्ष महोदय : श्री चागला।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस विषय में मंत्री **अभ्यस्त अपराधी** रहे हैं। इस छोटे से अधिवेशन में ऐसा तीसरी या चौथी बार हो रहा है। कार्य-सूची में मद से देखने से पता

चलेगा कि इस वक्तव्य का सम्बन्ध 8 दिसम्बर, 1965 को मंत्री द्वारा दिये गये अनुपूरक उत्तर से है जिसे अब आठ महीने हो गये हैं। निर्देश संख्या 16 के अनुसार जब एक मंत्री किसी सूचना में अशुद्धि को ठीक करना चाहता है जो कि उसने किसी प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न अथवा वाद-विवाद में दी है तो वह अपने उत्तर अथवा वक्तव्य को ठीक करने की सूचना अपने सचिव को साधारणतः 24 घन्टे के अन्दर भेज देगा बशर्ते कि अध्यक्ष महोदय दिये गये कारणों से संतुष्ट हों। अब प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने इस असाधारण देरी के लिये यथोचित कारण बताये हैं और क्या अध्यक्ष महोदय उन कारणों से संतुष्ट हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं इस बारे में हुई असाधारण देरी के लिये क्षमा मांगता हूं। यदि किसी शुद्धि करने की आवश्यकता है तो वह कर दी जाये। यदि कोई अशुद्धि पाई जाती है तो वह मंत्री को प्रस्तुत की जाती है और मंत्री उस पर वक्तव्य देते हैं। मैं अशुद्धि को तुरन्त ठीक कर देता हूं। यह अशुद्धि छोटी सी है और श्री कामत ने राई का पहाड़ बना दिया है। अशुद्धि को तुरन्त ठीक करना मेरा कर्तव्य है और यथासम्भव कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिये किन्तु असाधारण हालातों में देर होना सम्भव है।

मैं गाँधीवादी विचारधारा सम्बन्धी अनुसंधान के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 718 के और उस पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के 8 दिसम्बर, 1965 को लोक सभा में दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6881/66]

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति
(श्री कपूर सिंह)
TERMINATION OF SUSPENSION OF MEMBER
(Shri Kapur Singh)

श्री रंगा (चित्तूर) : सभा को पता है कि किन परिस्थितियों में श्री कपूर सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव पास किया गया था। मेरे दल के एक सदस्य के विरुद्ध निलम्बन प्रस्ताव पास किया गया था, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, सभा के नेता, अन्य दलों के नेताओं तथा पूरी सभा से अनुरोध करता हूं कि निलम्बन की शेष अवधि को समाप्त कर दिया जाये। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हम सभा के नियमों तथा प्रथाओं का पूरा पालन करेंगे तथा आदर करेंगे।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : विपक्षी स्वतंत्र दल के नेता ने जो कुछ कहा है और उनके द्वारा अध्यक्ष महोदय को लिखे गये पत्र को देखते हुये तथा उनके आश्वासन कि उनका दल सभा के नियमों तथा प्रथाओं का पूरा पालन करेगा, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरदार कपूर सिंह के निलम्बन को, जिसके लिये 9 अगस्त, 1966 को सभा द्वारा आदेश दिया गया था, आज से समाप्त किया जाये।"

श्री सोनावने (पंढरपुर) : प्रस्ताव पर मतदान लेने से पहले मैं श्री रंगा से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण रख सकेंगे जबकि वे आन्दोलित हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरदार कपूर सिंह के निलम्बन को, जिसके लिये 9 अगस्त, 1966 को सभा द्वारा आदेश दिया गया था, आज से समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गिरफ्तार किये गये स्वर्णकारों की रिहाई के बारे में

RE: RELEASE OF ARRESTED GOLDSMITHS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वित्त मंत्री ने बताया है कि वह स्वर्ण नियंत्रण पर इस प्रकार विचार नहीं करेंगे । पूरे मामले पर चर्चा हो जाने के पश्चात् वह वक्तव्य देंगे । अन्य बातों के सम्बन्ध में उन्होंने आश्वासन दिया है और स्वर्णकारों से अपील की है । स्वर्णकार सात दिन से जेल में हैं, क्या सरकार उनकी रिहाई करेगी या नहीं । स्वर्णकारों की बिना किसी शर्त के रिहाई की जाये । श्री अनिल बसु की किसी समय भी मृत्यु हो सकती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : मंत्री महोदय ने स्वर्णकारों से भूख-हड़ताल छोड़ने के लिये अपील की है । इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में ठूंसा जा रहा है, इसलिये इस अपील का अभिप्राय मेरी समझ में नहीं आता ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : हम हर मामले में सहानुभूति का व्यवहार करेंगे । यदि स्वर्णकार भूख-हड़ताल छोड़ देते हैं तो उनकी रिहाई में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री रंगा (चित्तूर) : स्वर्णकारों ने अपनी कठिनाई के कारण भूख-हड़ताल की है । उनकी रिहाई के लिये कोई शर्त नहीं होनी चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा अनुरोध है कि वित्त मंत्री स्वर्णकारों की रिहाई के लिये कुछ उपाय करें, इससे भूख-हड़ताल का प्रश्न अपने आप खत्म हो जायेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) यह सरकार तथा देश के हित में है कि स्वर्णकारों की रिहाई की जाये जिन्हें केवल भूख-हड़ताल के कारण जेल में बन्द कर दिया गया है । यदि इन लोगों को रिहा कर दिया जाता है तो चर्चा के लिए शांत वातावरण तैयार हो जायेगा ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : स्वर्णकारों के साथ बातचीत की मुझे बड़ी चिन्ता है । बहुसंख्यक सदस्य भी स्वर्ण नियंत्रण हटाने के पक्ष में हैं ।

यह आन्दोलन केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चल रहा है । इन लोगों को अंधेरी रात में गिरफ्तार किया गया है और काफी लोगों को तिहाड़ जेल में बन्द कर दिया गया है । सरकार इनको रिहा करे और इस मामले पर शांत वातावरण में विचार करे ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसमें अनुकम्पाशील न होने का कोई इरादा नहीं है । इस बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

दिल्ली विक्रय कर विधेयक, 1966
DELHI SALES TAX BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली में माल की विक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में माल की विक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1966
APPROPRIATION (No. 3) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966-67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक—जारी
JAYANTI SHIPPING COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री चे० मु० पुनाचा द्वारा 16 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :

"कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी के उपक्रम का प्रबन्ध, उसका उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने की दृष्टि से, परिसीमित कालावधि के लिए ग्रहण करने निमित्त उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, नियम 176 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । 16 अगस्त को श्री चे० मु० पुनाचा ने इस विधेयक के विचारार्थ जो प्रस्ताव पेश किया, उसे अब नये सिरे से मंत्री महोदय द्वारा पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इस विधेयक पर अब एक नया वित्तीय ज्ञापन लगाया गया है । संविधान की धारा 110 तथा 117 के अन्तर्गत राष्ट्रपति इस बीच में आते हैं और उन्हें यह जानना जरूरी है कि उनकी स्वीकृति धन के बारे में ली-जा रही है अथवा अन्य किसी मामले में । इससे पहले इस विधेयक में धन का कोई भी उल्लेख नहीं था । किन्तु अब 10 लाख अथवा 1 लाख रुपये की धनराशि भारत की संचित निधि से विनियोजित की जायेगी । इसलिये इसका सम्बन्ध संविधान के अनुच्छेद 110 (1)(ग) से है । लेकिन यह एक धन विधेयक नहीं है, यह एक वित्तीय विधेयक है, अतः इस पर अनुच्छेद 117 (3) लागू होता है । इसलिये ऐसा विधेयक संसद की किसी भी सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा उस सभा से उस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश न की जाये ।

जहां तक विधेयक का फिर से पुरःस्थापित किये जाने का सम्बन्ध है, यह कार्य वित्त मंत्री ने आज कर दिया है । किन्तु इस विधेयक पर विचार करने के लिये राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के भार-साधक सदस्य के बारे में नियम 176 का उद्धरण दिया गया है । किन्तु नियमों की परिभाषाओं में स्पष्टतः कहा गया है कि "विधेयक का भार-साधक सदस्य" का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से है ।

इसलिए अधिकृत करने अथवा नये सिरे से पुरःस्थापित करना आवश्यक नहीं है । जहां तक अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश का सम्बन्ध है, मुझे बताया गया है कि वह मंत्री महोदय को मिल चुकी है ।

श्री संजीव रेड्डी : राष्ट्रपति ने पुनरीक्षित वित्तीय ज्ञापन पर अनुमति दे दी है । राष्ट्रपति ने पुनरीक्षित वित्तीय ज्ञापन का अनुमोदन किया है और उस पर उनके हस्ताक्षर हैं ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर): मैं एक अन्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस विधेयक में भारत की संचित निधि से धन निकालने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। वित्तीय ज्ञापन की आवश्यकता तो केवल उन्हीं मामलों में पड़ती है, जहां कि इस निधि से रुपये निकालने की व्यवस्था होती है। इस वित्तीय ज्ञापन में खण्ड 17 का उल्लेख किया गया है जिसमें इस निधि धन निकालने के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, अत: यह विधेयक लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 69 के अन्तर्गत नहीं आता।

इस विधेयक पर संविधान का अनुच्छेद 117 तथा नियम 69 दोनों ही एक साथ लागू नहीं हो सकते हैं। इस विधेयक के प्रारूप तैयार करने वालों के अनुसार इस विधेयक को अनुच्छेद 114 तथा नियम 69 के अन्तर्गत लाया जायगा। इसलिये इस विधेयक का प्रारूप उचित रूप से तैयार नहीं किया गया।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न भी उसी अत्यधिक महत्वपूर्ण बात से उत्पन्न होता है जो मेरे मित्र माननीय सदस्य ने उठाई है। पुनरीक्षित वित्तीय ज्ञापन इस विधेयक के उपबन्धों के बिलकुल ही विपरीत तथा प्रतिकूल तथा विरोधाभासी है। इस विधेयक के किसी भी खण्ड में उक्त निधि से धन निकालने की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय ने बिना देखे ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने ज्ञापन में परिवर्तन तो कर दिया किन्तु सम्बद्ध खण्ड (17) में संशोधन करना भूल गये।

श्री संजीव रेड्डी : क्योंकि पिछली बार इस त्रुटि के बारे में उल्लेख किया गया था, उसमें संशोधन कर दिया गया था। संचित निधि से धन निकालने का कोई विचार नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : ज्ञापन में धन निकालने की बात कही गई है।

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि समूची चीज को एक साथ नहीं लिया जा रहा है। उद्देश्य तथा कारण सम्बन्धी विवरण में कहा गया है कि भुगतान पहले सरकार करेगी और तत्पश्चात् भुगतान की गई इस राशि की पूर्ति कम्पनी की निधि से की जायेगी। यह कठिनाई सरकार की है अत: इसके लिये उन्होंने व्यवस्था की है। यदि खण्ड 17 में कुछ गलती है, तो सभा उसे ठीक कर लेगी।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम): मुख्य तथा सारा प्रश्न यह है, क्या यह विधेयक सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है; प्रश्न यह नहीं है कि उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य बात यह है कि इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त है और मंत्री महोदय ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि इस खर्च को पहले सरकार उठायेगी और बाद में कम्पनी द्वारा उसकी पूर्ति की जायेगी। खण्डवार विचार करते समय सभा उस पर निर्णय करेगी। ऐसी कोई भी आपत्ति नहीं है जिससे विधेयक पर आगे विचार ही न किया जा सके।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : श्रीमान जी, विचारणीय प्रश्न यह है कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी को एक स्थायी निकाय बनाना जरूरी है और क्या उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे राजकोषीय धन से चोरी-छिपे सहायता देना आवश्यक है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]
[**Mr. Deputy Speaker in the Chair**]

इस कार्य के लिए बड़ी ही असामान्य प्रक्रिया अपनाई गई है। यह बहुत ही अच्छा होता यदि जयन्ती शिपिंग कम्पनी को शिपिंग कॉरपोरेशन अपने अधिकार में ले लेता।

इस कम्पनी के मालिक, डा० जयन्ती धर्म तेजा को 200 रुपये की पूंजी से ऐसी फर्म स्थापित करने की अनुमति दी गई जो भारत सरकार से 20 करोड़ रुपया ऋण ले सकती थी। सरकार को कई बार यह चेतावनी दी गई कि उसे इस व्यक्ति से धन वापस नहीं मिल सकता फिर भी सरकार एक के बाद दूसरा ऋण देती चली गई और श्री तेजा ने उस धन से खूब ऐश लूटी। उन्होंने 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर, 3,500 जमाकर्ताओं से, जिनमें से अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग थे, 45 लाख रुपये से अधिक की राशि इकट्ठा की। इन ऋणों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये।

फरवरी, 1966 में परिस्थिति चरम सीमा तक पहुँच गई जब कि यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि कम्पनी आगे काम नहीं चला सकती। स्थिति में सुधार की केवल आशा मात्र थी फिर भी सरकार टाल-मटोल करती रही, फिर अप्रैल में डा० तेजा ने 3 करोड़ रुपये के ऋण की और मांग की। यह समझ में नहीं आता कि किस कारण सरकार ने इस कम्पनी को दिवालिया नहीं किया बल्कि सब देनदारियों को अपने हाथ में ले लिया। आखिर उसे अपने अधिकार में ले लेने पर राजकोषीय धन ही व्यय होगा।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि डा० तेजा ने कम्पनी कानून के अधीन जो विभिन्न अपराध किये हैं, क्या उनकी जांच की गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय शिपिंग बोर्ड की इस सिफारिश से सहमत क्यों नहीं हुए कि जांच आयोग में दो विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना चाहिए।

ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था कि डा० धर्म तेजा और उनकी जयन्ती शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध जांच को चुपचाप वापस ले लिया गया है और अब उनके लिए कम्पनी का प्रबन्ध सरकार कर रही है जब कि वह "रिवेरिया" में आराम कर रहे हैं। समाचार में आगे यह भी कहा गया है कि भारतीय शिपिंग निगम उनकी सब देनदारियों को जो 8 करोड़ रुपये से अधिक हैं, पूरा करेगा और करीब पांच वर्ष के बाद कम्पनी उन्हें लौटा दी जायगी। यह आरोप तब तक रहेगा जब तक विधेयक में कम्पनी के केवल प्रबन्ध ग्रहण का उपबन्ध रहेगा।

यह बात भी स्पष्ट की जानी चाहिए कि क्या जनरल कौल, जिन्हें डा० तेजा ने 10,000

रुपये प्रति मास वेतन पर रखा है तथा अन्य व्यक्तियों के जिनको उच्च वेतन पर रखा गया है, वेतन के कारण व्यय का भार भी सरकार को ही सहन करना पड़ेगा और यदि ऐसा किया जा रहा है, तो खण्ड 17 का समर्थन किया जा सकता है ।

यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिपिंग निगम को प्रबन्ध अभिकर्ता क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : महोदय मैंने इस सम्बन्ध में गलती से नियम 69 की ओर अध्यक्ष महोदय का ध्यान दिलाया था किन्तु ध्यान नियम 68 की ओर दिलाना था । मैंने वित्त मंत्री का उदाहरण तो दिया, लेकिन मैंने इस नियम का उल्लेख नहीं किया । दुर्भाग्यवश, आज बिना किसी प्रस्ताव के इस नियम को निलम्बित किया गया है अथवा उसमें ढील दी गई है । इस बारे में हर एक चीज अव्यवस्थित तथा अनियमित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में पहले ही निर्णय दे चुके हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह कहा गया है कि सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को जहाजरानी निगम को क्यों नहीं सौंप दिया था अथवा सरकार ने एक समिति नियुक्त क्यों नहीं की जिसमें रिजर्व बैंक तथा जहाजरानी कम्पनियों के प्रतिनिधि होने चाहिए थे ? सरकार द्वारा यह असाधारण कार्यवाही किये जाने के तीन कारण हो सकते हैं । प्रथम कारण यह है कि सरकार यह नहीं चाहती थी कि हमारी जहाजरानी कम्पनियों की सारे देशों में बदनामी हो । वह चाहती थी कि इस उद्योग का, जिसका अभी अच्छी तरह विकास नहीं हुआ, मान तथा मर्यादा बनी रहे । दूसरे, जहाजरानी निगम के पास पहले ही बहुत अधिक काम है । जहाजरानी निगम भी अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और इसलिए ऐसी हालत में उस पर और अधिक काम लादना ठीक नहीं होता ।

यदि डा० धर्म तेजा राशि जमा करने वालों को धोखा देने तथा लोगों से बहुत अधिक ब्याज पर पैसा लेने आदि अपराधों के दोषी थे तो ऐसी हालत में सरकार के लिए यही उचित था कि वह उस कम्पनी को अपने हाथ में ले ले ताकि उस कम्पनी को ठीक तरह से चलाया जा सके ।

यहां पर यह कहा गया है कि 5 अथवा 10 वर्ष के बाद जब यह कम्पनी ठीक तरह से चलने लगेगी इसे पुनः डा० धर्म तेजा को सौंप दिया जायगा । यह कल्पना की चरम सीमा है । जिसका कोई आधार नहीं है । मेरी राय में सरकार का ऐसा इरादा नहीं है । सरकार का इरादा केवल यही है कि उन देशों में जिनसे इस कम्पनी का सम्बन्ध है हमारी ख्याति कायम रहे । सरकार ने जो कार्यवाही की है वह पूर्णतया उचित है और उससे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता । देश की अर्थ-व्यवस्था तथा जहाजरानी के विकास को दृष्टि में रखते हुए ऐसा करना जरूरी था ।

मैंने इस विधेयक के सभी खण्डों को पढ़ा है और उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो देश के हितों के विरुद्ध हो । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ ।

श्री सोलंकी (कैरा) : यह कहा गया है कि इस विधेयक में उल्लिखित कार्यवाही देश की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए की जा रही है। परन्तु यह कार्यवाही करने में कुछ देर की गई है क्योंकि विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों में जयन्ती शिपिंग कम्पनी की अच्छी तरह चर्चा हो चुकी है। मैं राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड का सदस्य हूँ और जयन्ती शिपिंग कम्पनी के कार्यों में काफी समय से रुचि लेता आ रहा हूँ। मुझे उस दुखद दिन का स्मरण हो आया है जब मद्रास में हमारी पहली बैठक हुई थी। जहाजरानी बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं और शायद वे मेरी बातों से सहमत न हों। उस बैठक में जहाजरानी बोर्ड के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। हम जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में चर्चा करना चाहते थे परन्तु हमें इस मामले में चुप रहने के लिए कहा गया और कारण यह बताया गया कि जांच की जा रही है और इसलिए इस मामले की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जहाजरानी बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य श्री मास्टर भी मेरे साथ थे। वह बैठक के सामने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में कुछ तथ्य पेश करना चाहते थे परन्तु तत्कालीन मंत्री श्री राज बहादुर ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और वह मामला दो दिन और चलता रहा। श्री मास्टर यही कहते रहे कि उनकी बात ठीक है। उनकी बात कहां तक सच थी वह इस विधेयक तथा राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है। श्री राज बहादुर उस मामले में जो भी गोलमाल था उसे जान-बूझकर छिपाने की कोशिश कर रहे थे। श्री संजीव रेड्डी द्वारा इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाल लिए जाने के बाद सब कार्य ठीक तरह से हो रहा है। परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि 1963 से ही इस कम्पनी के कार्य में कुछ गोलमाल चल रहा था। न जाने किस कारण से उस मामले में उसी समय कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ख्याति पर तो उसी समय आंच आ गई थी।

इस मामले की जिस समिति ने जांच की थी उसके चेयरमैन श्री सुखतांकर थे। उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कम्पनी के किसी भी निदेशक ने तथ्य नहीं बताये और इसलिए समिति अपने कार्य में सफल नहीं हो सकी है।

श्री तेजा के विरुद्ध फौजदारी के मामले चल रहे हैं। उसे इस देश में क्यों नहीं लाया जा रहा है ताकि उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सके? उसे मुक्त क्यों रहने दिया गया है? ऐसे व्यक्ति पर, जिसने इस देश की 20 करोड़ की राशि के साथ खिलवाड़ की है यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए था कि वह इस देश से बाहर तभी जा सकेगा जब वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से मुक्ति पा ले। जब वह जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था तभी से उस पर यह प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए था। यदि सरकार सभी तथ्य प्राप्त करना चाहती है तो उसे पहले श्री तेजा को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए अन्यथा वह गबन किये गये धन से दुनिया भर में अपने पक्ष में प्रचार करेगा। ऐसे महत्वपूर्ण मामले की छानबीन करते समय उसे मुक्त नहीं रहने देना चाहिए। उससे बहुत से तथ्यों का पता लग सकता है।

श्री परशुराम नामक एक निदेशक ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के इस मामले को पहले भी एक बार उठाया था। उसने निदेशक बोर्ड की बैठक में इस बारे में एक ज्ञापन दिया था। यदि

मंत्री महोदय के पास उस ज्ञापन की कोई प्रति हो तो वह उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करें। ताकि माननीय सदस्य उसको देख सकें। श्री परशुराम को अपनी आवाज उठाने के कारण निदेशक बोर्ड से हटा दिया गया था।

श्री तिरुमल राव ने यह मामला उठाए जाने से कुछ महीने पहले इस कम्पनी से त्याग-पत्र दिया था। श्री तिरुमल राव लोक-सभा के सदस्य भी हैं। हम उनसे भी इस मामले के तथ्य जानना चाहते हैं। यदि सरकार के पास तथ्य हैं तो वह उन्हें पेश करे। यदि तथ्य उन व्यक्तियों के पास हैं जिन्होंने जयन्ती शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध आवाज उठाई थी तो उन्हें बुलाया जाये और उनसे तथ्य मालूम किये जायें। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जांच इस देश के अन्दर होनी चाहिए। देश के अन्दर एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि हमें इस बारे में कुछ तथ्य प्राप्त हो सकें।

विधेयक में यह दिया हुआ है कि सरकार इस कम्पनी का प्रबन्ध पांच वर्ष तक अपने हाथ में रखें। इस अवधि को बढ़ा कर 15 या 20 वर्ष कर दिया जाना चाहिये। इस विधेयक में इस आशय का संशोधन कर दिया जाना चाहिए। ताकि सरकार को बारबार यह घाटा न उठाना पड़े।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मार्च, 1962 में इस कम्पनी को ऋण दिये जाते समय भी सभा में इस विषय के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये थे। हमने उन व्यक्तियों के परिचय पत्र मांगने के लिये कहा था जो इस कम्पनी को स्थापित करना चाहते थे। हमने उसकी प्रदत्त पूंजी के बारे में भी जानकारी मांगी थी। उस समय नौवहन मंत्री श्री राज बहादुर थे और उन्होंने जो उत्तर दिये थे वे संतोषजनक नहीं थे। प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि चूंकि यह एक नई कम्पनी है इसलिये परिचय-पत्रों का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं यह मानता हूं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू स्वयं बहुत साहसी व्यक्ति थे और वे अन्य क्षेत्रों की भांति जहाजरानी का भी विकास करना चाहते थे। परन्तु सरकार को उन लोगों के बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सभा को यह सूचना दी गई कि इस बारे में बड़ी सावधानी से कदम उठाया गया है और किसी प्रकार की हानि होने की गुंजाइश नहीं है। यह भी कहा गया था कि सरकार ने ऋण देने से पहले काफी बचाव कर लिये हैं। परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि कोई भी सावधानी नहीं बरती गई थी।

मैंने यह भी पूछा था कि जब 90 प्रतिशत से अधिक राशि की सरकार स्वयं व्यवस्था करेगी तो इस काम को किसी गैर-सरकारी कम्पनी की बजाय विद्यमान सरकारी निगमों को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है। इसका भी मंत्री महोदय ने अनर्गल सा उत्तर दिया था। मेरे यह सब कहने का अभिप्राय यह है कि इस साहसिक कदम के बारे में हमारे दिल में कुछ आशंकाएं थीं और हमने सरकार को उसकी चेतावनी दे दी थी। हम आश्वस्त हो गये थे कि सरकार द्वारा साफ साफ

आश्वासन दिये जाने के बाद अवश्य ही सावधानी से काम लिया जायेगा। क्या यह सत्य है कि इस साहसिक कदम की नीचे से सिफारिश नहीं की गई थी ? सरकारी क्षेत्र की दोनों निगमों की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी तथा विशेषज्ञों, सचिवों आदि द्वारा इस सम्बन्ध में क्या राय दी गई थी ? इन सबके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय को हमें यह सब जानकारी देनी चाहिये।

जब मंत्री महोदय ने हमारी चेतावनी के बावजूद यह साहसिक निर्णय लिया है तो उन्हें यह स्पष्टीकरण देना चाहिये कि उन लोगों के परिचय-पत्रों को प्राप्त करने के बारे में, जिन्हें 22 करोड़ रुपये का बड़ा ऋण दिया जाना था, उन्होंने क्या कदम उठाए थे और उस बारे में क्या बचाव किये थे। उन्हें यह भी बताना चाहिये कि वे बचाव किस कारण से निष्फल रहे और इसके लिये कौन उत्तरदायी है। सरकार को प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक चरण पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए। हम सरकारी धन के साथ खिलवाड़ सहन नहीं कर सकते हैं।

जब भी हम सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को इतना बड़ा ऋण देते हैं, तो हमें अपने रुपये की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है। यदि सद्भावना होते हुए गलती हो जाये तब तो और बात है। परन्तु जहां बेईमानी सिद्ध हो चुकी हो, जैसा कि इस कम्पनी के बारे में हुआ है, तो कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक सदन को आराम से नहीं बैठना चाहिए।

इस कम्पनी के स्थापित हो जाने के बाद भी हमें कई बार यह जानने के अवसर मिले थे कि यह कम्पनी ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है और इस कम्पनी में जो लोग हैं वे बहुत ही चालाक हैं। कम से कम सरकार को उस समय सचेत हो जाना चाहिये था जब जनरल कौल को 10,000 रुपये के वेतन पर नौकरी दी गई।

कम्पनी को ऋण देने से पहले आश्वासन दिया गया था कि कोई घाटा नहीं होगा परन्तु इस समय स्वयं सरकार के कथनानुसार स्पष्ट रूप से $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का घाटा है। भविष्य में कम्पनी जो कुछ कमायेगी वह तो एक बिल्कुल ही अलग बात है।

सरकार को इस कम्पनी का प्रबन्ध ही अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये अपितु सारी कम्पनी ही अपने हाथ में ले लेनी चाहिये। और इस घोटाले में जिन जिन व्यक्तियों का हाथ है उन्हें दण्ड देने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये। यदि ऐसा करने में कोई कानूनी बाधा है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को इस बारे में सरकार का इरादा स्पष्ट कर देना चाहिये ताकि सदस्यों के सन्देह दूर हो जायें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It is the time when Government's bona-fides are on trial. Now it is to be seen whether Government is ready to effect the arrest of Shri Dharma Teja and also to prosecute him or not. Interpol can help us in effecting his arrest.

Shri Teja can be prosecuted on many counts. The loan secured by the Jayanti Shipping Company from the Mitsubishi Company of Japan was deposited by Shri Teja in his own account. It is a clear breach of trust. He prepared certain fake documents as if they were issued on behalf of the Board of Directors of the Company. This Company had secured a loan from the Government of India and it was also deposited by Shri Teja in his own account in foreign banks, which is also a breach of trust.

The matter does not end there. Sukthankar Committee have also observed in their report that he earned a huge amount—about 2½ crores according to old rates—as commission from the purchase of ships. He also accepted commission to the tune of £ 37,000 from a Japanese Shipping Company on an oil tanker named "Vikram Jayanti". While chartering freighters, he used to take some commission from the parties concerned. All this is mentioned in the report. If a prosecution is launched against him on the basis of the material so far available to us he can be sentenced to imprisonment aggregating to 100 to 150 years. He has also violated sections 292, 397 and 398 of the Companies Act and he can also be prosecuted thereunder.

The Prime Minister should be very careful while taking action in the case of this company as Shri Gautam Sehgal and Shri Lalji Mehrotra, who were appointed directors of this company, are closely connected with the Prime Minister—One is a very close relative and the other is a great friend of their family. The whole action would be viewed in that light.

General Kaul's name has also been mentioned. He was getting Rs. 10,000 Income-Tax-free. The payment of Rs. one lakh without Income-Tax will amount to a salary of Rs. 3 lakhs per annum. It is also to be taken into consideration that he is also a close relative of the Prime Minister.

The people's judgment about the honesty of the Prime Minister will rest on the decision she takes in regard to the arrest and prosecution of Shri Dharma Teja.

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : प्रत्येक नागरिक का किसी अन्य नागरिक से सम्बन्ध होता है। इसलिये मुझे रिश्तेदार शब्द से कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु डा० लोहिया ने आगे कहा है कि यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है और यदि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि रिश्तेदारी के कारण ऐसा नहीं किया गया है। यह एक आक्षेप है और इसे वापस लिया जाना चाहिये। अन्यथा इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रधानमंत्री ने कार्यवाही करनी है। उन्होंने अन्य कोई बात नहीं कही है।

श्री स० का० पाटिल : उन्होंने आगे जो कुछ कहा है उसे शायद आप समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा है कि उस रिश्तेदारी के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अवश्य ही एक आक्षेप है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को पढ़ूंगा और यदि कोई चीज आपत्तिजनक पाई गई तो उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is not correct to say that General Kaul was paid out of the personal accounts of Shri Teja. Shri Teja took loans from the Government of India on behalf of the company and deposited in his own account. He accepted money as commission from various sources and credited it into his account. He also indulged in other irregularities. All this money was shown in his account. So, the payments made to General Kaul by Shri Teja were actually a part and parcel of the company's fund.

It is also said that Shri Teja was also present in Tashkent at the time of Shri Lal Bahadur Shastri's sad demise there. Shri Teja's misdeeds should be fully investigated and he should be prosecuted after securing his arrest.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Dr. Lohia has mentioned several names. Only one of them happens to be my relative and that relationship too has almost ceased to exist. None else is my relative. So far as the prosecution of Shri Teja is concerned, the Hon. Minister will explain the position to the House. He has already stated that Civil and Criminal proceedings are going on against Shri Teja. It is not within our power to secure his arrest from abroad. We are not against securing his arrest.

Dr. Ram Manohar Lohia : I have asked a simple question. Through Interpol......

Shrimati Indira Gandhi : I can reply only when he listens to me patiently.

Dr. Ram Manohar Lohia :**

* * * *

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम श्री तेजा की गिरफ्तारी के विरुद्ध नहीं है परन्तु उसमें कुछ कठिनाई है। यदि डा० तेजा फ्रांस में हों तो उसे प्रत्यर्पण आदेश द्वारा ही भारत लाया जा सकता है और फ्रांस के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इन मामलों पर मंत्री महोदय कानूनी पहलू से विचार करेंगे। हम अपराधी व्यक्ति को दण्ड देने के विरुद्ध नहीं हैं और न्याय के रास्ते में हम पर कोई भी व्यक्ति दबाव नहीं डाल सकता है।

Dr. Ram Manohar Lohia : Extradition takes place only in the case of politicians and not in the case of ordinary criminals.

Shri Bagri (Hissar) : I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Bagri : There is a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी सभा की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रहे हैं। वह यहां से उठकर चले जायें।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : The Prime Minister decided about the taking over of the Jayanti Shipping Company within six or seven days of my informing her of the company's affairs. She has taken the quickest possible action in the matter.

**** अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

** Expunged as ordered by the Chair.

Before Shri Teja started the Jayanti Shipping Company, India was paying about two hundred crores of rupees annually to foreign Shipping Companies. There had been a demand from all sides that we must increase our shipping tonnage and check the drain on our foreign exchange. At that time Dr. Teja came forward and said that he would add to the tonnage. Dr. Teja was told that if he purchased ships, he would be given money by the Government. After that he did not go along well and his management went wrong and consequently we decided to take it over. But it cannot be denied that he did make some contribution to the Indian shipping. He added ships of about four or five lakhs tonnage to the Indian shipping fleet.

It has been argued that the Government should have liquidated the Company or taken it over. The answer is this that such a process would have delayed the bringing of this company's ships under Government's control.

Dr. Teja wanted to sell three or four ships in June. If the Government had not acted swiftly and taken over the management of the company, it was quite possible that we would have lost those ships. We should be thankful to the Government for taking right step at the right moment.

It has also been asked why the company had not been nationalised. Again, the process of nationalisation would have taken three or four months and we would have lost these ships.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : डा० लोहिया ने कहा है कि डा० धर्म तेजा, जो जयन्ती शिपिंग कम्पनी से सम्बन्धित हैं, भारत-पाकिस्तान वार्ता के समय ताशकन्द में मौजूद थे। एक श्री तेजा वहां पर मौजूद थे परन्तु वह वहां के हमारे दूतावास के सूचना सचिव थे। स्पष्ट है कि डा० लोहिया को जिसने सलाह दी उसने नाम तो सही बताया परन्तु गलती यह हुई कि उसने उसे डा० धर्म तेजा समझा।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : चूंकि मैं आरम्भ से ही इस कम्पनी से सम्बन्धित हूँ इसलिये मेरा यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि मैं तथ्यों को सभा के समक्ष रखूं।

1960 में जब डा० धर्म तेजा अमरीका से भारत आए थे, भारत सरकार अपनी नौपरिवहन क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रही थी। भारत सरकार द्वारा ऋण की जो व्यवस्था की गई थी उसकी सहायता से कोई भी भारतीय कम्पनी उस कार्य को संभालने के लिए तैयार नहीं थी।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair]

नवम्बर, 1960 में डा० तेजा डच जहाज निर्माण कारखाने देखने गये। वह वहां से डच मेरीन इंजीनियर लाए और मंत्रालय ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से उन सब चीजों का अध्ययन किया। जब यह बातचीत हो रही थी, जापानियों ने डा० तेजा से सम्पर्क स्थापित किया और उन्हें जापान ले गये।

फिर डा० तेजा उन लोगों को विचार-विमर्श के लिये नौवहन मंत्रालय में लाए। हमारे तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए वे लोग बम्बई भेजे गये। इस प्रकार जयन्ती शिपिंग कम्पनी का जन्म हुआ। आज भी सम्बन्धित व्यक्ति यही कहते हैं कि उनकी पूंजी केवल 200 रुपये थी। जबकि तथ्य यह है कि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2,90,00,000 रुपये थी और यह 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से स्थापित की गई थी।

डा० तेजा 26 मास के अन्दर 4 लाख टन भार के जहाज लाये। ये जहाज जहाज निर्माण कारखानों को 10 प्रतिशत भुगतान करके और शेष राशि सात किस्तों में देने की शर्त पर लाये गये। सरकार को इन जहाज निर्माण कारखानों को भुगतान करना है और सभी जहाज भारत सरकार के पास गिरवी रखे जायेंगे। ऋण करार के अन्तर्गत खरीदे गये ग्यारह के ग्यारह जहाज पूर्णतया भारत सरकार के नियन्त्रण में हैं। इसीलिए सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस कम्पनी में हमारा एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाएगा चाहे कम्पनी फेल हो जाए, क्योंकि सभी जहाज भारत सरकार के पास गिरवी रखे जाने थे।

इस कम्पनी की आस्तियां 43 करोड़ रुपये तथा देनदारी 47.5 करोड़ रुपये है। इसका अर्थ है कि 4.5 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई है। क्या 43 करोड़ रुपये की आस्तियों पर 4 करोड़ की हानि नहीं उठाई जा सकती? यह घाटा लाभ से पूरा कर दिया जायेगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कम्पनी आरम्भ में लाभ ही कमाती हैं। यह ऐसा घाटा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके।

चूंकि सारी आय बैंक गारंटी के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए कोई कार्यकारी पूंजी नहीं थी। इसलिए डा० तेजा ने हर जगह से ऋण लेना आरम्भ कर दिया और वह कठिनाइयों में फंस गये। कम्पनी के लेनदेन के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। सुखतांकर समिति के प्रतिवेदन में यह साफ साफ दिया हुआ है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों के बारे में स्वयं डा० तेजा ने बातचीत की थी और उन्होंने उन मामलों को निदेशकों के अधिकार से परे रखा था।

कुछ अन्य बड़ी नौवहन कम्पनियों ने भी ऐसी ही शर्तों पर 64 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। उन कम्पनियों ने पिछले 20 वर्षों में अपने अंशधारियों को कितना लाभांश दिया है? यह एक धोखेबाज धंधा है। सरकार को इस मामले की गहराई में जाना चाहिये। यदि नौपरिवहन का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक समझा जाये, तो ऐसा करने में देर नहीं की जानी चाहिये अन्यथा नौपरिवहन को हमेशा खतरा बना रहेगा।

पिछले दो-तीन वर्षों में डा० तेजा ने उस धारणा को बिल्कुल गलत सिद्ध कर दिया जो उनके मित्रों ने उनके बारे में बना ली थी। और उन्होंने अपने मित्रों को अपने व्यवहार से इतना निराश किया कि उनके बहुत कम मित्रों को उनके भविष्य में सुधर जाने की आशा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : इस विधेयक द्वारा हमें एक बुनियादी प्रश्न

पर बहस करने का अवसर मिला है। वह प्रश्न यह है कि इस देश का धन कैसे आवंटित तथा खर्च किया जाता है। संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का महत्व और भी बढ़ जाता है। वर्तमान मामले से यह बात प्रकाश में आई है कि सरकार इस देश की निधि का किस प्रकार उपयोग कर रही है। यही कारण है कि इस मामले में प्रत्येक व्यक्ति इतनी अधिक दिलचस्पी ले रहा है।

सरकार जयन्ती शिपिंग कम्पनी के कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी किन्तु सरकार ने जान बूझ कर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उसको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन देती है। सरकार का कहना है कि वह कम्पनी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार इसके सिवाय और कर भी क्या सकती है। इस कम्पनी को 20-25 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। सरकार झूठे तथ्य सामने रख कर सभा को गुमराह कर रही है।

यह कहना गलत है कि सरकार को इस कम्पनी की गतिविधियों के बारे में नहीं बताया गया। वास्तविकता यह है कि सरकार को इस सभा में तथा सभा के बाहर इस कम्पनी की कार्यवाहियों के बारे में समय-समय पर चेतावनी दी गई थी। किन्तु सरकार उसकी सदैव अवहेलना करती रही।

लोक-लेखा समिति ने, 1963 में अपने सातवें प्रतिवेदन में इस कम्पनी की गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था किन्तु श्री रघुनाथ सिंह ने कम्पनी का समर्थन किया और उसकी कार्यवाहियों को उचित बताया। लोक लेखा समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि नियमों के प्रतिकूल इस कम्पनी के रजिस्ट्रेशन से पहले ही ऋण के लिये उसके आवेदन पत्र पर विचार किया गया था।

लोक लेखा समिति का कहना है कि इस कम्पनी को विशेष रियायतें दी गई थीं, और सरकार ने उसके लिये प्रतिभूति की सीमा भी निर्धारित सीमा से कम कर दी। इस कम्पनी को 13 जहाज खरीदने के लिये ऋण दिया गया, किन्तु उनमें अभी तक पांच जहाज नहीं खरीदे गये और न ही यह पता है कि वे जहाज कब खरीदे जायेंगे। लोक लेखा समिति सरकार द्वारा इस कम्पनी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किये जाने से संतुष्ट नहीं है। लोक लेखा समिति को यह बात भी नहीं जंची है कि सरकार ने इस कम्पनी का विस्तार करने के लिये 10 प्रतिशत शेयर खरीदे हैं। लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि यदि सरकार कम्पनी का विस्तार ही करना चाहती है तो वह सरकारी उपक्रम के रूप में उसका विस्तार करे। अत: यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार को इस बारे में किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई।

10 अप्रैल, 1963 को मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय मैंने अपने भाषण में कहा था कि जिन शर्तों पर इस कम्पनी को ऋण दिया जा रहा है उनसे हम सहमत नहीं हैं। सरकार ने लोक लेखा समिति को जो उत्तर दिये हैं वे बिल्कुल भी सन्तोषजनक नहीं हैं। किन्तु सरकार सदैव इस कम्पनी से सम्बन्धित व्यक्तियों की गतिविधियों पर पर्दा डालकर सभा को गुमराह करती रही है।

इस कम्पनी से आरंभ से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति—चाहे वह तत्कालीन प्रधानमंत्री हो, अथवा तत्कालीन परिवहन मंत्री हो अथवा सारा मंत्रिमंडल हो—इसके लिए उत्तरदायी है। यह एक अत्यन्त अनुत्तरदायित्वपूर्ण मामला है। इसमें कुछ लोगों ने जानबूझ कर सांठगांठ की है। यह किसी एक व्यक्ति का अकेला मामला नहीं है। यह मामला उन व्यक्तियों से सम्बन्धित है जो दांव लगाते हैं और हरिदास मुदड़ा की किस्म के बिना सोचे समझे उद्योग चलाते हैं। जहाजरानी क्षेत्र में श्री तेजा दूसरे मुदड़ा हैं। अन्य कई मामले भी प्रकाश में आये हैं। हमारी शासन व्यवस्था में कुछ खराबी है जिसके कारण व्यापारी वर्ग मंत्रियों को अपने संकेतों पर नचाते हैं। यह हमारे लिये अत्यन्त दुर्भाग्य की बात हैं।

श्री तेजा ने बीजकों में कम मूल्य दिखाकर, छल कपट करके, जाली रसीदों से तथा हिसाब किताब विदेशी खातों में हस्तांतरित करके देश को धोखा दिया है। श्री तेजा ने निदेशक बोर्ड के प्रमुख सदस्यों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये काबू में कर रखा था। सुखतांकर समिति ने कहा है कि श्री तेजा ने प्रमुख पदों पर कुछ ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर रखा है जो न तो उन पदों के योग्य हैं और न उतना वेतन पाने के योग्य हैं जितना उन्हें जयन्ती शिपिंग कम्पनी देती है। इन कर्मचारियों में भारतीय उद्योग तथा व्यापार मंडल भारत के संघ के भूतपूर्व प्रधान तथा बर्मा तथा जापान में भारत के भूतपूर्व राजदूत श्री लालजी मेहरोत्रा, नेहरू परिवार के सम्बन्धी श्री गौतम सहगल, निजाम के पोते मुकर्रम जहां बहादुर तथा नेफा पराजय के जनरल कौल के नाम प्रमुख हैं। जनरल कौल श्री तेजा के निजी सलाहकार थे। सुखतांकर समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि यद्यपि जनरल कौल श्री तेजा के निजी सलाहकार थे, फिर भी उन्हें कम्पनी से वेतन दिया जाता था। इस बात के समर्थन में समिति को कुछ दस्तावेज मिले हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना ही काफी नहीं है। इस कम्पनी का बिना कोई प्रतिकर दिये बिना राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। कार्य में यदि कोई संवैधानिक अड़चन है तो उसे दूर करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे घोषित अपराधियों को किसी प्रकार का प्रतिकर दिये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए।

मैं आशा करता हूँ कि तीन-चार वर्ष तक कम्पनी के प्रबन्ध में सुधार करके उसे फिर इन लोगों के हाथों में नहीं सौंपा जायेगा।

मैं यह जानना चाहता कि श्री तेजा भारतीय नागरिक हैं अथवा नहीं। सरकार को इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं तो उन्हें किस प्रकार भारत वापिस लाया जा सकता है। यदि वह भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उन्हें भारत से जाने की अनुमति क्यों दी गई? उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

इस सारे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। सरकारी वक्तव्यों में यह

कहा जा रहा है कि निदेशक बोर्ड धीरे-धीरे सारे मामले की जांच करेगा, जो मेरी समझ में उचित नहीं है क्योंकि निदेशक बोर्ड का कार्य कम्पनी का प्रबन्ध चलाना है न कि इस मामले की जांच करना ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order which is of serious nature.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । इस समय चर्चा चल रही है । माननीय सदस्य को पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए था ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : नियम 376 के अन्तर्गत किसी भी समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : A point of order can be raised under Rule 376 (1) at any time. I would like to raise it in connection with the discussion which is going. The chair has full power to give its ruling on it.

Rules 340 and 109 also relate to the Adjournment of Debate on and withdrawal and removal of Bills.

I submit that the discussion on this Bill may be adjourned. I will also state the reasons in its support.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को सभा में व्यवस्था बनाये रखनी चाहिए, जब तक एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं निबटाया जाता, तब तक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : First the report of the inquiry Committee, which is very important, should be presented to the House, only then the discussion can be continued otherwise the discussion has no meaning. I, therefore submit that the discussion may be adjourned till the report of the inquiry committee is presented to the House.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने व्यवस्था प्रश्न के समर्थन में तर्क दे चुके हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या आपने अपनी सहमति दे दी है ?

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो मैं उन्हें अवसर दूंगा ।

Shri Madhu Limaye : I have authenticated this document. It is a true copy of the report of the managing agent of the Shipping Corporation of India. With your permission I want to lay it on the table of the House so that time may be saved.

When the Enforcement Branch suggested about the arrest of Dr. Teja and one of these four Ministers vetoed this. All the facts should .be placed before the House, otherwise the discussion on the matter will not be helpful. Under rule 68 the discussion is illegal and irregular.

I hope keeping in view of the points raised during the discussion the further discussion

be withheld till the whole position is made clear. Discussion should be allowed regarding the subjects of documents laid on the Table and points raised by me. Discussion on the Bill may continue tomorrow.

Shri Raghu Nath Singh: The question of Rule 68 cannot be raised here again as it had already been disallowed by the Hon. Speaker when Shri Kamath raised it at the time of introducing the Bill.

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था प्रश्न उठाये हैं उन पर अध्यक्ष महोदय अपना निर्णय दे चुके हैं।

Shri Madhu Limaye: The point of order was not raised for withholding the discussion.

सभापति महोदय: मंत्री महोदय राष्ट्रपति की सिफारिश पढ़ चुके हैं। अब इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा दूसरा व्यवस्था प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सुखतांकर समिति का उल्लेख किया था, उसका प्रतिवेदन सरकार ने अब तक सभा पटल पर नहीं रखा है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई सदस्य/मंत्री यदि कोई उद्धरण देते हैं, तो उन्हें वह दस्तावेज सभा पटल पर रखना चाहिए। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्य को सुखतांकर समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखने को कहें। जब तक इसकी प्रति सभा पटल पर नहीं रखी जाती तब तक इस पर चर्चा स्थगित की जाये।

सभापति महोदय: प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है। उन्होंने इसका उल्लेख किया है। इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: नियम 368 के अन्तर्गत इसका सभा पटल पर रखा जाना अनिवार्य है।

सभापति महोदय: श्री कामत बैठ जायें अथवा वह इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत: जब तक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा जाता, तब तक इस पर आगे चर्चा कैसे हो सकती है।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत: नियम 368 के अन्तर्गत यह अनिवार्य है।

सभापति महोदय: यदि मंत्री महोदय इसका उल्लेख करें, तब प्रतिवेदन की प्रति रखना अनिवार्य है। यहां पर मंत्री महोदय ने उल्लेख नहीं किया है। अतः अनिवार्य नहीं है। माननीय सदस्यों को सभा की कार्यवाही चलने देने में सहयोग देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यदि आप कहें तो मुझे इसे सभा पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संजीव रेड्डी: मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

सभापति महोदय : वह उसे सभा पटल पर रख रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या दस्तावेज प्राप्त होने तक चर्चा स्थगित करना उचित नहीं है ?

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : आपने माननीय सदस्य को प्रतिवेदन रखने का निदेश दिया है। हमें इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने का समय मिलना चाहिए ताकि हम चर्चा में भाग ले सकें।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि यह दस्तावेज सभा पटल पर रखा जा चुका है। हमें रिकार्ड देखना पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका हूं।

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रतिवेदन 1 अगस्त को सभा पटल पर रखा गया था।

श्री मधु लिमये : जो दस्तावेज मैंने सभा पटल पर रखे हैं उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है।

श्री संजीव रेड्डी : मैंने सुखतांकर समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) **:** सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को, जो जनता के करोड़ों रुपये की क्षति के लिये उत्तरदायी है, सार्वजनिक आलोचना के बावजूद में इतने लम्बे समय चलने दिया। वास्तव में कम्पनी के बेइमान प्रबन्धकों को जनता को धोखा देने का इतना साहस न होता यदि सरकार ने उसके साथ उपरोक्त काल में सांठगांठ न की होती।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रतिवेदन में सरकार द्वारा कम्पनी को प्रारम्भ में ही दिये गये संरक्षण का उल्लेख किया गया है। डा० जयन्ती धर्म तेजा, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, तथा बृतानिया के नागरिक मि० एम० एम० कुलकुन्डिस को यह कम्पनी चलाने की अनुमति दी गई।

यह कम्पनी 1961 में 200 रुपये की प्रदत्त पूंजी से खोली गई थी। कम्पनी के स्थापित होने के बाद सरकार ने उस कम्पनी को जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से 20.25 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया जो जहाजों के वास्तविक कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर था। सरकार ने शेष 10 प्रतिशत धन का प्रतिबन्ध करके सभी जहाजों को सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं रखा ?

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस कम्पनी को, जिसका चेयरमैन प्राय: फ्रांस में रहता है, सहायता देना वास्तव में एक षडयंत्र है। इस देश में छोटे उद्योगपतियों को बड़ी कठिनाई से ऋण मिलता है किन्तु इस कम्पनी को बिना जांच पड़ताल के 22 करोड़ रुपये से भी अधिक का ऋण मंजूर किया गया।

किन्तु ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने कम्पनी के मामलों की रिपोर्ट कभी सरकार को भेजने की परवाह की हो। इन निर्देशनों के विरुद्ध भी प्रथमत: एक मामला है। इस कम्पनी का प्रवन्ध हाथ में लेने के पश्चात् यदि सरकार सरकार द्वारा नामजद किये गये निदेशकों की फिर से नियुक्ति करती है तो इस कम्पनी का भविष्य अच्छा नहीं होगा।

जांच समिति ने यह बताया है कि प्रबन्धकों ने समिति को अभिलेख देने से इन्कार किया था। यह आश्चर्य की बात है कि जब कम्पनी के प्रबन्धक समिति के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे तब भी सरकार इस मामले में चुप क्यों रही। अभिलेखों से पता चलता है कि जांच समिति ने अध्यक्ष को ठोस अनुदेश देने के लिए 21 मई, 1966 को सरकार को लिखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम आधे घन्टे की चर्चा लेंगे।

दक्षिण वियतनाम को ट्रकों के निर्यात के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN HOUR DISCUSSION Re. EXPORT OF TRUCKS TO SOUTH VIETNAM

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : बहुत से समाचार पत्रों में यह समाचार बार-बार आया है कि भारत से वियतनाम को न केवल ट्रक अपितु लोहा तथा इस्पात, डीजल इंजिन, आक्सीजन सिलेंडर, बिजली का सामान तथा बहुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ दिये जा रहे हैं। क्योंकि पूरी सूचना नहीं मिली है, मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या यह सब सामान भेजा गया है तथा कब से भेजा जा रहा है और उनका मूल्य कितना है ?

मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा है कि 1955-56 में ट्रक तथा दूसरी गाड़ियां जिनका कुल मूल्य लगभग 13.33 लाख रुपया था, भारत से दक्षिण वियतनाम भेजा गया। हम जानना चाहते हैं कि वह कौन सी निर्यात करने वाली गैर-सरकारी पार्टियां थीं। तथा क्या सरकार उन्हें जानती है और सरकार ने इनका अनुमोदन किया है ? क्या दक्षिण वियतनाम की सरकार ने स्वयं उस सामान को खरीदा है अथवा उस देश में कोई दूसरी गैर-सरकारी पार्टी थी ? हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सामान के निर्यात की सरकार से अनुमति मांगी गई थी और वह दी गई थी ? हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि वियतनाम में लड़ने वाली अमरीकी सेना ऐसे ट्रक चाहती थी जिनके वहां भेजने पर कम खर्च हो तथा जो कम मूल्य के हों। हमारी सूचना के अनुसार टाटा के "टेलको" में साझीदार पश्चिम जर्मनी के डमलर-बैंज के दबाव के कारण ट्रक भेजने के यह ठेके करार किये गये थे। वाणिज्य मंत्रालय के निर्यात प्रोत्साहन अधिकारी के 2 जुलाई, 1966 के पत्र से, जो उसने भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता के सचिव को लिखा था, यह बात स्पष्ट हो जाती है।

इस पत्र से कई बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। एक बात तो यह थी कि भारत से जो माल निर्यात हो उसका परिमाण कम नहीं होना चाहिए। यदि यह सामान कम होता तो सरकार अमरीका के लोगों से यह पूछने का कष्ट न करती कि क्या हम इसे गैर अमरीकी जहाजों में भेज सकते हैं क्योंकि अमरीकी जहाज उपलब्ध नहीं हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नियत चाहे कुछ भी हो, वास्तव में यह सामान जिसका उस पत्र में उल्लेख है वह वियतनाम में अमरीका की वहां पर होने वाली लड़ाई की सहायता के रूप में भेजा जा रहा है। जब आक्सीजन सिलेन्डर, बिजली का सामान, रासायनिक, 'चैसिस' तथा गाड़ियों के सामान भारत से भेजे जा रहे हैं तो

क्या यह सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह अपनी तसल्ली करे कि वह सामान लड़ाई के काम में उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

समाचार पत्रों में एक समाचार आया है कि एक अमरीकन तेल कम्पनी ने हाल ही में अपने बहुत से भारतीय कर्मचारियों को दक्षिण वियतनाम में स्थित सप्लाई भंडारों पर हस्तान्तरित कर दिया है जहां पर वह अमरीकन वायु सेना के लिए कार्य कर रहे हैं। नियत कुछ भी हो। अमरीकी सरकार राजनयिक स्तर पर कुछ समय से अभ्यावेदन भेज रही है कि भारतीयों की उपस्थिति का वियतनाम में अनुभव किया जाये ताकि उनके आक्रमण को नैतिक बल मिल सके। हमने चिकित्सा मिशन अथवा सामग्री सप्लाई जैसी सहायता भेजने से इनकार कर दिया, यह अच्छी बात है। किन्तु अमरीका के लोग इस पर अपने प्रचार के द्वारा काबू पा लेते हैं। दूसरे सदन में पेश की गई सूची से पता चलता है कि केवल 'चैसिस' असैनिक प्रयोग के लिए भेजा जा रहा है। 'चैसिस' से गाड़ियां बनाई जा सकती हैं और उन्हें मिलट्री के प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए आज के समय में इन सब बातों को यह कह कर टाला नहीं जा सकता कि यह सामान्य व्यापार है। वहां पर युद्ध हो रहा है इसलिए भारत को वहां पर तटस्थ रहना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का सदस्य होने के नाते भारत का तटस्थ रहना आवश्यक है अन्यथा अपने कार्य को सम्पन्न नहीं कर सकेगा। यह एक नैतिक तथा राजनैतिक प्रश्न बन गया है। यदि लोगों को पता चल गया कि भारत ट्रकों आदि की सप्लाई कर रहा है तो लोग हमारी तटस्थता की नीति पर संदेह करेंगे जिससे हमें मानहानि होगी। अब वैसे तो सिद्धान्त के रूप में हमें उत्तरी वियतनाम से भी व्यापार करना चाहिए परन्तु स्थिति यह है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए संसार की दृष्टि में हम एक ओर का पक्ष ले रहे हैं। यद्यपि हम तटस्थ होने का दावा करते हैं फिर भी हम केवल दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार कर रहे हैं। दक्षिण वियतनाम ने ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाया है जिससे देश के गैर-सरकारी व्यापारियों को दक्षिण वियतनाम की सरकार अथवा व्यापारियों से कुछ समझौते करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है।

यह कार्यवाही हमारी शांति की नीति तथा तटस्थता का मजाक है और वियतनाम के प्रश्न का जल्दी हल करने की हमारी इच्छा के प्रतिकूल है। इस मामले में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। भारत सरकार को वाणिज्यिक औपचारिकताओं की शरण लेने की बजाय यहीं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उसे एक राजनैतिक तथा नैतिक प्रश्न समझना चाहिये तथा यह आश्वासन देना चाहिए कि इस प्रकार की बात समाप्त हो जायेगी ताकि भारत की प्रतिष्ठा बचाई जा सके।

श्री उमानाथ (पुदुकोट्टै) : मैं जानना चाहता हूँ कि गत पांच वर्षों में उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम के साथ व्यापार के आंकड़े क्या हैं ? यह भी बताया जाये कि उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

श्री वारियर (त्रिचूर) : भारत सरकार ने कब से यह परिवहन गाड़ियां तथा अन्य सामग्री

और उपस्कर दक्षिण वियतनाम को भेजना आरम्भ किया है ? क्या यह सच है कि भारत सरकार ने परिवहन की गाड़ियां अमरीका के कहने के पश्चात् ही भेजीं अथवा वह दक्षिण वियतनाम की सरकार की प्रार्थना पर भेजी गई ?

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व) : हमारी सरकार तटस्थता की नीति का पालन करती है । जबकि सैगोन को सैनिक माल भेजा जा रहा है, सरकार ने उत्तरी वियतनाम जैसे अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की सम्भावना पर कितना प्रयत्न किया है और किस प्रकार का प्रयत्न किया गया है ?

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : सरकार ने वाणिज्य में राजनैतिक स्थिति को अपना लिया है । उदाहरण के लिए हम पुर्तगाल तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं । क्या सरकार वर्तमान मामले में भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इस 10 या 13 लाख रुपये के लिये हमें अफ्रीका तथा एशिया में बदनाम किया जाता है । सरकार ऐसे देश के साथ व्यापार बन्द क्यों नहीं कर देती जहां खुला विद्रोह हो रहा है जबकि सरकार की नीति तटस्थ, साम्राज्य विरोधी है तथा स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे देशों के लिए हमदर्दी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : भारत तथा दक्षिण वियतनाम तथा भारत और उत्तरी वियतनाम के बीच बिल्कुल सामान्य व्यापार है । हमने इनमें से किसी भी देश के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध नहीं तोड़े थे ।

दूसरे यह व्यापारियों के बीच का व्यापार है । भारत सरकार किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार में शामिल नहीं हुई है । आज इस देश के किसी भी आयात करने वाले तथा निर्यात करने वाले को दोनों देशों के बीच खरीद अथवा विक्री करने की स्वतंत्रता है ।

सदस्य महोदय कुछ आंकड़े जानना चाहते थे । यह सब आंकड़े प्रकाशित हुए हैं । भारत सरकार को इसमें कुछ छिपाना नहीं है । 1964-65 वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

		रुपये
चपड़ा		11,52,000
सिनेमा की फिल्में		2,52,000
चमड़ा	...	3,000
तेल, चर्बी तथा चिकनाई वाले पदार्थ आदि	...	12,000
रबड़ से बने हुए तथा अन्य संसिक्त कपड़े तथा फेल्ट		263,000
विद्युत से भिन्न मशीनरी	...	5,733,000
चीनी	...	1,39,29,000
रासायनिक तत्व तथा यौगिक	...	13,52,000

रंगने तथा चर्मशोधन पदार्थ	1,63,000
विद्युत मशीनरी तथा उपस्कर	9,22,000
परिवहन साज सामान	12,000
पशु तथा वनस्पति की अशोधित तथा अखाद्य सामग्री	4,000
लोहा और इस्पात	59,17,000

मैंने दूसरे सदन में बताया है कि चालू वर्ष में कुल परिवहन साज-सामान के निर्यात में 13,72,000 रुपये की वृद्धि हुई है। यह पूछा गया है कि क्या परिवहन का सामान अभी हाल ही में भेजना आरम्भ किया गया है। ऐसा नहीं है, यह गत अनेक वर्षों से सामान्य व्यापार के रूप में दक्षिण वियतनाम को स्थिर रूप से भेजा जा रहा है।

निर्यात प्रोत्साहन अधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र ठीक ही लिखा गया है। अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता लेने के लिए कुछ स्पष्टीकरण देना होता है। यह पत्र केवल दक्षिण वियतनाम को ही नहीं लिखा गया बल्कि उन सब देशों को लिखा गया है जिसे यह अभिकरण निर्यात प्रोत्साहन के लिए सहायता देता है।

सदन को यह सोचना चाहिए कि यद्यपि राजनीतिक प्रश्न स्थिर तथा मुख्य है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सामान्य व्यापार के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जब तक एक देश की दूसरे देश से लड़ाई न हो और कानूनी रूप से व्यापार सम्बन्ध न तोड़ लिये गये हों, व्यापार सामान्य रूप से चलता रहता है। उदाहरण के लिए अभी हाल में, भारत और पाकिस्तान में युद्ध के दौरान, हमने भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार पर रोक लगाने की घोषणा की थी और ज्यों ही ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हो गये, हमारे व्यापार सम्बन्ध फिर सामान्य हो गये। जहां तक उत्तरी वियतनाम अथवा दक्षिण वियतनाम का सम्बन्ध है, हमारी इन देशों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। यदि इस देश का कोई निर्यात व्यापारी अथवा निर्यात करने वाला अथवा आयात करने वाले उत्तरी वियतनाम से अथवा किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता है। कुछ निषिध मदों को छोड़कर सभी निर्यात व्यापार स्वतंत्र हैं और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहती। ट्रकों के मामले में भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती और यह कहना गलत है कि एक जर्मन कम्पनी के हस्तक्षेप के कारण निर्यात किये जाने वाले ट्रकों के पुर्जों में रियायत दी गई। 2.87 करोड़ रुपये के कुल निर्यात व्यापार में से ट्रकों का निर्यात 5-6 लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह सैनिक ट्रक नहीं हैं। यह साधारण बस और ट्रक हैं जो $2\frac{1}{2}$-3 अथवा 5 टन भार ले जाते हैं। हमने कभी भी यह नहीं कहा है कि हम उत्तरी वियतनाम से अपने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ रहे हैं। व्यापार दो-तरफा मामला है। यदि वे व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे व्यापारियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता है। किसी भी समय हमने उत्तरी वियतनाम से व्यापार करने के बारे में कोई सुविधा नहीं रोकी और न ही हमने दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार करने के लिए कोई असाधारण सुविधा दी।

व्यापार कमिश्नर नियुक्त करने का प्रश्न दोनों देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों पर आधारित है। छोटे देश के साथ व्यापार की स्थिति में कोई कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जाता।

हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम वियतनाम की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। शांति फिर स्थापित की जाये और जनेवा सम्मेलन, जिसके हम सभापति हैं, फिर बुलाया जाये। व्यापार कमिश्नर का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इन दोनों देशों के साथ हमारे सम्बन्ध राजनैतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से मित्रतापूर्ण हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस बात को देखते हुए कि वियतनाम को कुछ युद्ध-सामग्री भेजने के कारण हमारे देश पर बदनामी का धब्बा न लगे, क्या सरकार ट्रकों, विशेषकर शक्तिमान ट्रक जो कि प्रतिरक्षा विभाग और अन्य सैन्य-सामग्री सम्बन्धी कारखानों में बनाये जाते हैं, के भेजने पर रोक लगायेगी ताकि हम वियतनाम से पूर्णतः तटस्थ रह सकें जैसी कि सरकार की इच्छा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं यह पूर्ण आश्वासन देता हूं कि शक्तिमान ट्रक नहीं भेजे जायेंगे। शक्तिमान ट्रक पहले भी कभी नहीं भेजे गये थे। केवल मरसीडीज बैंज ट्रक भेजे गये थे।

इसके पश्चात् लोक सभा वृहस्पतिवार, 24 अगस्त, 1966/2 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 24th August, 1966/Bhadra 2, 1888 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565